न्याय चौपाल

विवाद नहीं, संवाद

न्याय

विशेषांक

2022 - 2023

इस अंक में:

सुलझाए गए विवादों का विवरण

संगठनात्मक सक्रियता

प्रमुख मार्गदर्शन वक्तव्य

न्याय

विशेषांक

2022 - 2023

विषय सूची

संदेश	 i
प्रस्तावना	 iii
न्याय चौपाल की अभी तक विकसित कार्यपद्धति	 vi
विवाद समाधान - प्रायोगिक दृष्टान्त	 1
संगठनात्मक सक्रियता	 81
डॉ. कृष्णगोपाल जी के मार्गदर्शन वक्तव्य	 121

न्याय चौपाल

विवाद नहीं, संवाद

संदेश

सकारात्मक और रचनात्मक प्रयासों द्वारा सामाजिक सद्भाव और सौहार्द को बढ़ाते हुए "न्याय चौपाल" द्वारा किए जा रहे प्रयासों के विषय में व्यापकता के साथ प्रचार- प्रसार होना वर्तमान परिदृश्य में आवश्यक है, इस क्रम में संस्था द्वारा आपसी विवादों के समाधान करने के प्रयासों की प्रक्रियाओं का संकलन "न्याय" का प्रकाशन हर्ष का विषय है।

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि न्याय-चौपाल के कार्यकर्ता संगठन के आदर्श वाक्य "विवाद नहीं संवाद" को आत्मसात करते हुए "प्रायोगिक दृष्टान्त" विधि द्वारा संज्ञान में आये हुए सभी विवादों, विशेषकर समाज में परिवारों को टूटने से बचाने की समस्या का समाधान करने का महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

हम जानते हैं कि निःशुल्क और संतोषजनक न्याय किसी भी सुव्यवस्थित समाज का प्रथम एवं प्रधान सद्गुण है, हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग संवैधानिक अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता और क़ानूनी प्रक्रिया की जटिलता के कारण अपने प्रति हो रहे अन्याय को ईश्वर की नियति मानकर न्यायालय नहीं जा पाता है, ऐसे में "न्याय" सर्वसुलभ हो और उसके फलस्वरूप हमारा सामाजिक सामंजस्य और अधिक सुदृढ़ बने, यह हम सभी का समेकित प्रयत्न होना चाहिए।

श्रीमद्भागवत पुराण के दूसरे अध्याय में कलियुग में न्याय प्राप्त होने के संदर्भ में वर्णित है-

"वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः
धर्मन्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि॥

जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा, वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून, न्याय इसी शक्ति के आधार पर लागू होता दिखाई देगा।

इन परिस्थितियों में सहज-सुलभ न्याय के उद्देश्य से "न्याय चौपाल" जैसे संगठनों की प्रासंगिकता समाज में और बढ़ जाती है, जिसके माध्यम से सौहार्दपूर्ण परिवेश में सभी के लिये यथोचित न्याय सुनिश्चित हो।

"न्याय चौपाल" के कार्यकर्ता उत्साह और कर्मठता के साथ संगठन को सतत् वृहदता प्रदान करते हुए, न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समाज के धन और समय की बचत करके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश की उत्तरोत्तर प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें।

सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएँ।

(रामलाल)
अ0 भा0 संपर्क प्रमुख
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

संदेश

भौतिकवाद एवं आधुनिकतावाद के वर्तमान दौर में नई पीढ़ी में एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। इस दौड़ में अपने एवं अपने परिवार के लिए समय की नितांत कमी हो गई है,परिणामस्वरूप छोटी-छोटी बातों को लेकर आपस के संबंध खराब हो रहे हैं और कोर्ट-कचहरी पर विवादों का दबाव एवं समाज का ताना-बाना बिखर रहा है। ऐसे समय में आदरणीय कृष्णगोपालजी की सोच कि कोर्ट-कचहरी के बाहर ऐसे विवादों का समाधान समाज के प्रतिष्ठित महानुभावों के द्वारा संयम एवं निर्लिप्त, लेकिन अपनेपन के भाव से किया जाए। इसी सोच के आधार पर कुछ चिन्हित शहरों में न्याय चौपाल के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान कराने का क्रम शुरू हुआ। अनेक महानुभावों के अपने अनुभव, आदरणीय कृष्णगोपालजी के मार्गदर्शन तथा श्री गोविन्द गोयलजी एवं आदरणीय आर.सी. लाहोटीजी के नेतृत्व में 100 से भी अधिक विवादों का समाधान संभव हो पाया, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके लिए न्याय चौपाल की सारी टीम को साधुवाद। समाज में भाईचारा एवं सौहार्द बढ़ाने का न्याय चौपाल का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

भविष्य में और अधिक प्रगति की शुभकामनाओं के साथ—

(गंगा शंकर मिश्र)
फ़रीदाबाद

न्याय चौपाल

विवाद नहीं, संवाद

प्रस्तावना

विवादों के निर्णय की अपेक्षा उनका समग्र समाधान किसी भी न्याय व्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। वर्तमान न्याय व्यवस्था की त्रुटियां, विवाद समाधान हेतु लगनेवाले समय एवं व्यय आदि के रहते इस उद्देश्य की पूर्ति की दुर्गमता पर विचार करते हुए भारतीय पारंपरिक सामाजिक सहयोग द्वारा विवाद समाधान की व्यवस्था का पुनः प्रयास करने हेतु न्याय चौपाल की परिकल्पना की गई, जो कि किसी भी प्रकार से वर्तमान व्यवस्था का विकल्प या भर्त्सना नहीं है।

न्याय चौपाल से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले कुछ वर्षों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयोग करते हुए लगभग 200 से अधिक विवादों का समाधान किया गया। दोनों पक्षों को आपसी सहमति के आधार पर न्यायालय जाने से बचाया गया तथा जिन विवादों में वो न्यायालय में जा चुके थे, उन विवादों को न्यायालय से वापिस लेने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया। इस कार्य में भिन्न-भिन्न प्रकार की कार्यपद्धति उपयोग में लाई गई।

कोविड के दौरान इ-बैठक के माध्यम से भिन्न-भिन्न विवाद के विषयों पर चर्चा कर आपसी सहयोग से विवाद को न्यायालय में जाने से रोकने पर विचार-विमर्श हुआ। कोविड़ के बाद पिछले वर्ष के दौरान लगभग 80 से 100 विवादों का समाधान न्याय चौपाल की विभिन्न इकाइयों (फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, चण्डीगढ़, शामली, छिंदवाड़ा एवं जबलपुर इत्यादि) ने किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दोनों पक्षों को सही दिशा प्रदान करते हुए न्यायालय में अपना धन, समय एवं संसाधनों का अपव्यय व संबंधों की कटुता से बचाया। इस पुस्तक में उन सब विवाद समाधानों की प्रक्रिया संक्षेप में प्रस्तुत की गई है, ताकि इन दस्तावेज में इंगित प्रक्रिया व कार्यपद्धति सभी न्याय चौपाल के कार्यकर्ताओं को दिशा व प्रेरणा प्रदान कर सके।

जिन विवादों के विवरण इस पुस्तक में दिए गए हैं, वे अधिकतर पारिवारिक विवाद हैं। इनमें मूलतः विवाद पति-पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों से संबंधित हैं, जबकि कुछ विवाद व्यवसाय से संबंधित हैं। कार्यपद्धति के कुछ बिंदु जो समाधान के दौरान सामने आए हैं, वह संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित हैं—

1. सभी विवादों का समाधान दोनों पक्षों में आम सहमति बनाकर किया गया।

2. किसी भी विवाद में किसी भी पक्ष का कोई आर्थिक व्यय नहीं हुआ एवं सबका समाधान तत्काल करने का प्रयास किया गया।

3. विवाद समाधान में गोपनीयता रखी गई एवं एक पक्ष की बात को दूसरे पक्ष से गुप्त रखी गई।

4. न्याय चौपाल के कार्यकर्ताओं ने धैर्यशीलता से दोनों पक्षों को विस्तार से सुनकर व उनके हित को ध्यान में रखकर एक सरल व साधारण समाधान निकालने का प्रयास किया, जो कि कानूनी जटिलताओं से रहित था।

5. प्रयासपूर्वक दोनों पक्षों की आपसी कटुता समाप्त कर उनमें एक-दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करवाया गया एवं विवाद के मूल कारण को दूर करने का प्रयास किया गया।

6. विवाद में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की गलती को अपनी त्रुटि मानते हुए उसका दोषी अपने आप को ठहराया एवं ऐसा भविष्य में न हो, इसे सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।

7. दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी त्रुटियों व कमियों पर ध्यान दिया एवं उन्हें न दोहराने का वचन दिया।

8. विवाद के कारण को चिन्हित करके उसका निवारण करने हेतु समाज में प्रतिष्ठित एवं दोनों पक्षों पर प्रभाव रखनेवाले व्यक्ति का सहयोग प्राप्त किया गया।

9. समाधान में साधारण सूझ-बूझ व अनुभव का उपयोग किया गया एवं न्यायिक प्रक्रिया के जटिल बिंदु को समाधान में अवरोधक बनने से बचाया गया।

10. न्याय चौपाल के कार्यकर्ताओं ने अपने व्यवहार द्वारा दोनों पक्षों का विश्वास अर्जित किया।

इस पुस्तक में पिछले एक वर्ष में हुई न्याय चौपाल की संगठनात्मक गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी व बैठकों के कुछ चित्र भी प्रस्तुत हैं। 1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 के दौरान कुल 32 बैठकें हुईं, जिनमें से 10 बैठकें ऑनलाइन माध्यम से एवं 22 बैठकें प्रत्यक्ष रूप से हुईं। दो बैठकों में मा. कृष्णगोपालजी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। इन दोनों उद्बोधनों को अलग से इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह विशेष रूप से हम सबको प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के लिए उपयोगी हो

सके। इन बैठकों में विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तीन अन्य बैठकों में समन्वय की दृष्टि से विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कुल 26 मासिक बैठकें विभिन्न इकाइयों के कार्यकर्ताओं की रहीं, जहां विवाद समाधान व विवाद अर्जन, दस्तावेजीकरण इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई , साथ ही हर माह कम से कम एक नया सदस्य जोड़ने की तथा कार्यकर्ताओं का आसपास के स्थान पर प्रवास करने की योजना का आग्रह किया गया।

इसी बीच अत्यंत दुःखद घटना भी हुई। न्यायमूर्ति श्री आर.सी. लाहोटी, जिन्होंने न्याय चौपाल का स्वप्न हम सबको दिखाया, हमें छोड़कर इस संसार से चले गए। न्याय चौपाल के सभी कार्यकर्ता उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में दिए गए विवाद समाधान के केस व कार्यपद्धति के बिंदु न्याय चौपाल की सभी टोलियों के प्रयासों को गति एवं दिशा प्रदान करेंगे।

इस बीच यथायोग्य परामर्श करके जस्टिस श्री प्रमोद कोहली से न्याय चौपाल के कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करने का निवेदन किया गया।

इस प्रस्तावना के अंतिम चरण में यह भी कहना उचित होगा कि जहां न्याय चौपाल की सभी टोलियों ने सूझ-बूझ के साथ अथक प्रयास कर विवाद समाधान करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की व अपना अमूल्य योगदान दिया, वहीं श्री संजीव सिन्हा जी ने उनके साथ समन्वय करके इन विवाद-समाधान दस्तावेजों का संकलन किया, जिसके लिए वह भी प्रशंसा के पात्र हैं। इस विश्वास के साथ कि इस प्रकार के संस्करण भविष्य में भी और अधिक गति से प्रकाशित करने का अवसर न्याय चौपाल को मिलेगा, इसे प्रस्तुत करने में मुझे अति हर्ष व संतोष का अनुभव हो रहा है। ❑

धन्यवाद।

गोविन्द गोयल

नई दिल्ली
30 जून, 2023

न्याय चौपाल की अभी तक विकसित कार्यपद्धति

न्याय चौपाल 2017 से सामाजिक सहयोग द्वारा विवाद-समाधान को लेकर कार्यरत एक स्वैच्छिक संगठन है। इसकी कल्पना व स्थापना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश चन्द्र लाहोटी जी की अध्यक्षता व वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कृष्णगोपाल जी के मार्गदर्शन में गहन चिंतन व गंभीर मंथन उपरांत विवादों के समग्र समाधान हेतु की गई। इसकी गंभीरता, संवेदनशीलता एवं अद्वितीयता को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में तीव्र अवलोकन में किया गया, ताकि इस कार्य की उत्तम कार्यपद्धति व मुख्य कार्य-बिंदु विकसित हो सकें। इसका पंजीकरण 2017 में दिल्ली में हुआ एवं अब तक इसके कार्यकर्ता 200 से अधिक पारिवारिक व अन्य विवादों का समाधान निःशुल्क एवं त्वरित रूप से सीमित क्षेत्र में कर चुके हैं। इसकी टोलियां भिन्न-भिन्न स्थानों पर आपसी सहमति द्वारा विवादों का समाधान सफलतापूर्वक कर रही हैं।

अभी तक के कार्य के आधार पर न्याय चौपाल में उपयोग में लाई गई कार्यपद्धति के बिंदु संक्षिप्त रूप से निम्न उल्लेखित हैं-

1. न्याय चौपाल की मासिक बैठक किसी सामाजिक स्थान पर की जाती है, जैसे-कोई विद्यालय, मंदिर, सामाजिक संस्थान इत्यादि। इसमें आनेवाला व्यय न्यूनतम होता है एवं इसे टोली के सदस्य व्यक्तिगत साधनों से करते हैं।
2. न्याय चौपाल की टोली में साधारणतः गैर राजनैतिक व्यक्तियों को जोड़ा जाता है, जो समाज में प्रतिष्ठित हों एवं पक्षपातरहित विवाद समाधान के लिए निष्ठापूर्वक अपना अमूल्य समय न्याय चौपाल की योजना के अनुसार देने को तैयार हों।

3. न्याय चौपाल की टोली के सदस्य बनने के लिए केवल निष्ठा, निष्पक्षता, प्रतिष्ठा, समाज में स्वीकार्यता एवं साधारण सूझ-बूझ का होना अनिवार्य है। किसी प्रकार की कानूनी डिग्री, अभ्यास या पदासीनता की कोई आवश्यकता नहीं है।
4. न्याय चौपाल में समाधान हेतु आनेवाले विवादों का सर्वप्रथम लेखन किया जाता है। उसके पश्चात् विवादों का पंजीकरण करके उसके समाधान हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है।
5. न्याय चौपाल की स्थानीय इकाई प्रस्तुत विवाद को यथासंभव दो-तीन सदस्यों की टोली को समाधान हेतु सौंप देती है, जो दोनों पक्षों के साथ अलग-अलग एवं सामूहिक आवश्यकता अनुसार चर्चा करती है। यथासंभव समाधान टोली में एक महिला सदस्य भी रहे, ऐसा प्रयास रहता है।
6. समाधान टोली सामान्यतः किसी सामाजिक अथवा दोनों पक्षों से असंबंधित स्थान पर अपनी बैठकें करती है। यह सारी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क की जाती है। किसी भी प्रकार की वित्तीय व अन्य लेन-देन, पुरस्कार, खर्च आदि से इसे पूर्णतः दूर रखा जाता है। समाधान के बाद भी किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष लेन-देन या वित्तीय सहयोग स्वीकार्य नहीं है।
7. विवाद समाधान में आनेवाली प्रक्रिया अत्यंत सरल व कानूनी जटिलता से रहित होती है। सूझ-बूझ व आपसी सहमति ही इस प्रक्रिया का मूलभूत आधार है।
8. विवाद-समाधान के दौरान व उसके बाद भी पूर्ण गोपनीयता रखी जाती है। एक पक्ष की बातचीत दूसरे पक्ष तक एवं अन्य कहीं भी नहीं बताया जाता। न्याय चौपाल के रिकार्ड में भी दोनों पक्षों का विवरण पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है।
9. विवाद-समाधान के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण का प्रयास किया जाता है। दोनों पक्षों की आपसी कटुता दूर कर व विवाद के मूलभूत कारण का पता लगाकर उसका संपूर्ण उन्मूलन कर उनमें आपसी संबंधों की मधुरता का निर्माण करने का प्रयास रहता है।
10. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर दोषारोपण न कर अपनी कमी पर ध्यान देकर समाधान की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों पक्ष एक-दूसरे को नकारात्मक दृष्टि की बजाय सकारात्मक दृष्टि से ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं।

11. न्याय चौपाल के पास कोई भी कानूनी या सरकारी अधिकार नहीं है एवं न तो यह किसी भी पक्ष को अपने सामने प्रस्तुत होने का व न ही समाधान को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकती है। न्याय चौपाल के समाधान की स्वीकार्यता केवल समाधान टोली के सदस्यों द्वारा अर्जित स्नेह व उनकी धैर्यशीलता, निष्पक्षता, सूझ-बूझ, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा एवं सामाजिक स्वीकार्यता पर निर्भर है।

12. विवाद समाधान के पश्चात् यथाशीघ्र पूरी समाधान प्रक्रिया को संक्षिप्त में लिखकर इसका प्रलेखन करना है। एक समाधान में कोई विशेष बिंदु या अन्य समाधान टोली के लिए प्रेरक बिंदु का भी उल्लेख करना है।

13. विवाद-समाधान के बाद विवादित पक्षों को यदा-कदा मिलकर उनके साथ तालमेल कर सुनिश्चित करना चाहिए कि विवाद के अंकुर दुबारा न फूट पाएं व दोनों पक्ष विवाद रहित सामान्य जीवन-यापन करें।

14. न्याय चौपाल की एक इकाई के अनुभवी कार्यकर्ता निकटतम दूसरी इकाई की बैठक में भाग लेने के लिए प्रवास कर सकते हैं, जिससे वह अपने विवाद-समाधान या संगठनात्मक अनुभव के आधार पर दूसरी इकाई के कार्यकर्ताओं को लाभान्वित कर सकते हैं। एक इकाई के अनुभवी कार्यकर्ता किसी दूसरी इकाई के पालक कार्यकर्ता के रूप में भी अपना योगदान दे सकते हैं।

15. किसी भी इकाई, टोली, कार्यकर्ता व सदस्य को किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में नहीं करनी है, न ही सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम में कोई विज्ञापन करना है।

16. न्याय चौपाल के किसी भी कार्यकर्ता अथवा सदस्य को अपने दायित्व या अपने काम की चर्चा नहीं करनी है, न ही कोई कार्ड, लेटरहैड इत्यादि में अपने आपको चौपाल के किसी दायित्व का विवरण प्रकाशित करना है।

17. न्याय चौपाल के कार्यकर्ताओं व सदस्यों से समाज के जिम्मेवार व आदर्श घटक के रूप में व्यवहार अपेक्षित है। यद्यपि न्याय चौपाल के पास कोई कानूनी या वैधानिक अधिकार अपने कार्यकर्ताओं अथवा सदस्यों को दंडित करने के नहीं है, न ही इस प्रकार से दंड प्रदान करने का कोई औचित्य है, लेकिन यदि कोई कार्यकर्ता या सदस्य अनपेक्षित कार्य करे तो उसे न्याय चौपाल की गतिविधियों से दूर रखा जा सकता है।

18. न्याय चौपाल की इकाई के सदस्य के रूप में या समाधान टोली में किसी भी कार्यकर्ता को बहुत ध्यानपूर्वक व संयम से जोड़ने की आवश्यकता है। भिन्न-भिन्न संगठनों के सदस्य जो अराजनैतिक प्रवृत्ति के हों, उन्हें न्याय चौपाल की टोली विस्तार में, विवाद-समाधान की टोली में व विवाद अर्जन के लिए उपयोग में लाया जाता है।
19. न्याय चौपाल के कार्य को गति व सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है।
20. यथासंभव अभ्यास वर्ग व आपसी अनुभवों का आदान-प्रदान न्याय चौपाल की विभिन्न इकाइयों की सामूहिक व समन्वय बैठकों द्वारा किया जाता है।❑

विवाद समाधान

– प्रायोगिक दृष्टान्त

1

इस पारिवारिक विवाद का समाधान फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई द्वारा किया गया

एक दंपती जिनकी शादी को लगभग 18 वर्ष हो चुके थे, उनके बीच कुछ बातों को लेकर मनमुटाव हो गया। उनके दो बड़े बच्चे भी थे। बड़ी लड़की लगभग 16-17 वर्ष की और लड़का 14-15 वर्ष का था। मनमुटाव और झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि पति ने पत्नी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जिससे तंग होकर पत्नी अपने मायके चली गई।

जब न्याय चौपाल के संज्ञान में यह केस आया तो चौपाल के कार्यकर्ताओं ने लड़की के घरवालों से बात कर पूरा मामला समझने की कोशिश की और फिर उसके बाद लड़के से भी बात की। कोर्ट केस के लिए महिला तैयार नहीं थी। मामले की तह में जाने पर पता चला कि पति ज्यादा अक्खड़ एवं हठी हो गया था और इसी कारण बात-बात पर पत्नी से मारपीट करने लगा था।

तब योजना के तहत महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कर लड़के को वहां बुलाया गया और उसे पुलिस जेल का डर दिखाकर समझाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ, लड़के के घरवालों से उसके भाई और अन्य रिश्तेदारों से भी बात की गई। लड़के को भी कुछ बातें समझ आईं कि दो बड़े-बड़े बच्चे हैं और शादी के 18 वर्ष हो चुके हैं, अत: यह सब उसे शोभा नहीं देता।

विवाद समाधान के लिए कई बार कानून के दायरे में रहकर पक्ष/पक्षों पर सामाजिक या विधिवत दबाव डालने से ही संवाद की स्थिति बनानी पड़ती है

फिर एक तीसरे स्थान पर बैठक हुई, जिसमें लड़की के घरवाले और लड़के के घरवाले तथा उसके भाई और कुछेक रिश्तेदार भी थे, वहां पर पति-पत्नी दोनों के बीच बातचीत करवाई गई और दोनों को सबने समझाया। लड़के ने भी आगे से

हिंसक न होने का भरोसा दिलाया और पत्नी के साथ अपने छोटे-मोटे विवादों को भूलकर आपस में एक साथ रहने को दोनों राजी हो गए।

अब दोनों पति-पत्नी आराम से अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं। इस बीच दो-तीन बार न्याय चौपाल के कार्यकर्ता ने पत्नी से बात की है। अब किसी तरह का कोई झगड़ा दोनों के बीच नहीं है। इस प्रकार न्याय चौपाल की सार्थक पहल से एक परिवार टूटने से बच गया। ❑

2

इस वैवाहिक विवाद का समाधान फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने किया

फरीदाबाद नहर पार का रहनेवाला एक लड़का जिसके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, उसका पास के ही एक गांव की लड़की के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। लेकिन एक दिन उस लड़की ने उस लड़के को किसी अन्य लड़की के साथ देख लिया तो इसके बाद लगभग एक वर्ष तक दोनों संपर्क में नहीं रहे। लेकिन उसके बाद पुन: धीरे-धीरे फिर से एक-दूसरे के करीब आने लगे, और परिणामस्वरूप शादी से पहले ही लड़की गर्भवती हो गई। फिर लड़की और उसके घरवालों ने लड़के के ऊपर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़का शादी के लिए तैयार नहीं था, लड़के की मां ज्यादा विरोध कर रही थी, लड़की और उसके घरवालों ने वीमेन सेल में मामला दर्ज करा दिया।

सामाजिक स्थिरता एवं सार्थकता बनाए रखने के लिए कभी-कभी असामान्य, परंतु वैध (वैधानिक) निर्णय भी लेना आवश्यक हो जाता है

इस बीच लड़के के पिता न्याय चौपाल के संपर्क में आए तो चौपाल के कार्यकर्ताओं ने उनसे बात की और पूरा मामला समझकर उन्हें समझाने का प्रयास किया कि

दोनों बच्चों की शादी कराने में ही भलाई है, अन्यथा बेवजह जेल जाना पड़ जाएगा और लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी, बदनामी अलग होगी। लड़के के पिता को तो बात समझ आने लगी, लेकिन लड़के की मां की तरफ से विरोध ज्यादा था।

इसके बाद दो-तीन बैठकें हुईं। लड़का उसके माता-पिता और उसके कुछेक रिश्तेदारों से भी बात की गई और उनको सारी स्थिति समझाने पर उनको यह बात समझ में आ गई कि दोनों बच्चों की शादी कराने में ही सबकी भलाई है। अंततः लड़के के परिवारवाले मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। कोरोना काल के चलते शादी कोर्ट या मंदिर में कराने का फैसला हुआ, कोर्ट भी बंद थी, इसलिए अंत में आर्य समाज मंदिर, फरीदाबाद में दोनों की शादी करा दी गई।

अब दोनों बच्चे आराम से एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। उनको एक बच्चा भी हो गया है। ❑

3

यह वैवाहिक विवाद कोटा (राजस्थान) इकाई के सहयोग से सुलझाया गया

एक दंपती जो कोटा (राजस्थान) में रहते थे, शादी को दो-तीन वर्ष हुए थे एवं एक छोटी बच्ची थी। दोनों के बीच विवाद हो गया और लड़की अपने मायके जाने को तैयार थी, तभी न्याय चौपाल के संज्ञान में यह विवाद आया तो चौपाल के कार्यकर्ता कोटा गए। जाने पर पता चला कि लड़की दिल्ली से थी और शादी से पहले किसी निजी बैंक में नौकरी करती थी। लड़का कोटा के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग देता था और एक अच्छी खासी सैलरी लेता था। शादी के बाद लड़की ने नौकरी छोड़ दी और घर में ही रहती थी। दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होना शुरू हो गया। अहंकार संबंधी मतभेद ज्यादा होते थे, एक दिन लड़के ने गुस्से में आकर लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया तो लड़की मायके जाने को तैयार हो गई।

चूंकि चौपाल के कार्यकर्ता लड़के के पिता के मित्र भी थे तो वे तुरंत कोटा के लिए रवाना हो गए और दो-तीन दिन वहीं पर रूके। दो-तीन दिन में आठ-दस दौर की बैठकें चलीं। लड़की और लड़के से अलग-अलग बात की, बातचीत में पता चला कि लड़के की शिकायत थी कि उसकी पत्नी उसके घरवालों का सम्मान नहीं करती। वैसे लड़का-लड़की मां-बाप से अलग रहते थे लेकिन लड़के का कहना था कि उसकी पत्नी उसकी मां से फोन पर भी ठीक से बात नहीं करती, जब वह घर आती है तो भी मां का पूरा सम्मान नहीं करती। लड़के की मां को अकेलापन महसूस होता है और उसके अन्य रिश्तेदारों को भी उसकी पत्नी पूरा सम्मान नहीं देती। जिस कारण मां ने उसके घर आने से भी मना कर दिया था।

जब लड़की से बात की तो पता चला कि लड़का Money-minded ज्यादा था। उसकी अच्छी-खासी कमाई थी, जिसके कारण वह पत्नी के मायकेवालों की बेइज्जती करता रहता था। बात-बात पर, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। हर बात पर पत्नी के मां-बाप को कोसना शुरू कर देता और उन्हें केवल पैसे से तौलता रहता था। इसी कारण लड़की भी उसके घर वालों को पूरा सम्मान नहीं दे पाती थी।

सामाजिक सामंजस्य (समरसता) निरंतर बना रहे, यह न्याय चौपाल का मूल उद्देश्य है

चौपाल के कार्यकर्ताओं ने पूरा मामला समझा और लड़का-लड़की से अलग-अलग बात करने के बाद लड़के के घरवालों से बात की तो लगा मामला ज्यादा गंभीर नहीं है। अगले दिन लड़के को घर पर ही रूकाया और उससे तसल्ली से बात की। लड़का समझदार था, उसे सारी ऊंच-नीच समझाकर बात की तो उसे सारी बात समझ आ गई और उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन का आश्वासन दिया। फिर उस दिन शाम को एक बैठक हुई, जिसमें परिवार वाले भी उपस्थित थे। विस्तृत बातचीत करने पर दोनों पति-पत्नी साथ रहने को तैयार हो गए।

अब दोनों पति-पत्नी आराम से प्रेमपूर्वक एक साथ रह रहे हैं। ❑

4

यह वैवाहिक विवाद फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने सुलझाया

एक दंपती जिनकी शादी को लगभग 15 वर्ष हो चुके थे, लड़का इंजीनियर व लड़की उत्तर प्रदेश सरकार में स्कूल टीचर की नौकरी करती थी। लड़का पहले एक वर्कशॉप चलाता था, लेकिन शराब की लत लगने के कारण काम बंद हो गया। अब घर में खाली बैठा था। दोनों की शादी से एक बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 12-13 वर्ष थी। पत्नी अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई और पति से तलाक चाहती थी। उन्हें अलग रहते हुए लगभग तीन महीने बीत चुके थे, तब न्याय चौपाल के संज्ञान में यह विवाद आया, तो चौपाल के कार्यकर्ताओं ने लड़की-लड़के और दोनों के घरवालों से बात की। बात करने पर पता चला कि लड़का जब बेरोजगार हो गया और शराब की लत लगी हुई थी तो पत्नी से रोज शराब के लिए पैसे मांगता और न देने पर मारपीट करने पर उतारू हो जाता, जिससे तंग आकर लड़की अपने मायके चली गई।

पूरी बात सामने आने पर पता लगा कि सबसे बड़ा कारण लड़के की बेरोजगारी है तो चौपाल के कार्यकर्ता ने उस लड़के की नौकरी एक फैक्ट्री में लगवा दी। उसके बाद लड़के की मां और उसके भाई से बात की। लड़के के पता का निधन हो चुका था। लड़के की मां समझदार थी, उसने अपने बेटे को समझाया और हमें उसके शराब छोड़ने का आश्वासन दिया। तब हमने लड़की और उसकी मां से दोबारा बात की।

न्याय चौपाल कार्यकर्ता विवाद समाधान के लिए संवाद से परे भी प्रयासरत रहते हैं

जब लड़के ने भी स्वयं शराब छोड़ने का आश्वासन दिया तो लड़की वापस आने को तैयार हो गई। यह मामला जुलाई 2020 का है। उसके बाद से दोनों पति-पत्नी सपरिवार साथ रह रहे हैं। लड़का-लड़की दोनों अपनी-अपनी नौकरी पर जाते हैं। लड़के की शराब पीने की आदत छूट गई है।

इस प्रकार न्याय चौपाल की सार्थक पहल से एक और परिवार टूटने से बच गया।❑

5

यह विवाद मध्य प्रदेश इकाई के प्रयासों से सुलझाया गया

न्याय चौपाल कार्यकर्ता जो अधिवक्ता हैं, के परिचित मरवाहा परिवार के मुखिया उनकी पत्नी, छोटा भाई एवं पुत्री जब कार्यकर्ता से मिले, तब वे लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री के पति एवं ससुराल वालों ने उनकी पुत्री को घर से निकाल दिया है और अब वे रखने को तैयार नहीं है। मरवाहा जी का कहना था कि उनकी पुत्री के पति एवं उसके ससुराल वालों को जेल भिजवाना है एवं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करना है। मरवाहा जी के परिवार के सदस्यों ने लड़के और उसके परिवार के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना एवं घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करने की सलाह दी।

मरवाहा जी से निवेदन किया गया कि न्याय चौपाल टीम उनकी पुत्री से अकेले में बात करना चाहती है। मरवाहा जी तैयार हो गये। सभी लोग ऑफिस के बाहर चले गये। लड़की से वस्तुस्थिति को जानने के लिये कई प्रश्न पूछे गये। लड़की ने बताया कि लड़का बात-बात में उसकी हंसी उड़ाता है। बातचीत से यह स्थिति सामने आयी कि लड़की की शादी को अभी सात-आठ महीने ही हुये हैं। अभी दोनों पति-पत्नी एक दूसरे को अच्छे से समझ ही नहीं पाये हैं। पति-पत्नी की छोटी-मोटी बातों के कारण बीच-बीच में झगड़े होते रहे हैं। पहली बार झगड़ा ऐसे हुआ कि लड़के के परिवार में रस्म थी कि लड़की खीर बनाकर लड़के के परिवार को खिलाती है। जब लड़की ने खीर बनायी और परिवार के सदस्यों को खिलायी, तभी लड़के की बुआ ने खीर में शक्कर अधिक होने की बात कही और कुछ कमियां निकालीं, इस बात को लेकर लड़के ने लड़की का मजाक बनाया एवं चुटकी ली और परिवार के अन्य सदस्यों के हंसने से लड़की को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। तभी से पति-पत्नी में एक-दूसरे की कमी निकालने का दौर शुरू हो गया। न्याय चौपाल टीम द्वारा मूल्यांकन किया गया कि सभी झगड़े एवं नोक-झोंक साधारण एवं मामूली

बात से हुये थे, कोई गंभीर विषय इसमें शामिल नहीं था। लड़की की बातचीत से लगा कि वह लड़के के साथ रहना चाहती है, किंतु अपने परिवार से अपनी दिल की बात नहीं कह पा रही है।

सभी कार्यकर्ताओं को लगा कि यह प्रकरण न्याय चौपाल की टोली के माध्यम से सुलझाना चाहिये, क्योंकि दो परिवार की समस्या, झगड़े और जिंदगी भर कोर्ट-कचहरी के चक्कर, मानसिक परेशानियां और एक लड़की और उसके परिवार का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह फैसला किया गया कि इस प्रकरण को न्याय चौपाल के माध्यम से सुलझाना चाहिये जिससे दो परिवार की खुशहाली सुनिश्चित हो सके और न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आ सकेगी। केस सुलझाने के लिये न्याय चौपाल के वरिष्ठ सदस्यों ने बैठक की और प्रकरण को सुलझाने हेतु लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया।

न्याय चौपाल कार्यकर्ता ने कहा कि लड़का इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और पब्लिक डिलींग करता है। उससे अलग से मिलकर उसकी समस्याओं के बारे में चर्चा की जा सकती है। लड़की पक्ष की ओर से जाने से उसके मन में यह प्रभाव पड़ सकता है कि यह लड़की एवं उसके परिवार के पक्ष का व्यक्ति है, उक्त कारण से प्रकरण सुलझना मुश्किल हो सकता है। इन पहलुओं पर विचार कर सभी सावधानियों को ध्यान में रखने का तय किया गया।

न्याय चौपाल के कार्यकर्ता लड़के के ऑफिस पहुंचे एवं अन्य विषय को लेकर चर्चा की और लड़के का विश्वास हासिल किया। उसके बाद उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक लड़ाई के संबंध में चर्चा की। विश्वास हासिल करने के बाद की गयी चर्चा में लड़के ने खुलकर अपना विषय और झगड़े की बात रखी, जिसमें लड़के ने लड़की की मामूली गलतियों की शिकायत की। लड़का खुद भी लड़की को वापस बुलाना चाहता था, परंतु लड़की के चाचा के धमकी भरे फोन के कारण लड़की के परिवार से नाराज था और बार-बार चाचा को लेकर तैश में आ रहा था। न्याय चौपाल के कार्यकर्ता ने लड़के से कहा कि आप लोगों के विवाद बहुत छोटे-छोटे विषय पर हैं जो आपसी समझौते से सुलझ सकते हैं।

न्याय चौपाल की टोली ने लड़के-लड़की को कॉफी हाउस में बुलाया और लड़के-लड़की को समझाया कि जब आप दोनों के परिवार का समझौता हम लोग करायेंगे तब आप दोनों एक-दूसरे का पक्ष लेंगे, अपनी-अपनी गलती को स्वीकार करेंगे।

न्याय चौपाल की टोली ने दोनों पक्षों की मीटिंग करायी, जिसमें परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हुए। कोर्ट-कचहरी की परेशानियां, धन की बर्बादी, दोनों परिवार पर पड़ने वाले असर, परिवार की साख की हानि एवं परिवार के सुख से वंचित होने के बारे में बताया। बातों को समझकर दोनों परिवार के लोगों ने एवं लड़का-लड़की ने अपनी गलती स्वीकार की व न्याय चौपाल की देख-रेख में दोनों पक्षों ने भविष्य में दोबारा गलती नहीं होगी, ऐसा आश्वासन दिया। दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण रखा और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। रिश्तों की खटास मिठास में बदल गयी। दोनों परिवार के सदस्य खुश लगे। खुशहाल माहौल में चाय पी। लड़की के पिताजी मिठाई ले आए व विवाद का समाधान साधारण संवाद के माध्यम से हो गया। ❑

अहं को परे रख छोटे-मोटे विवाद संवाद से सुलझाए जा सकते हैं

6

यह विवाद न्याय चौपाल, जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

न्याय चौपाल द्वारा जबलपुर में विदेश से जुड़े एक अनूठे मामले का बेहद संजीदगी और आध्यात्मिक व सामाजिक परिवार प्रबोधन के तरीके से समाधान किया गया।

समाज के मुखिया से जानकारी प्राप्त होने पर पीड़ित परिवार से न्याय चौपाल की टोली ने सम्पर्क स्थापित किया। दक्षिण कोरिया के सियोल में रहने वाली जबलपुर की एक ब्याहता श्रीमती 'क' ने न्याय चौपाल की टोली को बताया कि उसका पति दक्षिण कोरिया सियोल में रहता है। वहीं पर नौकरी करता है। शादी के तुरंत बाद ही वह भी दक्षिण कोरिया सियोल अपने पति के साथ गई। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, किन्तु कुछ ही दिन बाद वह उसके साथ मारपीट करने लगा और कभी भी हिन्दुस्तान वापिस न आने की बात हमेशा करता। इस कारण से वह

दीपावली में अपने देश भारत वापिस लौटकर आ गई और अब अपने पति के साथ पुनः दक्षिण कोरिया सियोल नहीं जाना चाहती।

इधर पति श्री 'ख' जिसकी परवरिश पाश्चात्य देशों में हुई थी तथा संस्कार भी वहीं से मिले थे, अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे। मगर पत्नी उसके साथ किसी भी कीमत पर दक्षिण कोरिया सियोल जाने के लिए तैयार नहीं थी। जबकि दो बार फ्लाईट की टिकिट बुक करा चुका था। इस प्रकार पति-पत्नी में विवाद उत्पन हुआ।

न्याय चौपाल की टीम ने श्रीमती 'क' व उसके परिवार से संपर्क स्थापित किया और इस प्रकार उसे और उसके परिवार को आध्यात्मिक और सामाजिक तथा परिवार प्रबोधन की सलाह दी गई। न्याय चौपाल की टीम के कार्यकर्ताओं के समझाने का असर यह हुआ कि पति से नाराज पत्नी न केवल मान गई बल्कि पति के साथ सीयोल जाने के लिए राजी हो गई और इस तरह परिवार प्रबोधन की समझाईश तथा सामान्य कानून की जानकारी से प्रभावित होकर आपसी तालमेल के आधार पर समझौता करने का विचार बनाया।

बहुत बार जटिल विवाद भी संवाद से हल हो जाते हैं। आवश्यकता केवल सतत प्रयास एवं कठोर इरादे की है

इधर, पति ने यह भी कहा कि वह शीघ्र ही बाड अवधि समाप्त होते हुए भारत लौट आयेंगे और कभी भी विदेश में नौकरी करने नहीं जायेंगे। शेष जीवन अपने परिवार के साथ हिन्दुस्तान में ही रहकर व्यतीत करेंगे। इतना ही नहीं दोनों ने यह शपथ ली कि वे भारत वापिस आकर न्याय चौपाल का हिस्सा बनेंगे और न्याय चौपाल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि न्याय चौपाल ने उन्हें एक नई जिंदगी दी है। और इस तरह एक परिवार टूटने से बच गया। जिस टेबिल से विवाद शुरू हुआ, उसी टेबिल से विवाद की समाप्ति हुई। ❑

7

इस विवाद का समाधान मध्य प्रदेश इकाई ने किया

दृढ़ निश्चय एवं सही सलाह, विवाद समाप्त करने के लिए प्रमुख बिंदु हैं

मोहगांव (हवेली) नामक कस्बा, जो कि पांढुरना से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में निवासरत दो भाईयों के बीच अपनी संपत्ति एवं कृषि भूमि के बंटवारे के दौरान भारी विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसमें पारिवारिक सदस्यों के बीच हमले व मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के सदस्य घायल भी हो गये थे, फलस्वरूप दोनों पक्षों द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गयी और मामला पुलिस विवेचनाधीन हो गया।

ऐसी परिस्थिति में उनके कोई परिचित जो पांढुरना में निवास करते हैं, उन्होंने न्याय चौपाल से निवेदन करते हुये कहा कि उनको समझाकर उनका विवाद खत्म करने में हमारी मदद करें। न्याय चौपाल टीम के सदस्यों ने अगले दिन उनके गांव जाने हेतु अपनी सहमति दे दी।

निश्चित समय पर अपने साथियों के साथ न्याय चौपाल टीम मोहगांव पहुंची तथा वहां के स्थानीय परिचित व्यक्ति को साथ लेकर उनके निवास पर पहुंच गयी। बड़ी मेहनत के बाद दोनों परिवारों को एक साथ बैठाने में सफलता मिली। परंतु दोनों परिवारों के बीच संपत्ति की बात ही नहीं थी, मात्र उनके बीच गलतफहमी एवं अहं का टकराव भी दिखा। तब न्याय चौपाल टीम ने उनके सामने कई ऐसे विवादों के दुष्परिणामों को विस्तृत रूप से रखकर उनकी गलतफहमी दूर करने का प्रयास किया। परिवार की एकता का महत्व एवं उसके सकारात्मक परिणाम बताते हुये उनके अहं की टकराहट को समाप्त करने में अंतत: टीम सफल हो गई। उसके बाद पारिवारिक सदस्यों के बीच माफीनामा करवाकर बंटवारे की भावना को ही खत्म कर दिया। आज वे दोनों परिवार सम्मिलित रूप से अपने किसानी व्यवसाय को कर रहे हैं तथा हमारी टीम को धन्यवाद हो प्रेषित कर रहे हैं। ❑

8

यह वैवाहिक विवाद दिल्ली इकाई ने सुलझाया

> **प्रत्येक विवाद अपने आप में अलग है, इसलिए हर बार कुछ नया सोचने/करने की आवश्यकता पड़ सकती है**

एक दंपती जिसके विवाह को लगभग 6 वर्ष बीत चुके थे, लड़का रोहिणी (दिल्ली) का था और लड़की नोएडा (उत्तर प्रदेश) से थी। लड़की के माता-पिता का निधन हो चुका था और लड़के के पिता जो सरकारी नौकरी में थे, उनका भी देहांत हो चुका था। लड़के की मां को अब पिता की पेंशन मिलती थी। लड़की के मामा सेक्टर-17, फरीदाबाद में रहते थे और लड़की का मायका माता-पिता के न रहने के कारण अब लगभग वही था। दोनों को विवाह के बाद एक बच्ची भी हुई जिसकी आयु लगभग 4-5 वर्ष है। लड़का एक प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन में उसकी नौकरी छूट गई थी।

कुछ समय से कुछ-कुछ विवादों को लेकर दोनों में मनमुटाव चल रहा था और दोनों अलग-अलग रह रहे थे। लड़की फरीदाबाद में अपने मामा के घर पर और लड़का रोहिणी, दिल्ली में अपनी मां के साथ रह रहा था। बच्ची अपनी मां के साथ ही रह रही थी। इस बीच लड़की का मामा न्याय चौपाल के संपर्क में आए। सारी स्थिति समझने के उपरांत चौपाल के कार्यकर्ताओं ने पहले लड़की से बात की और पूछा तो पता चला कि लड़की ससुराल वापस जाने को तैयार थी। अभी कोई कोर्ट केस भी नहीं हुआ था। फिर लड़के और उसकी मां से भी संपर्क साधा गया तो दोनों पक्षों की एक बैठक तय हुई।

बैठक लड़के के एक रिश्तेदार के घर पर हुई, जहां दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। लगभग 2-3 घंटे चली बैठक में दोनों तरफ की बातें सुनी गईं, और उसके बाद यह

फैसला हुआ कि लड़केवाले लड़की को ससुराल ले जाएंगे, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने पर भी लड़का लड़की को लेने नहीं आया। तह में जाने पर पता चला कि लड़के की मां की तरफ से ज्यादा विरोध था, वह नहीं चाहती थी कि लड़की वापस आए। इसके बाद फिर से एक और थोड़ी बड़ी बैठक 'बैरागी सभा' में की गई, जिसका प्रभाव लड़के के घरवालों पर थोड़ा ज्यादा था।

बैरागी सभा में यह निर्णय हुआ कि समाज के कुछ लोग लड़के के साथ लड़की को लेने जाएंगे और वही किया गया। लड़की को लेने उसके मामा के घर लड़के के साथ समाज के चार और लोग भी गए और लड़की को ससुराल छोड़कर आए।

अब लड़की ससुराल में ठीक से रह रही है और रोहिणी (दिल्ली) में अपना बुटीक चला रही है। ❑

9

इस वैवाहिक विवाद का समाधान चंडीगढ़ इकाई ने किया

इस केस में एक लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है और लड़की अपने मायके में ही रहती है और ससुराल नहीं जाती। लड़के का कहना था कि उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है क्योंकि लड़के के पिताजी ने उसका बहिष्कार कर दिया था। इस वजह से लड़का और लड़की में लड़ाई झगड़ा रहता था और दोनों का दांपत्य जीवन खराब हो रहा था। तब न्याय चौपाल टीम ने दोनों पक्षों से बात की और बातचीत के बाद यह बात सामने आई कि लड़का अलग से रह लेगा और विवाहित जीवन का अच्छी तरह से निर्वाह भी कर लेगा। लेकिन अभी सक्षम नहीं है कि वह अलग से रह सके। इस पर न्याय चौपाल टीम ने उससे पूछा कि कितने दिनों में वह सक्षम हो जाएगा। लड़के ने कहा कि अगर दो महीने का मकान के किराये का प्रबंध हो जाए तो उसके बाद वह सब अपने बलबूते पर

सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ सकते हैं

कर लेगा। इस पर न्याय चौपाल टीम ने दो महीने का किराया दिया। इसके बाद खुशी-खुशी रहने लगे। ❑

10

यह वैवाहिक विवाद चंडीगढ़ इकाई ने सुलझाया

एक परिवार है जयपुर का, उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंडीगढ़ में सन 2016 में की। लड़के वालों ने जब अपने बेटे की शादी की तो एक मिसाल पेश की। उन्होंने शादी में दहेज नहीं लिया। इस बात की चर्चा वहां के लोकल अखबारों में और मीडिया में भी हुई। समाज के लोगों ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि बिना दहेज के शादी हुई। शादी के कुछ समय बाद पता चला कि लड़की को कुछ प्रॉब्लम होने लगी हैं।

न्याय चौपाल की कार्यपद्धति संवाद और समाधान पर आधारित है एवं अनायास की कोर्ट केस करने के विरुद्ध है

पता चला कि लड़की को बच्चा नहीं हो सकता। लड़के वालों ने काफी इलाज करवाया पर बात नहीं बनी। लड़के वाले कहने लगे कि हम तेरा प्रॉपर इलाज करवाते हैं पर लड़की कहने लगी कि पहले मुझे जयपुर जाना है, दो-चार महीने मैं वहां रहूंगी फिर इलाज शुरु करवा लूंगी। परंतु, लड़की ने जयपुर आकर ससुराल पक्ष पर केस दर्ज करवा दिया कि मुझे दहेज के नाम पर तंग करते हैं। केस वुमन सेल में चला गया फिर लड़की वाले न्याय चौपाल के संपर्क में आए। न्याय चौपाल टीम के कार्यकर्ता ने बताया कि लड़की के ताऊजी उसके संपर्क में है और सूत्रों से जानकारी ली गई तो यह सामने आया कि वह लड़की पैसे के चक्कर में है और वापस जाना नहीं चाहती। यह भी चाहती है कि मैं उन्हें जेल करवा दूं।

जब लड़के वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वह भी अब लड़की को नहीं रखना चाहते। वह भी तब जब इतनी बड़ी बात हो गई और वैसे भी उसको बच्चा नहीं होता। लड़की के बच्चादानी ही नहीं है। पहले तो ससुराल पक्ष के लोग यह सोचते भी थे कि चलो अगर बच्चा नहीं होता तो कोई बात नहीं हम बच्चा गोद ले लेंगे पर अब नहीं क्योंकि हमारे ऊपर इसने केस कर दिया है। लड़की वालों ने हमें जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा छुटकारा करवा दो अगर पैसे देने पड़ जाए तो वह भी दे देंगे। अभी यह केस निर्णायक मोड़ पर है और कानूनी औपचारिकताएं जारी हैं। ❑

11

यह पारिवारिक विवाद चंडीगढ़ इकाई ने सुलझाया

एक परिवार में सास और बहू की लड़ाई चल रही थी। इस घर में बहू कह रही थी कि मैं अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हूं। सास ने भी कहा कि बहू अगर अलग रहना चाहती है तो रहे हमें कोई एतराज नहीं है। परन्तु इस वजह से आपसी मनमुटाव और झगड़ा चल रहा था। न्याय चौपाल की टीम ने फिर दोनों पक्षों को अलग अलग तरीके से समझाया। बहू को कहा कि कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो सास-ससुर तुम्हारे बच्चों के अभिभावक के रूप में होंगे और तुम्हें भी अगर कल को कोई नौकरी करनी होगी तो तुम्हारे बच्चों को यही संभाल सकेंगे। यह बात बहू के दिमाग में बैठ गई। फिर जब अगली तारीख को कोर्ट में गए तो उन्होंने वहां पर रजामंदी कर ली और अपना केस वापस ले लिया। आज वह परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। ❑

> **सही समय और सही तरीके से कही बात अगर समझ में आ जाए तो विवाद समाधान सरलता से हो जाता है**

12

इस संपत्ति विवाद का चंडीगढ़ इकाई ने समाधान किया

दो भाइयों का मकान को लेकर विवाद चल रहा था। तीन मंजिल का मकान था। ग्राउंड फ्लोर पर एक भाई रहता था और पहली मंजिल पर दूसरा भाई रहता था। दोनों भाइयों के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा था। ऊपर की मंजिल में रह रहे भाई का आरोप था कि नीचे वाला भाई पानी ऊपर नहीं आने देता और नीचे वाले भाई का आरोप था कि ऊपर वाला भाई बाथरूम साफ नहीं करता और बाथरूम में पानी जमा रहता था। जिसकी वजह से नीचे सीलन थी और पानी भी छत में से टपकता था। यह मामला पुलिस स्टेशन तक चला गया।

आपसी बातचीत विवाद समाधान का प्रमुख स्रोत है

जब यह विषय न्याय चौपाल के संज्ञान में आया तो कार्यकर्ताओं ने अपने माध्यम से पुलिस स्टेशन में दोनों भाइयों में समझौता करवा दिया और यह निर्णय लिया कि दोनों भाई अपना अलग से पानी का कनेक्शन लेंगे और ऊपर के बाथरूम साफ रखेंगे और लीकेज भी ठीक करवाएंगे। इस समझौते को हस्ताक्षरित भी करवाया गया। यह विवाद बड़े ही सरल तरीके से सुलझा लिया गया। ❑

13

यह वैवाहिक विवाद चंडीगढ़ इकाई ने सुलझाया

एक पति और उसकी पत्नी में आपस में बहुत तनाव था। रोज लड़ाई झगड़ा रहता था। बात तलाक लेने तक पहुंच गई थी। फिर जब यह विषय न्याय चौपाल तक आया, तब इस विषय के तथ्य जानने की कोशिश की गई। तब यह

बात सामने आई कि पत्नी सारा दिन मोबाइल में अपनी मां से बात करती रहती थी और यह बात लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लड़का चाहता था कि लड़की अपनी मां से बात करे लेकिन कम करें। पति का मानना था कि पत्नी उसी तरीके से कार्य करती थी, जो उसकी मां और बहनें उसे सिखाती थी। पति के अनुसार, इस सारी लड़ाई की जड़ पत्नी की मां थी। छोटी-छोटी बातें भी पत्नी उसको बताती थी, फिर उसी प्रकार से काम करती थी, जो इसकी मां उसे कहती थी। फिर जब न्याय चौपाल कार्यकर्ताओं ने पत्नी से पूछा कि कोई और बात है कोई दहेज वगैरह की या लड़का दहेज मांगता है? लड़की ने मना कर दिया।

न्याय चौपाल कार्यकर्ताओं ने सारे विषय को समझते हुए, लड़की की माताजी से बात की। उन्होंने बताया कि आपकी लड़की और दामाद के बीच में बहुत तनाव है। बात तलाक तक पहुंच गई है और आप ही अपनी लड़की के घर को बचा सकती हैं। अगर आपको अपनी लड़की का घर बचाना है तो आप ही कुछ कर सकते हो और अगर घर में रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी। बड़ा ही सरल तरीका है। लड़के की एक शर्त है कि लड़की अपनी मां से फोन पर कम बात करें। जिस दिन हालात सुधर गए तो वह बात करने के लिए मना भी नहीं करेगा पर अभी आप खुद बात करना छोड़ दो, अपनी लड़की से फोन पर। लड़की की मां बहुत समझदार थी। उसने लड़की को घर बुलाया और समझाया कि तू कभी-कभार चुपके से फोन कर लिया कर, पर ज्यादा नहीं और लड़के के सामने तो बिल्कुल भी न किया करो वरना तुम्हारा तलाक हो जाएगा। इस बात को लड़की समझ गई और फिर उसने अपने पति को बोल दिया कि मैं अपनी मां से बात नहीं करूंगी।

न्याय चौपाल कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात लड़के के सामने रखी थी कि अगर तुम चाहो तो लड़की को हफ्ते में एक बार बात करने के लिए 15 मिनट दे दिया करो। लड़के ने अनुमति दे दी। बात सिर्फ लड़के को अहंकार की थी। आज दोनों अपने आप में खुश रह रहे हैं और उनकी तलाक वाली मंशा भी खत्म हो गई है। ❑

कई बार छोटी-छोटी बातें अहं की वजह से विवाद का रूप धारण कर लेती हैं

14

इस संपत्ति विवाद का समाधान चंडीगढ़ इकाई ने किया

एक परिवार में विधवा औरत व देवर में मकान को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद पुलिस एवं न्यायालय में बहुत समय से चल रहा था। करीब 8 वर्ष गुजर जाने तथा बहुत रुपये खर्च हो जाने की वजह से विधवा औरत बहुत दुखी थी। इस औरत ने न्याय चौपाल से सम्पर्क किया तथा मदद मांगी।

न्याय चौपाल कार्यकर्ताओं ने पहले औरत से विवाद का कारण पूछा। विधवा औरत ने बताया कि वह करीब 35 वर्ष पहले इस घर में विवाह करके आई थी। यह मकान उसके ससुरजी के नाम पर अलॉट हुआ था। ससुरजी तथा मेरे पति के साथ छोटा देवर हम इस घर में रहते थे। जब मैं इस घर में आई थी तब मेरा देवर 15 वर्ष का था। हमने अपने बच्चे की तरह पाला व पढ़ाया तथा कार मकैनिक बनाया तथा शादी की। हम अपने एक बेटे तथा दो बेटी के साथ आगे वाले कमरे में रहते थे तथा देवर पीछे वाले कमरे में रहता था। एक दिन मेरे ससुरजी का निधन हो गया, वह करीब 75 वर्ष के होंगे। मेरे ससुरजी के निधन के करीब 6 वर्ष बाद मेरे पति का भी देहांत हो गया। अब मैं अपने बेटे व बहू के साथ रह रही थी। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। फिर एक दिन अचानक मेरे देवर ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा तथा कहने लगा कि मेरे पिता ने इस घर की वसीयत (Will) मेरे नाम पर की थी तथा अब यह घर मेरे नाम पर हो गया है अत: घर खाली करो।

न्याय चौपाल के भरसक एवं दृढ़ प्रयत्नों से जटिल पारिवारिक संपत्ति विवाद के भी समाधान हो जाते हैं

परिवार, पड़ोसी व रिश्तेदारों ने समझाने की कोशिश की। अब तेरी भाभी बच्चों व पोते को लेकर कहा जाएंगी लेकिन मेरे देवर ने किसी की भी बात नहीं मानी। झगड़ा व लड़ाई तक बात आ गई, मेरे देवर ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने भी मेरे देवर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंत में पुलिस ने मुझे न्यायालय जाने को कहा। मैंने वकील किया तथा न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मेरे देवर ने झूठी वसीयत बनवाकर मकान अपने नाम करवा लिया था। करीब 8 वर्ष तक न्यायालय में केस चलता रहा। मैं अब थक चुकी थी और मेरी उम्र 65 वर्ष हो चुकी थी।

न्याय चौपाल कार्यकर्ताओं ने इस विधवा औरत की सारी कहानी सुनी तथा उसे विश्वास दिलाया कि वे कोशिश करेंगे। न्याय चौपाल कार्यकर्ताओं ने पहले उसके देवर से बात की तथा बहुत समझाया, परन्तु वह अभी भी नहीं मान रहा था। वह न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा था। फिर उसके रिश्तेदारों से सम्पर्क किया गया तथा दोनों पक्षों में समझौता करवाने की बात रखी।

दोबारा से देवर से बात की गई व समझाया गया कि वह भी बीमार रहता है तथा न्यायालय के फैसले में बहुत समय लग जाता है। सबको एक कोशिश करनी चाहिए कि दोनों में समझौता हो सकें। सुझाव दिया कि आप दोनों इसी घर का बंटवारा कर लो या अपनी भाभीजी को बंटवारे के हिसाब से आधी कीमत दे दो। लेकिन वह बंटवारा भी नहीं करना चाहता था। फिर हमने वसीयत (will) पर बात की और बताया कि अगर न्यायालय में उसकी वसीयत झूठी साबित हो गई तो उसको जेल भी हो सकती है। वह सोच लें, हम 10 दिन बाद भी बात कर सकते हैं। देवर ने फिर हमसे बात की कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आधी कीमत दे सकूं। उसने करीब 6 लाख रुपए देने को कहा, फिर हमने विधवा औरत व उसके बेटे से बात की, परंतु वह 12 लाख रुपए मांग रहे थे।

अब दोनों पार्टी समझौते तक आ चुकी थी, परंतु रुपए पर बात आ रूकी। दोनों से फिर से बात की तथा 8 लाख पर सहमति बनी। दोनों पक्षों के वकीलों से बात की तथा यह समझौता हुआ तथा दोनों पक्षों ने न्यायालय से केस वापस ले लिया।

आज दोनों परिवार अपने-अपने घर में रह रहे हैं तथा अब दोनों परिवार सुख-दुःख में आते जाते हैं। ❑

15

यह वैवाहिक विवाद चंडीगढ़ इकाई ने सुलझाया

एक लड़की जो कि त्वचा विशेषज्ञा (dermatologist) थी, उसकी शादी हड्डी के डॉक्टर (orthopaedician) से हुई। लड़की के माता-पिता हरियाणा में जाने-माने डॉक्टर थे और लड़के के पिता चंडीगढ़ में नौकरी करते थे और माता गृहिणी थीं। लड़के की दोनों बहनें शादीशुदा थीं।

जब लड़की शादी कर चंडीगढ़ में आई तो शुरू में सब ठीक रहा परंतु कुछ समय बाद उसके ससुर ने उसकी तनख्वाह मांगनी शुरू कर दी। लड़की को कुछ अटपटा लगा, उसने पति को भी बताया तो उसने कहा कि जब तुम्हें कुछ चाहिए हो तो पिताजी से मांग लेना। धीरे-धीरे सारे घर के काम का भी बोझ उस पर ही आ गया, फिर भी वह सब काम करके नौकरी पर जाती। जब भी कुछ चाहिए होता तो पति से कहती तो वह कहता कि पिताजी से मांग लो जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वेतन में से कुछ अपने लिए रख लेती तो भी सबको बुरा लगता। जब उसके बिटिया हुई तो भी बहुत तंगी से समय गुजारा। इस बीच लड़की के पिता काफी बीमार हो गए तो वह बच्ची को लेकर मायके गई। वहां पिता की बीमारी की वजह से जल्दी न आ सकी। अंत में पिता के देहांत पर भी ससुराल से कोई नहीं आया। यह सब देखते हुए और ससुराल में व्यवहार को याद कर, जब पति एक-दो बार लेने भी आया तो तब वह नहीं गई। इधर, घर बदलने के बाद सास का भी अचानक देहांत हो गया। लड़की जब अपना मन समझाकर ससुराल गई तो ससुर ने काफी भला-बुरा कहकर निकाल दिया कि उसी की वजह से सास की मृत्यु हुई। पति इन सब बातों में तटस्थ ही रहा।

जब यह विवाद न्याय चौपाल के पास आया तो लड़की को मायके में रहते तीन-चार साल बीत गए थे और सुलह-सफाई के कई प्रयत्न विफल हो चुके थे। लड़की काफी परेशान थी कि कम से कम एक बार अकेले में पति से मिलकर बात कर ले, परंतु उसका ससुर एवं ननद उसको मिलने ही नहीं देते थे। तब न्याय चौपाल

टीम उसके पति एवं ससुर से मिलने गए। वहां भी पति नहीं मिला, केवल ससुर मिला जिसने बहुत उग्र स्वभाव में कहा कि हमने अपने बेटे की शादी कर ली है, जाइए जो करना है कर लीजिए, हम तो तलाक-भत्ता कुछ भी नहीं देंगे।

इन चार-पांच सालों में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कई मुकदमे दायर किए हुए थे। न्याय चौपाल टीम ने जब ससुर का ऐसा रवैया देखा तो समझ गए कि सीधे बातचीत से विवाद-समाधान नहीं होगा और कोर्ट-कचहरी में तो बरसों लग सकते हैं। इस बीच एक केस की तारीख लग गई जिसमें दोनों पक्षों को पेश होना था, परंतु उसी दिन वकीलों की हड़ताल हो गई और कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं होना चाहता था। ऐसे में न्याय चौपाल टीम ने लड़की को समझाया कि वह स्वयं जज को चैंबर में मिलकर अपना सारा केस बता दे और उसे शीघ्र निर्णय देने का आग्रह करे। पहले तो लड़की थोड़ा झिझक रही थी, परंतु टीम के प्रोत्साहन देने से वह जज से मिली और अपना सारा केस बयान कर दिया। जज ने उसी समय उसके पति को बुलाने का आदेश दिया जो कि तारीख के सिलसिले में उस दिन वहीं था। पति को सुनने के बाद, जज ने उसे समझाया कि जल्द फैसला करना ही आप दोनों के लिए उचित है। समय व्यर्थ न करते हुए आपसी सहमति से तलाक ले और गुजर भत्ता राशि देकर दोनों आराम से अपना जीवन व्यतीत करो और अपनी बच्ची के बारे में भी सोचते हुए कुछ राशि उसके नाम भी देकर विवाद खत्म करो। इस तरह समझाने पर पति को भी लगा कि आपसी फैसला करना और एक बार राशि देकर विवाद समाप्त करना ही ठीक होगा।

कठिन विवादों में कई बार लकीर से हटकर अलग कार्यपद्धति अपनानी पड़ती है

अगली कुछ पेशियों में न्याय चौपाल टीम अप्रत्यक्ष रूप से लड़की को समझाती रही और अंत में 40 लाख रुपए देकर पति ने आपसी तलाक के लिए अर्जी भी दे दी, जिसमें से 10 लाख रुपए बच्ची के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट में दे दिए और दोनों पक्षों ने अपने सारे केस वापस लेकर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ❑

16

इस वैवाहिक विवाद का समाधान फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने किया

एक दंपती जिनकी शादी को लगभग एक वर्ष हुआ था, उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया। लड़की फरीदाबाद की थी और उसकी शादी (सूर्यविहार) गुड़गांव में रहनेवाले लड़के से हुई थी। लड़का बीटेक था और सर्विस करता था और लड़की एमबीए (फाइनेंस) थी, परंतु हाउसवाइफ थी। शादी के बाद शुरू से ही दोनों में तालमेल की कमी रही और छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने शुरू हो गए। लड़की ससुराल में रहना नहीं चाहती थी और परिणामत: वह अपने मायके फरीदाबाद आ गई। लड़की ने ससुराल जाने से मना कर दिया और वीमेन सेल में शिकायत दर्ज करा दी। लड़की के पिता न्याय चौपाल के संपर्क में आए।

न्याय चौपाल की टीम ने दानों पक्षों की अलग-अलग बात सुनी और फिर उसके बाद अग्रवाल सेवा-सदन, फरीदाबाद में दोनों पक्षों की एक बड़ी बैठक न्याय चौपाल की मध्यस्थता में हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल की टीम के अतिरिक्त दोनों पक्ष और समाज के कुछ अन्य ऐसे व्यक्ति जिनका किसी न किसी रूप में दोनों पक्षों पर कुछ प्रभाव था, उन्हें भी बीच में लिया गया। आपसी तालमेल न होने के कारण न्याय चौपाल टीम को भी आभास हुआ कि शायद लड़का-लड़की साथ ज्यादा देर न रह पाएं। अंत में, नतीजा यह हुआ कि वीमेन सेल में लड़की वालों ने जो 40 लाख रुपए के खर्चे वापसी जो शिकायत दर्ज की थी वह समाज की मध्यस्थता से 11 लाख रुपए में सहमति बन गई।

नैतिक अपेक्षाओं का मूल्यांकन न्याय चौपाल की आपसी सहमति पर आधारित कार्यपद्धति से भिन्न है

इसके बाद लड़का-लड़की दोनों की आपसी सहमति से तलाक का केस कोर्ट में दर्ज कराया गया। 6 लाख रुपए का चेक लड़की के पिता को पहले दिया, उसके बाद दूसरी तारीख पर 5 लाख का चेक और दे दिया गया। परिणामस्वरूप कोर्ट से

ऑर्डर आ गया और तलाक हो गया। इस प्रकार न्याय चौपाल के माध्यम से इस विवाद का समाधान हुआ। ❑

17

यह वैवाहिक विवाद फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने सुलझाया

एक दंपती जिनकी शादी को लगभग दो वर्ष हुए थे, उनके मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद का कारण था—सास-बहू में आपसी अनबन। लड़का इकलौता बेटा था, जिसके कारण मां, बेटे को अपने से अलग भी नहीं होने देना चाहती थी लेकिन बहू सास के साथ नहीं रहना चाहती थी। परिणामस्वरूप लड़की अपने ससुराल दिल्ली से अपने मायके फरीदाबाद वापस आ गई। लड़की के पिता न्याय चौपाल के कार्यकर्ता के परिचित थे। उन्होंने पूरा विषय जब न्याय चौपाल के कार्यकर्ता को बताया तब विवाद को समझने और उसके समाधान के लिए न्याय चौपाल की टीम ने दोनों पक्षों के साथ लड़का-लड़की से अलग-अलग कई बैठकें कीं और फिर दोनों के साथ एक संयुक्त बैठक की।

> **दांपत्य सौहार्द बनाए रखने के लिए न्याय चौपाल के असाधारण एवं अनभ्यस्त सुझाव भी कारगर सिद्ध हो रहे हैं**

शुरू में लड़के की मां इस बात पर राजी नहीं थी कि बेटे-बहू को अपने से अलग किया जाए, लेकिन अलग-अलग बैठकों में यह स्पष्ट हो चुका था कि लड़का-लड़की में आपस में कोई बड़ा विवाद नहीं है और वह दोनों एक साथ मां-बांप से अलग रहने के इच्छुक हैं। तब लड़के की मां को इस बात के लिए राजी किया गया और उसे समझाया गया कि इसी में सबकी भलाई है, अन्यथा घर बिखर जाएगा। इसके बाद बच्चों को गुड़गांव में एक फ्लैट लेकर दिया गया, जिसमें वह दोनों पति-पत्नी आराम से रहने लगे। इस बात को

अब काफी समय हो चुका है और दोनों परिवारों से न्याय चौपाल लगातार संपर्क बनाए हुए है। अभी तक किसी प्रकार का कोई विवाद सामने नहीं आया है।

इस प्रकार न्याय चौपाल की मध्यस्थता से एक और विवाद का अंत हुआ एवं एक परिवार टूटने से बच गया। ❑

18

यह वैवाहिक विवाद फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने सुलझाया

एक दंपती जिनकी शादी को लगभग 20 वर्ष हो चुके थे और दो बड़े-बड़े बच्चे भी थे। परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया। वह परिवार न्याय चौपाल के कार्यकर्ता का परिचित था। जब उनके संज्ञान में यह विषय आया तब उन्होंने उस व्यक्ति से बात की और मामले की तह में जाने पर पता चला कि विवाद का मुख्य कारण लड़के का कुछ बुरी संगति और बुरी आदतों में पड़ जाना था। लड़का पिछले कुछ समय से बहुत अधिक शराब पीने लगा था और शराब पीकर घर आने पर पत्नी के साथ मारपीट भी कई बार कर चुका था। कुछ दिनों से कुछ गलत लोगों की संगति के कारण यह सब हुआ था।

कठिन परिस्थितियां भी आपसी समझदारी एवं सूझ-बूझ से सरल बनाई जा सकती हैं

जब यह विषय सामने आया तब न्याय चौपाल के माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास किया गया क्योंकि विवाह को 20 वर्ष हो चुके थे और बच्चे भी बड़े-बड़े थे। विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया और यह प्रयास किया गया कि मामले को बातचीत से हल किया जाए क्योंकि यदि मामला कोर्ट में चला गया तो दोनों के अहं की समस्या खड़ी हो जाएगी। अत: दोनों से अलग-अलग बैठकें की गईं, बच्चों से भी बात कर मामले को समझने का प्रयास किया गया। लड़के को

समझाया कि उसका भरा-पूरा परिवार उसकी गलत संगति और आदतों के कारण बिखर जाएगा। धीरे-धीरे करके उसकी शराब की लत छुड़वाई गई और उसका गलत लोगों के साथ उठना-बैठना बंद कराया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि घर में उसका व्यवहार बदल गया और उसने पत्नी के साथ झगड़ना और मारपीट करना बंद कर दिया।

न्याय चौपाल निरंतर उनके संपर्क में हैं और आश्वस्त है कि उन दोनों के बीच अब सब सामान्य है। ❑

19

यह पारिवारिक विवाद फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई के सहयोग से सुलझाया गया

तीन भाई अपनी मां के साथ नहर पार फरीदाबाद में एक घर में रहते थे। बड़ा भाई शादीशुदा था व दो भाई कुंवारे थे। मां दोनों छोटे बेटों के साथ रहती थी। बड़ा भाई जो कि विवाहित था और ड्राईवर का काम करता था, वह भी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ उसी घर में अलग रहता था। मकान मां के नाम था, पिता कानपुर देहात में रहते थे। दोनों कुंवारे भाइयों का अपनी भाभी व भाई से झगड़ा रहता था। वे सब छोटी-छोटी बातों पर आपस में झगड़ते रहते थे। बात इतनी बढ़ गई कि भाभी ने अपने देवरों के खिलाफ तंग करने व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सभी को थाने बुलाया व आपसी समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।

परस्पर संवाद और सूझ-बूझ से न्याय चौपाल जटिल विवादों को भी निपटाकर प्रबल निर्णय दे सकता है

किसी मित्र के माध्यम से जब यह केस न्याय चौपाल के संज्ञान में आया तो उनके पिता को कानपुर से बुलाया गया तथा उनकी माता और तीनों भाइयों को बुलाकर उनसे अलग-अलग बात की गई और मामले की तह तक जाने पर यह समझ में

आया कि बड़े लड़के को परिवार से अलग करना पड़ेगा। सभी साथ में नहीं रह सकते क्योंकि भाभी और देवरों का झगड़ा बहुत बढ़ चुका था। भाभी द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने से देवर और भी अधिक उग्र हो गए थे।

सभी को साथ बिठाकर इस बात पर सहमत किया गया कि मकान की मार्केट कीमत रखकर सभी को हिस्सा दे दिया जाए और मकान के चार हिस्से करके एक हिस्से के पैसे बड़े भाई को देने पर छोटे भाई सहमत हो गए। मकान दोनों छोटे भाई व माता-पिता के पास रहेगा। बड़े भाई को उसके हिस्से के पैसे दो महीने में दे दिए जाएंगे और दो महीने तक उसे घर में रहने की भी इजाजत दे दी, ताकि वह अपने लिए दूसरा घर तलाश कर सके। इस बारे में एक एग्रीमेंट सभी से हस्ताक्षरित कराया गया और एक affidavit लेकर थाने में दिया गया तथा पूरे परिवार की सहमति से थाने से शिकायत वापस ली गई।

इस प्रकार न्याय चौपाल की पहल से एक पारिवारिक विवाद का अंत हुआ और एक मामला अदालत जाने से बच गया। ❑

20

यह पारिवारिक एवं दंपती विवाद फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने सुलझाया

एक डॉक्टर दंपती जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष थी, महिला रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर एवं पति प्राईवेट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था। इन दोनों के बीच लगभग पिछले 10 वर्ष से आपसी मनमुटाव के चलते झगड़ा चल रहा था। एक दिन लेडी डॉक्टर ने अपनी सास यानी कि डॉक्टर की माताजी से ज्यादा झगड़ा कर लिया और उनको अपशब्द कह दिए, जो पति को बर्दाश्त नहीं हुए, जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। उस दिन के बाद (लगभग दो वर्ष से) दोनों अलग रह रहे थे। इसके बाद पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक का केस अदालत में डाल दिया। लगभग एक वर्ष से केस चल रहा था।

डॉक्टर, न्याय चौपाल के संपर्क में आए तो न्याय चौपाल के कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श हुआ। न्याय चौपाल की टीम ने पूरे मामले को समझा, मामला थोड़ा पेंचीदा था क्योंकि (1.) विवाद पढ़े-लिखे प्रोफेशनल के बीच में था, (2.) दंपती की आयु लगभग 60 वर्ष थी।

इसलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए काफी सावधानी से व समझदारी से काम किया गया। डॉक्टर के वकील से बात की गई और एडीजी (एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज) साहब की भी मदद ली गई। डॉक्टर दंपती से अलग-अलग बात की। कई दौर की बातचीत के बाद यह साफ हो गया कि तलाक ही एकमात्र विकल्प है क्योंकि कोई भी साथ रहने को कतई भी तैयार नहीं था। डॉक्टर पति ने पत्नी की सभी मांगें पूरी कर दीं। लेडी डॉक्टर को एक मकान, गाड़ी व 50 लाख रुपए की राशि देने को डॉक्टर तैयार हो गया। पुराना केस वापस लेकर एक नया आवेदन-पत्र दोनों की सहमति से दिया गया। इसके बाद दोनों का तलाक हो गया। और अब दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। इस प्रकार एक कई वर्ष पुराने विवाद का अंत न्याय चौपाल की मध्यस्थता से हो पाया। ❑

कानूनी एवं सामाजिक दबाव से भी विवाद सुलझाए जा सकते हैं

21

इस पारिवारिक विवाद का समाधान शामली (उत्तर प्रदेश) इकाई ने किया

पत्नी रूबिका और पति तबरेज के बीच विवाद हो गया। तबरेज ने आरोप लगाया कि रूबिका अपने जीजा के साथ संबंध रखती है। जीजा से फोन पर खूब बात करती है। परिवार पर ध्यान कम देती है।

न्याय चौपाल के संज्ञान में यह मामला आया तो रूबिका ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। खामखां वहम है तबरेज को। बिना मतलब मेरे पर आरोप लगा रहा है। दो बार बैठकें हुईं। रूबिका के जीजा को भी बुलाया गया। उसके जीजा ने कहा कि ये तो मेरी बहन की तरह है। उसने कहा कि कोई इसको गलत तरीके से मिसगाइड कर रहा है। हमने तबरेज को समझाया कि गलतफहमी मन से निकाल दो। वह मान गया। अंततः दोनों में फैसला हो गया। वे दोनों अब ठीक से रह रहे हैं। ❑

22

यह पारिवारिक विवाद शामली (उत्तर प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

पत्नी गणिता और पति अरुण के बीच विवाद हो गया। गणिता से अरुण ने दहेज मांगना शुरू कर दिया और इसको लेकर उसे परेशान करना प्रारंभ कर दिया। गणिता को उसके पति, जेठ, ननद सब तंग करने लगे। गणिता के पिता का निधन हो चुका था, सो उसके मायके वाले परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी।

न्याय चौपाल के संज्ञान में यह मामला आया तो टीम ने अरुण को कहा कि इस तरह से परेशान करोगे, तो मुकदमा होगा, जेल जाना पड़ेगा। गणिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस पर जबरदस्ती दबाव बना रहे हो, ये कहां से दहेज देगी और दहेज मांगना भी कानूनी अपराध है? बहुत प्रयासों से टीम ने उसे कई बार समझाया। अंततः वह समझ गया।

> **संवाद से मनमुटाव दूर हो सकते हैं एवं न्याय चौपाल का कार्य विवादियों को बातचीत के लिए प्रेरित करना है**

छह बार बैठकें होने के बाद इस विवाद का फैसला हो गया। वे लोग अब आराम से रह रहे हैं। ❑

23

इस विवाद को जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

जबलपुर की एक लड़कीका विवाह 2020 में कोरोना काल में नागपुर (महाराष्ट्र) स्थित रामटेक में एक लड़के के साथ हुआ था। लड़के ने इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री प्राप्त की थी तथा पुणे की एक कम्पनी में अपनी सेवाएं दे रहा था। लड़की ने भी वाणिज्य स्नातक की उपाधि के साथ-साथ एमबीए किया था और पुणे की एक कम्पनी में लेखा विभाग में कार्य कर रही थी। परिवार में पिता की मृत्यु के बाद लड़के की मां, उसकी बहन जो स्वयं एक आर्किटेक्ट थी, मुंबई में अपने बेटी और दामाद के साथ रहती थी। लड़के ने अपनी शादी के दौरान विविध खर्चों के लिए पांच लाख रुपए का ऋण लिया था। उसका रामटेक में बिल्कुल ही छोटा सा पैतृक घर था। सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ही पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी थी।

शादी के बाद लड़का और लड़की पुणे में एक फ्लैट में रहने लगे। शादी के लगभग दस महीने के बाद लड़की अपने मायके में पहुंची और पिता से अपने पति के बारे में बहुत सी शिकायतें कीं, जिसमें कि मुख्य रूप से पति उसकी तन्ख्वाह के पैसे खर्च करवाता था और दिन-रात वह मोबाइल में व्यस्त रहता था और उसे समय नहीं देता था। इन सब शिकायतों की वजह से लड़की के पिता पुणे पहुंचे और अपनी बेटी को वापस जबलपुर लाए। उस वक्त लड़की ने अपने गले का मंगलसूत्र निकालकर लड़के को वापस किया और लड़के ने भी लड़की के पिता द्वारा दी गई अपनी अंगूठी लौटा दी।

लड़की के मायके आने के पश्चात् उसके पिता न्याय चौपाल के कार्यकर्ता के संपर्क में आए, जबकि वह एक अन्य वकील के पास तलाक के कागजात तैयार करने हेतु बोल आए थे। न्याय चौपाल के कार्यकर्ता ने उनसे इन बातों पर चर्चा करते हुए कहा कि केवल आप अपनी बेटी की बातों पर विश्वास कर इस निर्णय पर पहुंचे हैं, जो कि सही नहीं है। लड़की ने पिता को यह भी बताया था कि लड़के ने लड़की के साथ मार-पीट की। न्याय चौपाल टीम ने लड़की के पिता से कहा कि केवल अपनी बेटी के कथन पर भरोसा कर उसकी बातों का विश्वास कर निर्णय लेना कतई

ठीक नहीं है, दोनों पक्षों को जानना और समझना भी जरूरी है और बिना सोचे-समझे एकदम से तलाक का केस लगाना उचित नहीं है। तलाक की कार्यवाही से असहमति बताते हुए लड़की को भी दूसरे दिन साथ लाने को कहा। लड़की को भी समझाया कि जिस प्रकार से झूठ और असत्य बातें लिखकर वह केस तैयार कर रही है, इसमें यह जरूरी है कि उसकी सारी बातों को प्रमाणित करना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार से तलाक में अपनी सास का नाम डाल रही है, जबकि शादी के बाद सास कभी उसके साथ रही ही नहीं। इस प्रकार से झूठा केस तैयार कर वह स्वयं भी फंस सकती है।

लड़की के साथ वार्तालाप में न्याय चौपाल टीम को कुछ संदेह हुआ। लड़के का मोबाइल नम्बर मांग कर तत्पश्चात् लड़के से बात की गई। लड़के की बातों से कुछ अलग ही तथ्य सामने नजर आए जिसके अनुसार लड़के को मिलने वाली आय से लड़की खुश नहीं थी। उसकी महत्वाकांक्षा ही बहुत ज्यादा थी तथा मारपीट के मामले में उसने यह बताया कि मारपीट के वक्त खुद लड़की ने पहले उसको चांटा मारा था। इस बावत लड़की ने भी बाद में स्वीकार किया। पुणे में लड़का और लड़की दोनों अकेले ही साथ रहते थे और कोई भी अन्य वरिष्ठ सदस्य उनके साथ न होने से उन पर कोई नियंत्रण नहीं था।

न्याय चौपाल कार्यकर्ता ने अपने मित्रगण जो कि पुणे में रहते थे, उनसे मदद ली और अन्य जानकारी प्राप्त की। एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि लड़की के कार्यालय में ही एक उसके सहकर्मी के साथ लड़की की निकटता बढ़ गई थी, जिस वजह से लड़की लड़के से छुटकारा पाना चाह रही थी और यह मुख्य वजह हमें समझ आई। लड़की के कंपनी कार्यालय में जाकर उक्त लड़की के सहकर्मी की पूरी जानकारी प्राप्त की। जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति का विवाह हो चुका था और केवल वह लड़की को बरगलाने का कार्य कर रहा था। सारी स्थिति से जब लड़की को अवगत कराया तो उसे अपनी भूल का अहसास हुआ और वो दोबारा लड़के के साथ रहने को राजी हो गई।

लापरवाही और आधी-अधूरी जानकारी से कभी-कभी छोटा सा विवाद भी गंभीर रूप धारण कर सकता है

इस प्रकरण में मुख्य रूप से से उनके विवाद के बढ़ने का कारण यह भी समझ में आया कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति उनके

साथ नहीं रहता था। अतएव लड़के की माताजी जो कि अपनी बेटी के साथ रहती थी, उनसे निवेदन किया कि वह अधिकतम अपने पुत्र के साथ रहा करें। न्याय चौपाल कार्यकर्ता निरंतर उन सबसे संपर्क बनाए हुए है। ❑

24

यह विवाद जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

राम ने श्याम से 80,000 रुपए नगद उधार लिया था। जिस पर प्रति माह 5 प्रतिशत की ब्याज से रकम लौटाने बावत् लिखित रूप से अनुबंध किया गया था। 6 माह के लिए ली गई राशि का एक अग्रिम चेक भी बतौर सुरक्षा के रूप में दिया था। राशि प्राप्त न होने की दशा में श्याम ने धारा 138 के तहत् कानूनी मुकदमा हेतु नोटिस भेजा। नोटिस प्राप्त होने के बाद राम न्याय चौपाल के कार्यकर्ता के संपर्क में आया तो पता लगा कि राम और श्याम दोनों को न्याय चौपाल कार्यकर्ता जानते थे।

सूझ-बूझ और व्यक्तिगत हस्तक्षेप से जटिल विवाद भी सुलझ सकते हैं

कुछ समस्याओं की वजह से राम उक्त पैसों के साथ-साथ ब्याज देने में असमर्थ था। राम की आर्थिक स्थिति कुछ व्यावसायिक कारणों से बेहद ही दयनीय थी। न्याय चौपाल की टीम ने श्याम से इस बावत् चर्चा करते हुए कहा कि अचानक हुए इस हालात में केवल आप मुकदमा लगा सकते हैं और चूंकि राम के पास चाहकर भी कुछ देने के लिए नहीं है इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें इस विषय का हल हो सके। आपत्तियां सभी पर आती हैं, इसलिए समझने की आवश्यकता है। मुकदमे के बाद पैसा न देने की स्थिति में तुम ज्यादा से ज्यादा उसे जेल करा सकते हो, इसमें तुम्हारा आर्थिक लाभ तो कुछ नहीं होगा। हमारी बात को ध्यान में रखते हुए उसने सम्पूर्ण ब्याज माफ कर दिया और साथ ही मूलधन के 80,000 रुपए में

से केवल 50,000 रुपए भी मिल जायेंगे तो ठीक होगा, यह प्रस्ताव हमारे सामने रखा। प्रश्न था अब वो 50,000 रुपए कहां से दिए जाए तो न्याय चौपाल टीम ने अपने सौजन्य से एक व्यक्तिगत मित्र के पास राम को 6000 रुपए माह की एक नौकरी लगवाई और उसे कंपनी के मालिक को 50,000 रुपए अग्रिम देकर यह मामला निपटाया। न्याय चौपाल टीम के कार्यकर्ता के मित्र ने हर माह उसकी तन्ख्वाह से 3 हजार रुपए प्रतिमाह कटौती कर उसे सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार यह मामला कोर्ट कचहरी जाने से रोक लिया गया। ❑

25

यह ऋण संबंधी विवाद जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

श्री कुमार ने इंडियाबुल्स कंपनी से 1 लाख 80 हजार रुपए का व्यक्तिगत ऋण लिया था। कोरोना समय के चलते कोई आर्थिक आय न होने की स्थिति में लोन की किश्तों का भुगतान समय पर नहीं कर पाए। कंपनी ने उसके द्वारा बतौर सुरक्षा के रूप में रखे चेक को कंपनी द्वारा बैंक से अनादरित कर कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया था। न्याय चौपाल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से कंपनी के प्रबंधन के साथ बैठक कर जो लोन राशि बची थी, उसमें विवाद समाधान कर दिया गया। बैंक को समझाया गया कि उसकी स्थिति बेहद खराब है और वह पैसा चुका नहीं पाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में यह मुकदमा चलता रहेगा और वह जेल जाएगा। इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा।

जटिल पारिवारिक संपत्ति संबंधी विवाद आपसी सूझ-बूझ एवं सहमति से सुलझाया गया

अतएव मामले के समाधान के रूप में न्याय चौपाल कार्यकर्ताओं ने सहयोग कर तथा श्री कुमार ने कुछ गहने बेचकर मूलधन की वापसी का इंतजाम किया और इस प्रकार से कोर्ट के बाहर ही इस मामले का समाधान किया गया। ❑

26

यह संपत्ति संबंधी जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

महाराष्ट्र के यवतमाल स्थित श्री राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, 1 बेटा और 2 बेटियों के बीच उपजे संपत्ति विवाद में सभी पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समझौता कराया गया, जिसमें उक्त मकान संपत्ति को बेचकर लगभग 72 लाख रुपए प्राप्त किए। स्व. श्री राम की पत्नी को 15 लाख रुपए तथा दोनों बहनों को प्रति 5 लाख रुपए के साथ समझौता किया गया और स्व. श्री राम की पत्नी की इच्छानुसार तीनों बच्चों में से किसी के पास भी रहने बावत् सहमति प्रदान की गई।❑

पेचीदा संपत्ति विवाद भी सूझ-बूझ और व्यक्तिगत भागीदारी से सुलझाए जा सकते हैं

27

इस संपत्ति संबंधी विवाद को जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

एक ऑटोचालक ने पंजाब नेशनल बैंक से एक ऑटो ऋण प्राप्त किया था। कोरोना के समय में वह अपनी नियमित किश्तें जमा नहीं कर पाया। इस वजह से बैंक द्वारा उसके खिलाफ 138 के तहत् न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। न्याय चौपाल के कार्यकर्ताओं ने पहल करते हुए बैंक मैनेजर से मुलाकात कर उस प्रकरण के समाधान हेतु प्रार्थना की। ऑटोचालक की वित्तीय हालत बहुत दयनीय थी, जिसका ऑटो

कठिन समय में सहयोग एवं संवाद से विवाद समाधान करना अति आवश्यक है

भी बैंक द्वारा सीज कर लिया गया था। उस स्थिति में उसका घर परिवार बहुत मुसीबत में आया था। बैंक से निवेदन कर न्यायालीय प्रकरण को वापस ले लोन का आंशिक ब्याज माफ करते हुए लोन को restructure किया गया। जिससे कि उक्त गरीब ऑटोचालक को राहत प्रदान की गई। स्वयं बैंक प्रबंधक ने भी न्याय चौपाल के कार्यों की प्रशंसा करते हुए सहयोग प्रदान किया। ❑

28

इस विवाद को फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने सुलझाया

एक दंपती जिनके विवाह को महज 8-9 महीने हुए थे। लड़का बल्लभगढ़ में रहता था और लड़की बहादुरगढ़, जिला–झज्जर से थी। लड़की पीएचडी थी और लड़का बीटेक था। लड़का प्राइवेट जॉब करता था और लड़की हाउसवाइफ थी। लड़की अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। लड़की शुरू से ही ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाई। लड़की थोड़े खुले विचारों की थी, अपने सास, ससुर और पति से भी उसकी नहीं बनती थी, न ही वह किसी का सम्मान करती थी। इस कारण से न तो ससुराल वाले उसे अपने साथ रखना चाहते, न ही लड़की ससुराल में रहना चाहती थी। परिणामत: लड़की अपने मायके चली गई।

लड़के के पिता न्याय चौपाल कार्यकर्ता के संपर्क में आए तो उसके बाद दोनों पक्षों के साथ समाज के कुछ लोगों के साथ बैठक हुई। लड़की के पिता 40 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसे बाद में उन्होंने 20 लाख कर दिया। लड़के के पिता कम पैसों में फैसला चाह रहे थे।

जटिल और न सुलझनेवाले विवादों को पारस्परिक संवाद (रजामंदी) से निपटाना ही न्याय चौपाल का प्रमुख उद्देश्य है

अंतत: 8 लाख रुपए में फैसला हो गया एवं आपसी सम्मति से तलाक की विधिक औपचारिकताएं शेष हैं। ❑

29

यह विवाद फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई के सहयोग से सुलझाया गया

फरीदाबाद की एक लड़की की लुधियाना (पंजाब) में शादी हुई। लेकिन शुरू से ही लड़की ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाई और वह अपने मायके फरीदाबाद वापिस आ गई। ससुरालवाले ही उसे फरीदाबाद छोड़कर गए। लड़की के पिता न्याय चौपाल के कार्यकर्ता के परिचित थे। जब उन्होंने सारा मामला चौपाल के कार्यकर्ता को बताया तो उन्हें न्याय चौपाल टीम ने सलाह दी कि चूंकि अभी शादी को बहुत कम समय हुआ है और लड़की ससुराल में बहुत ही कम रही है इसलिए एक बार लड़की के पिता को उसे दोबारा ससुराल छोड़कर आना चाहिए और वहां जाकर उसके ससुराल वालों से भी बात करनी चाहिए।

लेकिन लड़की के पिता जब लड़की को लेकर लुधियाना गए तो लड़के के पिता ने उस लड़की को घर में रखने से मना कर दिया और जबरदस्ती करने पर उसने वहां पुलिस बुला ली। परिणामस्वरूप लड़की को वापस फरीदाबाद लाना पड़ा।

लड़के के पिता का कहना था कि उन्होंने अपने लड़के को बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई वास्ता नहीं है।
लड़की के पिता तलाक के लिए 40 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मध्यस्थ के माध्यम से बात की गई। लड़की के वापस ससुराल जाने की संभावना कम थी, इसलिए आपसी सहमति से तलाक की कोशिश की गई।

न्याय चौपाल की मध्यस्थता एवं संवाद से एक जटिल विवाद भी सरलता से सुलट जाता है

अंतत: 18 लाख रुपए में फैसला हो गया। तलाक का ऑर्डर कोर्ट से भी आ चुका है। ❑

30

इस नौकरी संबंधी विवाद का समाधान रोहतक (हरियाणा) इकाई ने किया

कर्मचारी और विश्वविद्यालय के बीच का विवाद था। कर्मचारी पदोन्नति को लेकर विश्वविद्यालय के साथ झड़प थी। इस वजह से कर्मचारी ने कोर्ट केस किया हुआ था कि समय से उसकी पदोन्नति नहीं कर रहे हैं।

जटिल नियम और विनिमय सही भाव से समझाने से आपसी मतभेद दूर किए जा सकते हैं

न्याय चौपाल टीम द्वारा कर्मचारी को सारे रूल-रेगुलेशन समझाया गया। कर्मचारी ने अपना केस वापस ले लिया। उसकी पदोन्नति हो गई। समाधान की यह प्रक्रिया ऑनलाइन और फोन पर बातचीत के द्वारा संपन्न हुई। ❑

31

यह पारिवारिक विवाद रोहतक (हरियाणा) इकाई के सहयोग से सुलझा

भाई-बहन के बीच विवाद का मामला था। ये रोहतक के निवासी थे। बहन चाहती थी कि उसको घर की संपत्ति का बराबर हिस्सा मिले और भाई ऐसा नहीं चाहता था। इस बात को लेकर वे लड़ते थे।

न्याय चौपाल की टीम ने सामाजिक स्तर पर पहल की, उनको समझाया तो वो उस बात को मान गए

दोनों को बुलाकर न्याय चौपाल की टीम ने छह बार बैठकें की, अकेले और साथ। इनके माता-पिता से भी विचार किया गया और पाया गया कि वे लड़की को आधा हिस्सा देना चाहते थे। न्याय चौपाल की टीम ने समझाया और उदाहरण दिया कि लड़की भी हिस्सा ले सकती है, और उसका बराबर का हक है। अंत में जब दोनों को समझ में आया कि लड़ाई-झगड़े या कोर्ट केस का किसी को भी लाभ नहीं है, तब संयुक्त बैठक कर समस्या का समाधान किया गया। इस बात को दोनों मान गए और दोनों को उनका बराबर का हिस्सा मिला। अब वे सही से रह रहे हैं। ❑

32

यह नौकरी संबंधी विवाद रोहतक (हरियाणा) इकाई ने सुलझाया

यह कर्मचारी और विश्वविद्यालय के बीच का मामला था। कर्मचारी ने फेसबुक पर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लिख दिया था, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी ने मानहानि का दावा कर कर्मचारी पर केस कर दिया था।

सही-गलत का भेद न होने से विवाद उत्पन्न होते हैं, जो संवाद से सुलझाए जा सकते हैं

न्याय चौपाल टीम ने काफी पहल करके कर्मचारी को समझाया कि जहां आप नौकरी कर रहे हो, वहां आप सही से रहें। न्याय चौपाल की मध्यस्थता से इस मामले में कर्मचारी और विश्वविद्यालय; दोनों ने केस वापस ले लिया। ❑

33

यह वैवाहिक विवाद शामली (उत्तर प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

नुसरत का अपने ननद से झगड़ा होता था। इसी को लेकर इसके पति इकबाल ने नुसरत को धमका दिया। इसके बाद थोड़े दिन पति-पत्नी के बीच अलगाव रहा। तलाक तो नहीं हुआ था, लेकिन आपस में अलग-अलग रहने लगे थे।

नुसरत के पिताजी ने न्याय चौपाल के समक्ष अपनी बात रखी। तब नुसरत के पति इकबाल को न्याय चौपाल टीम ने बुलाया। इनकी ननद और इनके रिश्तेदारों को भी बुलाया गया। पता चला कि ननद फालतू बात करती है। दोनों के परिवारवालों को समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ बैठाया। उन्हें अच्छे-बुरे के बारे में समझाया गया कि देखो, मुकदमा हो गया तो फिर ठीक से नहीं रह पाओगे।

समस्याओं को सामाजिक दायरे में सुलझाने के लिए, न्याय चौपाल को विविध प्रकार के लोगों की सहायता लेनी पड़ती है

नुसरत को कहा कि आपके पास बच्चे हैं। मिलकर रहिए। इकबाल को भी समझाया कि विवाद बढ़ने पर परेशानी में फंस जाएंगे। किसी ने रिपोर्ट कर दी तो जेल चले जाएंगे। दोनों मान गए। डेढ़ महीने में 3-4 बार विस्तृत बैठकें की गईं। अंत में इस विवाद का समाधान हुआ। नुसरत और इकबाल अब अपने परिवार सहित आराम से रह रहे हैं। न्याय चौपाल टीम निरंतर उससे संपर्क बनाए हुए हैं। ❑

34

इस पारिवारिक विवाद को शामली (उत्तर प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

पत्नी पिंकी और पति मोहन के बीच झगड़े होते थे। इस मामले में पिंकी का रोल कम था। उसकी मां का दखल ज्यादा था। बार-बार घर में दखलंदाजी करती थी। बार-बार पूछताछ करती रहती थी। पिंकी ने अपने देवर, ननद सबके बारे में आवेदन दे दिया कि सबने मुझे मारा है। इस मामले में न्याय चौपाल टीम ने उसकी मां को बुलाया और पूछा कि आप जो पिंकी का घर बिगाड़ रही हो, इससे क्या मिलनेवाला है। अगर पति ने उसको छोड़ दिया तो क्या आप उसे अपने घर में रखोगी। उसे समझाया गया कि उसे परिवार में ठीक से रहने दो।

छोटी-छोटी सी दखलंदाजी से दांपत्य जीवन में दरार आ सकती है

न्याय चौपाल के कार्यकर्ता समाज के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ दोनों परिवारवालों के साथ बैठे। पिंकी की मां को कहा कि आप पिंकी से एक महीना बात नहीं कीजिए। उसके रोजाना के काम में हस्तक्षेप नहीं कीजिए। अपना फोन एक महीना बंद रखिए। मां भड़का रही थी। मां समझ गई तो फिर दंपती का आपस में सामंजस्य बन गया। न्याय चौपाल टीम पांच बार बैठी तो सवा महीने के अंदर फैसला हो गया। ❑

35

इस ऋण संबंधी विवाद का समाधान जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने किया

न्याय चौपाल की टोली द्वारा श्रीराम फाइनेंस, आटो फाइनेंस, टाटा फाइनेंस एवं मेगमा फाइनेंस कंपनी से प्राप्त ऋणधारियों के बीच लगभग 8 प्रकरणों में मदद कर ऋण समझौता के तहत कार्यवाही की और जिसे न्यायालय तक पहुंचने नहीं दिया गया। ❑

पारस्परिक संवाद से विवाद समाधान संभव है

36

इस पारिवारिक संपत्ति विवाद को जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

श्रीमती देवी की तीन लड़कियां एवं दो लड़के थे, जिसमें से एक लड़की के पति का देहांत हो गया था। श्रीमती देवी ने मृत्यु पूर्व अपने मकान का कोई बंटवारानामा तैयार नहीं किया था। कोरोना में अचानक मृत्यु होने पर सभी भाई बहनों में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ।

विवाद समाधान परस्पर संवाद से हो जाए तो सामाजिक समरसता की वृद्धि होती है

न्याय चौपाल की टीम ने सभी पक्षों से अलग-अलग बातचीत कर, इस विषय के समाधान हेतु प्रयास किए। तीनों

लड़कियों में से एक लड़की औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहती थी तथा एक कटनी में रहती थी, ये दोनों संपन्न अवस्था में थीं। न्याय चौपाल टोली से हुए विचार-विमर्श के बाद दोनों ने उक्त संपत्ति में कुछ भी न लेने के बावत् सहमति दर्शायी। शेष एक बहन जिसके पति की दुर्घटना में मृत्यु के बाद अपनी मां के पास रहती थी तथा दो भाइयों को पूर्ण संपत्ति का विभाजन कर एक पारिवारिक व्यवस्था पत्र तैयार कर उसे पंजीकृत किया गया। संपूर्ण परिवार ने न्याय चौपाल के सहयोग की और कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। ❑

37

यह संपत्ति विवाद जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

जिला अमरावती (महाराष्ट्र) में एक महिला बुआ के भतीजे (भाई का लड़का) ने अपनी बुआ की कई सालों से सेवा की। बुआ उक्त भतीजे के साथ ही रहती थी। मृत्यु पूर्व उसने उसके स्वामित्व की चार एकड़ भूमि अपने भतीजे के नाम की एवं सरकारी दस्तावेजों में भी उसका नाम दाखिल हो गया, किंतु उक्त महिला की मृत्यु के बाद उस महिला के पति के छोटे भाई ने उक्त संपत्ति के अधिकार हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रकरण विगत सात वर्षों से न्यायालयी प्रक्रिया में था।

न्याय चौपाल की टोली ने संबंधित सभी पक्षों से संपर्क कर अलग-अलग बैठकों के माध्यम से महिला के देवर को समझाने के प्रयास में सफलता हासिल की। चूंकि संपूर्ण जीवन उक्त विधवा महिला के भतीजे ने सेवा की। इसलिए उक्त संपत्ति पर जो महिला ने उसके सेवा के बदले दी है अधिकार बनता है और यह व्यावहारिक भी है। कोर्ट कचहरी का लगभग 1 लाख रुपए महिला के भतीजे ने महिला के देवर को देकर, दोनों पक्षों ने आपसी समझौता किया। ❑

पारिवारिक विवाद संवाद से सुलझाने में सामाजिक भलाई है

38

यह विवाद समाधान जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने किया

यह संपत्ति विवाद 10 साल से भी पुराना है। एक परिवार के दो सदस्य— नीना देवी और रीना देवी के पास एक साझा भूखंड था, जिसमें उन दोनों का आधिपत्य था। रीना देवी ने अपना भाग किसी व्यक्ति को बेच दिया और नीना देवी के भाग पर कब्जा कर लिया। नीना देवी के पास अपने भाग का कब्जा नहीं था, इसलिए कई तरह के दीवानी (civil) मुकदमे कई न्यायालयों में चल रहे थे जो कि हाईकोर्ट तक भी पहुंच गए थे।

इस सब की जानकारी तहसीलदार से मिलने पर, न्याय चौपाल की टीम नीना देवी से मिलने गई ताकि पूरे विवाद की सही जानकारी प्राप्त हो सके। नीना देवी को यह भी समझाया गया कि दीवानी मामलों में कोर्ट में सालों लग सकते हैं और कब्जा न होना एक बड़ा मुद्दा है। इन्ही कारणों से नीना देवी यदि उचित समझे तो कुछ रकम देकर रीना देवी के साथ समझौता कर लें क्योंकि कब्जा उसके पास है, नहीं तो कोर्ट में सालों लग सकते हैं।

पारिवारिक विवाद को संवाद से सुलझाने पर पारस्परिक कटुता कम होती है और सामाजिक सामंजस्य बढ़ता है

इसके बाद न्याय चौपाल टीम रीना देवी और उसके परिवार से मिली और उन्हें समझाया कि अंत में कोर्ट उनके खिलाफ ही फैसला देगी क्योंकि वह अपना हिस्सा कानूनन बेच चुकी है और नीना देवी के हिस्से का कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। प्रारंभ में तो वे सभी यह कहकर टालते रहे हैं कि कब्जा होना ही जरूरी है जोकि उनके पास है। तर्क-वितर्क करने और समझाने पर उन्हें भी लगा कि कोर्ट में खूब पैसा लगेगा, समय अलग व्यर्थ होगा। यह भी समझाया गया कि

परिवार तो एक ही है, आपसी बातचीत से समाधान करने से कटुता भी कम होगी और पारस्परिक संबंध भी सुधरेंगे।

अंत में, नीना देवी रीना देवी को 20,000 रुपए राशि देने को मान गई और रीना देवी ने उस भूखंड का कब्जा नीना देवी को दे दिया। दोनों पक्षों ने पटवारी और तहसीलदार के सम्मुख समाधान-पत्र पर हस्ताक्षर किए और माना कि सभी मुकदमे कोर्ट से वापस ले लेंगे।

इस तरह लंबी कानूनी लड़ाई को न्याय चौपाल ने बातचीत से समझा-बुझाकर समाप्त कर दिया और गांव-परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में योगदान किया। ❑

39

यह विवाद समाधान जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने किया

यह उन वैवाहिक विवादों में से एक है जो आज के बदलते समाज में इसे पवित्र रिश्ता न मानते हुए शीघ्र ही तोड़ने का सोच लेते हैं। पति-पत्नी दोनों का ही अपने सहकर्मियों से अनैतिक लगाव या संबंध होना आजकल आम हो गया है और यह क्रम किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है, अपितु उन विवाहों में भी घटित हो रहा है जिनके संतानें हैं। निम्नलिखित विवाद यह दर्शाता है कि कोर्ट तक जानेवाले विवाद भी संवाद और सही सलाह से सुलझाए जा सकते हैं।

पति राम, उम्र करीबन 40 बरस, वकील से मिला और बताया कि उसे अपनी पत्नी नीता पर शक है और वह उससे तलाक चाहता है, पर संतानों की कस्टडी संरक्षण अपने पास रखना चाहता है। राम और नीता के दो संतानें हैं, बेटी लगभग 11 वर्ष और बेटा 9 वर्ष का है।

न्याय चौपाल की टीम के जांच करने पर यह पाया गया कि राम के स्वयं किसी सहकर्मी से अवैध संबंध है जिसकी वजह से वह नीता को सहयोग नहीं देता। यह भी पता चला कि राम अपनी सहकर्मी से विवाह करना चाहता है और बच्चों का

पालन-पोषण भी उसके साथ रहकर करना चाहता है। राम को जब आपसी सहमति से तलाक का सुझाव दिया गया तो उसने कहा कि नीता शायद तैयार न हो। इन सब बातों को समझते हुए न्याय चौपाल टीम ने राम से पूछा कि यदि नीता उससे वफादार (निष्ठावान) रहे तो भी वह उससे तलाक चाहता है? राम असमंजस में पड़ गया और कहने लगा कि अब मैंने तलाक लेने का निर्णय कर लिया है। इन सब बातों को देखते हुए न्याय चौपाल की टीम को यह निश्चय हो गया कि राम सहकर्मी के साथ रहने के लिए ही नीता पर आरोप लगा रहा है।

न्याय चौपाल टीम ने राम को समझाया कि मुकदमेबाजी के बहुत नुकसान हैं। कोर्ट में जाने के लिए आपको अपनी याचिका में कई सच्चे-झूठे आरोप लिखने पड़ते हैं जो कि चरित्र हानि/क्षति भी कर सकते हैं। इस तरह मिथ्या आरोप और कठोर रूख की वजह से मामला फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझाना कठिन हो जाता है। इसलिए यही सही है कि एक बार कोर्ट से बाहर मामले को सुलझाने का प्रयत्न करें।

आखिरकार राम मान गया। न्याय चौपाल टीम ने राम और नीता को इकट्ठे मिलने के लिए बुलाया। पहली मीटिंग में न्याय चौपाल टीम के कुछ आपसी झगड़े जैसा नहीं लगा। केवल दोनों का इस शादी में मन नहीं लग रहा था क्योंकि राम का ही नहीं, नीता की भी अपने किसी सहकर्मी से निकटता बढ़ गई थी।

कोर्ट-कचहरी में जानेवाले विवाद भी उचित सलाह एवं संवाद से सुलझाए जा सकते हैं

न्याय चौपाल टीम ने दंपती से दो-तीन बैठकें विस्तार से कीं और उन दोनों को समझाया कि शादी कोई कांट्रैक्ट या संयोग नहीं है, अपितु जिंदगी भर का प्रणय/वचन है। यह भी समझाया कि उन दोनों के लिए जीवनसाथी बदलना आसान हो सकता है, परंतु बच्चों के प्रति भी उनके कुछ दायित्व हैं। अगर वे दोनों अलग होते हैं तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ेगा और वे अपने मां-बाप के संरक्षण और स्नेह से वंचित रह जाएंगे। अगर वे मां के साथ रहते हैं तो पिता की देखभाल और प्यार से और यदि पिता के साथ रहते हैं तो मां की ममता और परिवरिश से वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोनों पति-पत्नी को सोच-समझकर ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

अंत में, दोनों को समझ में आ गया और उन्होंने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए समझौता करने का निर्णय लिया।

न्याय चौपाल टीम निरंतर दंपती से संपर्क बनाए हुए हैं और आश्वस्त हैं कि वे दोनों अपने बच्चों के साथ अब खुशी से रह रहे हैं।

इस तरह के विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाकर न्याय चौपाल अपना उद्देश्य पूरा करने में कार्यरत है। ❑

40

इस विवाद समाधान में जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई का योगदान रहा

यह विवाद दो घनिष्ट मित्रों के बीच का था। राम और श्याम दोनों बचपन से गहरे मित्र थे। राम ने श्याम को 30 लाख रुपए उधार दिए थे और दो साल बाद भी श्याम ने उसे एक भी पैसा वापस नहीं किया था। इसलिए राम श्याम के खिलाफ कोर्ट में केस करना चाहता था।

जब न्याय चौपाल के पास इस मतभेद की सूचना मिली तो टीम सबसे पहले श्याम से मिली। श्याम मान गया कि उसने राम से उधार लिया था, परंतु आर्थिक तंगी की वजह से वापस नहीं कर पाया। श्याम ने कहा कि राम उसका सबसे अच्छा मित्र है, परन्तु पैसे के लेन-देन की वजह से उनके बीच यह कटुता आ गई है जिससे वह बहुत दु:खी है।

छोटे-छोटे मतभेद एवं मनमुटाव एक जटिल कानूनी प्रक्रिया में न परिवर्तित हों ताकि सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए

तब न्याय चौपाल टीम राम से मिली और उससे विनती की कि अहंकार और कटुता छोड़कर एक बार श्याम को फोन

करे और पूछे कि वह कैसा है। टीम के समझाने पर राम ने श्याम को फोन किया तो श्याम बहुत खुश हो गया और उसने समय पर पैसा न देने पर क्षमा भी मांगी और आश्वासन दिया कि वह जल्द 15 लाख रुपए चुकाने की कोशिश करेगा। राम भी श्याम से यह सुनकर बहुत चकित हो गया और सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया रखी।

तब न्याय चौपाल ने राम और श्याम दोनों के साथ एक सामूहिक बैठक की और उन्हें उनके बचपन के दिन, मित्रता और स्नेह का याद कराया और यह भी बताया कि कैसे वे दोनों कुछ पैसों की वजह से अपनी अमूल्य दोस्ती भूल रहे थे। श्याम ने अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बारे में बताते हुए राम को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही पूरे पैसे लौटा देगा। राम ने भी माना कि श्याम के फोन न करने और कारण न बताने से वह नाराज था जो कि नहीं होना चाहिए था। राम ने भी आश्वस्त किया कि वह कोई भी कानूनी कार्यवाही, जो वह पहले सोच रहा था, अब नहीं करेगा।

इस तरह से न्याय चौपाल के सफल प्रयासों से एक लंबी और बेवजह मुकदमेबाजी टल गई और आपसी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में सहयोग मिला। ❑

41

इस वैवाहिक विवाद का समाधान फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने किया

एक दंपती फरीदाबाद में रहते थे। पत्नी गोहाना के पढ़े-लिखे परिवार से थी और पति व्यापार परिवार से था। पत्नी परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। वह पति का कम पढ़ा-लिखा होना और सास के फूहड़ (असभ्य) व्यवहार से परेशान थी। दंपती की 8 मास की एक पुत्री भी थी।

जब न्याय चौपाल के सम्मुख यह विवाद आया, तब तक पत्नी बच्चे को फरीदाबाद छोड़कर अपने मायके गोहाना जा चुकी थी। उसने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी थी जो कि कचहरी में पहुंचने ही वाली थी जिससे पति और ससुराल वाले गिरफ्तार हो जाते, सार्वजनिक अपमान भी होता और समझौता करवाना और कठिन हो जाता।

न्याय चौपाल टीम ने गोहाना में कई बैठकें की। जाने-माने व्यक्तियों के और स्थानीय व्यापार प्रमुख के सौजन्य से पत्नी को समझाया गया कि वह अपने दांपत्य घर फरीदाबाद जाए और एक बार फिर से इकट्ठे रहने का प्रयास करे, जिसे वह मान गई।

पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद आपसी बातचीत से सुलझाना यथोचित है

परंतु, यह लंबा नहीं चल पाया और दो महीने के अंदर ही वह वापिस अपने मायके चली गई और उसने वापिस न आने का निर्णय कर लिया। सारी परिस्थिति को समझते हुए, न्याय चौपाल टीम ने उस दंपती को शांतिपूर्वक अलग होने की सलाह दी। उन्हें समझाया कि कानूनी लड़ाई लंबी और खर्चीली होगी, समाज में भी मानहानि होगी, आपसी समझौते से अलग होना ही दोनों पक्षों के लिए उचित है, जो उन्हें समझ में भी आ गया।

बच्ची को पति रखने को तैयार था, पत्नी भी इसलिए समझ गई कि कानून और पुलिस में लड़ाई लड़ना ठीक नहीं है। न्याय चौपाल टीम के प्रयासों से पत्नी ने पुलिस याचिका वापिस ले ली और पति स्त्रीधन और रखरखाव राशि देने के लिए सहमत हो गया। पूरी तरह से आश्वस्त होने पर, पति-पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही शुरू कर दी।

इस तरह से न्याय चौपाल के प्रयासों से पारिवारिक कटुता और न बढ़ाते हुए, आपसी समन्वय से विवाद का समाधान किया गया। ❑

42

इस पड़ोसी/सामाजिक विवाद का समाधान दिल्ली इकाई ने किया

रवि और मानस एक-दूसरे के आमने-सामने रहते थे। मानस व्यापार के सिलसिले में काफी समय बाहर रहता था, तो उसकी पत्नी शीला और 6 साल की बच्ची गीता घर में अकेले रहते थे।

रवि अपने घर की मरम्मत करा रहा था और फर्श बदलवाने के लिए टाइल्स (Tiles) गली में बाहर ही पड़ी थीं। एक दिन जब मानस गोरखपुर गया हुआ था, तब गीता अपने दोस्तों के साथ पड़ोस में खेलते हुए, अनजान से नई लगी टाइल्स पर अपना साईकिल चला देती है, जिससे सारा नया फर्श पूरा खराब हो जाता है। हालांकि यह सब गीता ने अनजानेपन में किया था, न कि सोच-समझकर, परन्तु रवि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह मानस के घर जाता है। मानस घर पर नहीं था तो शीला दरवाज़ा खोलकर उसका स्वागत करती है। परन्तु रवि शीला पर चिल्लाने लगता है कि किस तरह गीता ने गलत ढंग से उसका सारा फर्श खराब कर दिया है। यह सुनकर शीला भी सुनाती है कि मरम्मत की वजह से सब अड़ोस-पड़ोस में परेशान हैं और वह अपनी 6 साल की बच्ची को पड़ोस में साईकिल चलाने से नहीं रोकेगी। शीला अपने पति को फोन करने लगती है तो रवि गुस्से में उससे फोन खींच लेता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है।

यह सब शोर सुनकर पड़ोसी भागे आते हैं और रवि को भला-बुरा सुनाते हैं। कुछ पड़ोसी रवि का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि शीला को अपनी बच्ची को संभालना चाहिए ताकि वह लोगों की संपत्ति खराब न करे।

जब मानस वापिस आया तो रवि का उसके घर पर आकर अपनी पत्नी से बदसलूकी करने का पता चला तो वह आगबबूला हो गया। उसे बहुत असुरक्षित

भी लगा और उसने रवि को सबक सिखाने के लिए पुलिस के पास और कोर्ट में मुकदमा करने की भी सोची।

जब यह सारा मामला न्याय चौपाल के सम्मुख आया तो चार कार्यकर्ताओं की टीम सबसे पहले रवि से मिली। रवि शीला के साथ किए अपने व्यवहार को लेकर शर्मिंदा था। परंतु उसने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं है जब उसको नुकसान हुआ है। शीला गीता का ध्यान नहीं रखती और वह पड़ोस में कई लोगों को परेशान करती है। रवि ने कहा कि उसके लिए यह नुकसान काफी बड़ा है, उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

समाज में समरसता बनाए रखना न्याय चौपाल का प्रमुख ध्येय है

तब न्याय चौपाल टीम मानस से मिली और उसे बताया कि रवि अपने व्यवहार को लेकर शर्मिंदा है, परंतु उसकी माली हालत मानस जैसी नहीं है। गीता की वजह से उसका काफी नुकसान हुआ है, इसलिए उसकी भरपाई करनी चाहिए।

न्याय चौपाल के सौजन्य से एक सामूहिक बैठक हुई, जिसमें रवि और मानस, दोनों के परिवार सम्मिलित हुए। रवि ने अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और दोबारा ऐसा न करने का आश्वासन दिया। मानस ने भी कुछ राशि देकर रवि की क्षति को पूरा करने की कोशिश की।

इस प्रकार न्याय चौपाल के प्रयासों से एक छोटा सा आपसी विवाद, जो पुलिस और कोर्ट में सालों लटक सकता था, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझा लिया गया और सामाजिक समरसता भी बनी रही। ❑

43

यह पारिवारिक एवं दुर्घटना संबंधी विवाद फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने सुलझाया

अमित, एक 20 वर्षीय नवयुवक, कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता श्री शर्मा स्थानीय न्यायालय में एक वकील थे। उनके साथ न्याय चौपाल कार्यकर्ता 'क' का अच्छा उठना-बैठना था। एक दिन वार्ता के दौरान 'क' को ज्ञात हुआ कि अमित को सड़क दुर्घटना में काफी चोट आई थी। उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण से वह कई सप्ताह अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती रहा और अपने कॉलेज नहीं जा पाया। दुर्घटना इस प्रकार हुई कि वह एक मोटरसाईकल चला रहा था और सामने से तीव्र गति पर चलती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी। पता लगा कि गाड़ी पवन खन्ना चला रहा था जो कि अमित की भांति ही एक नवयुवक था। जानकारी में ज्ञात हुआ कि दुर्घटना के समय पवन बिना लाईसेंस के गाड़ी चला रहा था और यह जानते हुए भी कि दुर्घटना उसकी लापरवाही के कारण हुई, उसे कोई खेद या शर्मिंदगी नहीं थी, उल्टा उसने अमित को धमकाया था। अमित को अस्पताल ले जाने की बजाय पवन शेखी भरने लगा कि उसके पिता प्रशासन में सबको जानते हैं और कोई उसका बाल भी बांका न कर पाएगा। जब अमित को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके बाद भी दोनों परिवारों के बीच अस्पताल परिसर में खूब बहसा-बहसी हुई।

इन परिस्थितियों में अमित के पिता (जो एक अधिवक्ता हैं) ने ठान लिया कि वह खन्ना जी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करेंगे और उन्होंने पवन पर आपराधिक मामला दर्ज करा दिया एवं मोटर ऐक्सीडेंट क्लेमज ट्राईबुनल (Motor Acccident Claims Tribunal) में क्षतिपूर्ति का वाद योजित कर दिया।

'क' ने जब न्याय चौपाल टीम के पास यह विवाद लाया तो दोनों पक्षों में काफी गर्मा-गर्मी थी। धीरे-धीरे समय बीतने के साथ कुछ शांति होने पर बातचीत करने का सोचा गया। खन्ना जी से मिलने के लिए कोई संपर्क ढूंढा गया जो खन्ना जी को अच्छी तरह जानता था और उसने उनके साथ न्याय चौपाल टीम की भेंट करवाई। जब टीम खन्ना जी से मिली तो उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया कि वह उनके पुत्र पर

चलाए मुकदमों से प्रताड़ित हैं। मुकदमों के कारण से पवन अपनी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा और खन्ना जी ने मुकदमों को जैसे-तैसे निवारण करवाने का न्याय चौपाल टीम से आग्रह किया। खन्ना जी के इस भाव को समझते हुए टीम ने अपने प्रयत्न और अधिक करने का निश्चय किया और अमित के पिताजी के पास पहुंच गए। टीम को कुछ आश्चर्य का अनुभव हुआ जब उन्हें अमित के पिता से भी अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने बताया कि अमित ने अपना सामान्य रहन-सहन और जीवनशैली पुन: प्रारंभ कर दी है और उसका स्वास्थ्य भी अब ठीक है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिवक्ता होने के बावजूद उन्हें अपने निजी वाद न्यायालय में रखना खटकता है, खास तौर पर जब विवाद इतनी साधारण प्रकृति का हो। उन्हें तो न्यायालय का द्वार इसलिए खटखटाना पड़ा था क्योंकि खन्ना जी और उनके बेटे का व्यवहार पूर्णत: अनुचित था जिसके कारण उन्हें गहरी भावनात्मक ठेस पहुंची थी।

संवाद के लिए सौहार्दपूर्वक वातावरण सुनिश्चित करना न्याय चौपाल की कार्यपद्धति का एक मुख्य बिंदु है

इस सब घटनाक्रम से न्याय चौपाल टीम को यह समझ में आया कि विवाद के सुलझने में एकमात्र अवरोध यह था कि दोनों पक्षों में जो भी बातचीत हो रही थी, वह न्यायालय कक्ष में ही हो रही थी। उभय पक्षों के पास कोई और वार्ता करने का मंच नहीं था। लेकिन बात इतनी साधारण होने के कारण, समय ने पक्षों का कड़ा करने के विपरीत थका सा दिया था। यह सब देखते हुए न्याय चौपाल टीम ने एक निष्पक्ष स्थान पर दोनों परिवारों के साथ एक संयुक्त बैठक नियोजित की। बैठक में 7-8 व्यक्ति और थे, जिनमें खन्ना जी और टीम के पारस्परिक मित्र भी थे। सबके समक्ष खन्ना जी ने अपने पुत्र के व्यवहार के लिए अत्यंत खेद प्रकट किया और पवन ने भी अमित व उसके परिवार से क्षमा याचना की। उधर से अमित के पिताजी ने अत्यंत उदारतापूर्वक कहा कि वह किसी मुआवजे या आर्थिक वृद्धि में इच्छुक नहीं थे। यद्यपि वह न्यायालय गए लेकिन उसका एकमात्र कारण व उद्देश्य खन्ना परिवार को उनके अहंकार का फल चखाना था। अब जब खन्ना परिवार ने दोष स्वीकार कर लिया है, वह न्यायालय से विवाद वापस लेने को पूर्णतया तैयार हैं।

एक सद्भावनापूर्ण वातावरण में दोनों परिवारों में आपसी अलगाव और विवाद को न्याय चौपाल की टीम ने सफलतापूर्वक सुलझाया। ❑

44

यह पारिवारिक विवाद फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने सुलझाया

एक लड़की, रीता जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे और दो बच्चे थे, वह अपने पति और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से काफी परेशान थी। घर का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ता था क्योंकि उसकी सास कोई भी कामवाली को रखने नहीं देती थी। हर समय सास उससे दुर्व्यवहार करती थी। पति भी आदतन पीने वाला था और सप्ताह में बार-बार ससुर के साथ या घर से बाहर कहीं भी पी कर ही लौटता था। उसने बताया कि उसका पति और उसके घरवाले उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। एक बार जब वह काफी बीमार हो गई तो भी किसी ने परवाह नहीं की। उसकी बहन ही ने तब उसको अस्पताल भी भर्ती कराया और देखभाल की। एक बार जब उसकी शादीशुदा ननद अपने परिवार के साथ आई हुई थी तो उसके पति ने बहुत दुर्व्यवहार किया और सबके सामने उसे थप्पड़ भी मारा। रीता ने अपने माता-पिता को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, परंतु जब उन्हें पता लगा तो वे रीता को अपने साथ ले गए।

जब न्याय चौपाल के पास यह विवाद आया तो टीम रीता से मिली। रीता अपने पति के घर वापस जाना चाहती थी, इसलिए न्याय चौपाल टीम ने उसके पति और ससुराल वालों को संपर्क करने का काफी प्रयास किया, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच न्याय चौपाल टीम रीता से निरंतर संपर्क बनाए रही और उसकी व्यथा सुनकर उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करती रही। बातचीत में पता लगा कि उसके पति और ससुर उसके दोनों बच्चों से बहुत स्नेह रखते थे। दोनों बच्चे

हालांकि रीता के साथ मायके में ही रहते थे, फिर भी वे बहुत बार बच्चों से घर के बाहर मिलते थे। तब न्याय चौपाल टीम को लगा कि अगर प्रयास किए जाएं तो यह विवाद सुलझ सकता है।

एक दिन रीता ने बताया कि ससुराल में किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो गई है और उससे बहुत स्नेह होने की वजह से, वह अंत्येष्टि पर जाना चाहती है, परंतु अपने ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर चिंतित है।

न्याय चौपाल टीम ने उसे आश्वस्त किया कि बहुत महीनों से अलग रहने पर पति और ससुराल वाले अपनी गलती समझ गए होंगे और वह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए रीता को जरूर जाना चाहिए और उन्हें एक मौका और देना चाहिए। न्याय चौपाल टीम ने रीता को मानसिक रूप से भी तैयार किया कि अगर ससुराल पक्ष कुछ कहे भी तो वह कैसे परिपक्व रूप से सामना करे।

जब रीता बच्चों के साथ वापस घर गई, तब ससुराल पक्ष ने कुछ गलत बातें नहीं कहीं और कुछ भला-बुरा नहीं सुनाया। रीता को भी लगा कि अनायास ही बच्चों के स्नेह और प्यार से वंचित रखा, जिससे उसे स्वयं भी काफी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव हुआ।

परिपक्वता और दृढ़ता से पारिवारिक विवाद का समाधान हो सकता है

न्याय चौपाल निरंतर रीता से संपर्क बनाए हुए है और छोटी-छोटी दुविधाओं में उसका मार्गदर्शन करते हुए उसे सशक्त बनाए रखने का प्रयास कर रही है। ❑

45

इस वैवाहिक विवाद का समाधान चंडीगढ़ इकाई ने किया

एक परिवार में पति और पत्नी को शादी किए हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके थे। फिर किन्हीं कारणवश आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। हमारा उस परिवार से संपर्क हुआ। हमने बड़े अच्छे तरीके से परिवार के सदस्यों को समझाया और फिर उन्होंने बिना कहीं पर लेटर दिए बड़ी समझदारी से उनका तलाक करवा दिया। जिससे वह कोर्ट के चक्कर काटने से और अन्य किसी झमेले से बच सके और एक दूसरे पर छींटाकशी किए बिना अपने अगले जीवन की ओर बढ़ सके। ❑

समय और परिस्थिति को सही आंकना और सही कदम उठाना भी विवाद समाधान का अभिन्न मार्ग है

46

इस पारिवारिक विवाद को शामली (उत्तर प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

पत्नी शोभा और पति लालबाबू के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच लड़ाई-झगड़े होने लगे। शोभा की मां उससे खूब बात करती थी। शोभा पति को कहने लगी कि मैं तेरे परिवार के साथ नहीं रह सकती। सबके लिए खाना नहीं बना सकती। तुम अपना अलग मकान लो। परिवार से अलग रहो।

न्याय चौपाल के संज्ञान में यह मामला आया। चौपाल कार्यकर्ता दोनों परिवारवालों के साथ पहले अलग-अलग, फिर संयुक्त भी बैठे। लड़का बोला, पहले मैं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लूं। हमारी स्थिति अच्छी होगी, हमारे पास पैसे होंगे, फिर हम अलग रहना शुरू कर देंगे। तीन बार बैठकें करने, समझाने के बाद, न्याय चौपाल के कार्यकर्ताओं के सौजन्य से इस विवाद का फैसला हो गया। ❑

सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कुछ अनियमित कदम भी उठाने पड़ सकते हैं

47

इस विवाह संबंधी विवाद को शामली (उत्तर प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

पत्नी पुनीता और पति सदानंद के प्रेम-विवाह का मामला था। दोनों एक ही गांव के थे और आस-पड़ोस में रहते थे। दोनों ने प्रेम-विवाह कर लिया। वहां का समाज काफी रूढ़िवादी था, इसलिए नाराज हो गया। दंपती का एक साथ रहना मुश्किल हो गया।

न्याय चौपाल के संज्ञान में यह मामला आया, तो चौपाल के कार्यकर्ताओं ने दोनों पक्षों को समझाया कि शादी तो हो गई है। समाज नाराज है, उसे अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। दंपती को समझाया कि वे दोनों शहर चले जाएं। दोनों ने गांव से आठ-दस किलोमीटर दूरी पर रहना शुरू कर दिया। इस विषय को लेकर न्याय चौपाल ने पांच बैठकें कीं और प्रयासवश फैसला हो गया। अब मामला ठीक है। दोनों साथ रह रहे हैं।❑

अर्थपूर्ण संवाद से हर विवाद का समाधान हो सकता है

48

यह विवाद मेरठ (उत्तर प्रदेश) इकाई के सौजन्य से सुलझाया गया

आलम आरा को अपने पति पर शक था कि उनके संबंध कहीं और हैं। इस बात को लेकर इनमें आपस में मनमुटाव हो गया।

न्याय चौपाल के संज्ञान में जब यह मामला आया तो टीम ने दोनों पक्षों को सुना। आलम आरा से पूछा कि इसमें सच्चाई है तो बताओ, नहीं तो तुम सुनी सुनाई बात पर चल रही हो।

पड़ोस में किसी ने आलम आरा को भड़का रखा था कि ये तो कहीं और किसी और औरत के साथ रहता है। लड़के ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि नहीं, ऐसे संबंध नहीं हैं। न्याय चौपाल के प्रयासों से शक दूर हो गया और वे ठीक से रहने लगे हैं। इस मामले को लेकर चौपाल की तीन बैठकें हुईं। अंतत: सुखद फैसला हो गया। ❑

आपसी बातचीत एवं विश्वास ही संबंधों की मूल कड़ी है

49

यह विवाद शामली (उत्तर प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

सरिता के पिताजी ने न्याय चौपाल से संपर्क किया था। संजना को उसकी सास तंग करती थी। सास रूढ़िवादी विचारों की और बहुत सख्त मिजाज की थी। पति-पत्नी में उतना विवाद नहीं था, लेकिन सास और बहू में खूब लड़ाई होती थी।

न्याय चौपाल के कार्यकर्ता ने उसकी सास को समझाया कि आपलोग आपस में मत लड़िए। अन्यथा यह बात थाने और कोर्ट तक जाएगी और आप दोनों परेशान होती रहेंगी। उसकी सास ने हमारी बात मान ली और कहा कि अब बहू को तंग नहीं करूंगी। इस मामले को लेकर न्याय चौपाल की चार बैठकें हुईं और अंतत: उनमें समझौता हो गया। अब सास और बहू साथ-साथ खुशी से रह रहे हैं। ❑

आपसी बातचीत एवं सहज स्वभाव विवादों को दूर रखता है

50

इस विवाह संबंधी विवाद का फरीदाबाद (हरियाणा) इकाई ने समाधान किया

वीणा की शादी को हुए दस बरस बीत गए थे और उसकी एक आठ साल की बच्ची थी। वीणा योग्य कंपनी सेक्रेटरी थी। उसके पति इंजीनियर थे। पति ससुर के साथ फैक्टरी में काम करते थे और उसकी अपनी अलग से कोई आमदनी नहीं थी। दंपती पति के माता-पिता के साथ ही रहते थे।

विवाद का मुख्य कारण था—सास का बहू और बच्ची को उनकी बुनियादी जरूरतें भी न देना और कहना कि अपने मां-बाप से मांग कर पैसे लाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो। सास वीणा को काफी प्रताड़ित करती थी। समस्या से निकलने के लिए वीणा ने अध्यापक की नौकरी कर ली, परंतु उसका वेतन भी उसका पति और सास रख लेते और वह फिर से अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान होती। इन्हीं कारणों से पिछले दस सालों में वह सात-आठ बार घर छोड़कर अपने मायके में रही थी। वीणा की वजह से उसके माता-पिता भी काफी परेशान हो गए थे तब वे न्याय चौपाल के संपर्क में आए।

न्याय चौपाल टीम ने विभिन्न स्थानों पर चार- पांच बैठकें सभी पक्षों से कीं और विवाद समझने का प्रयत्न किया। पति अपने माता-पिता और फैक्टरी छोड़कर अलग नहीं होना चाहता था और न ही कहीं और नौकरी या व्यवसाय ही करना चाहता था। इसलिए टीम ने वीणा को समझाया कि धीरे-धीरे अपने पति को समझाए कि पास में ही किराए का घर लेकर रहते हैं जिससे वीणा की रोज की समस्याएं खत्म होंगी और वह अपने माता-पिता को भी देख पाएगा। वीणा मान गई और उसने अपने पति से संपर्क किया और उसे समझाया कि पास में किराए का घर लेने से सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वीणा अपना पूरा वेतन अपने घर और बच्ची पर खर्च करने पर भी तैयार थी। छह-सात बार मिलने पर, बच्ची को पति से मिलाने पर, समझाने पर, अंत में पति मान गया कि सबके भविष्य और घर की शांति के लिए यह जरूरी है कि थोड़ी दूरी पर ही सही, परंतु अलग-अलग रहा जाए।

सही दिशा दिखाना भी न्याय चौपाल का एक उद्देश्य है जिससे विवाद समाधान सरलता से हो सकता है

अंतत: पति ने अपने माता-पिता को भी मना लिया और बगल में ही किराए पर घर लेकर वीणा और बच्ची को ले आया। अब सभी पति, पत्नी, बच्ची, दोनों के माता-पिता सब प्रसन्न हैं।

यह विवाद जहां पति-पत्नी में कोई बड़ा विवाद नहीं था, न्याय चौपाल टीम का पत्नी का मार्गदर्शन करने से, सही दिशा में समझाने से उसने स्वयं अपने बल पर विवाद समाधान कर लिया। ❑

51

यह पारिवारिक विवाद रोहतक (हरियाणा) इकाई ने सुलझाया

यह पारिवारिक विवाद का मामला था। पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़े ज्यादा होते थे। सब मारपीट करते थे। पति शराब पीकर घर आता था। पत्नी से पैसे को लेकर लड़ाई-झगड़ा करता रहता था। पति कारपेंटर का काम दिहाड़ी पर करता था और पत्नी घर-घर जाकर झाड़ू और बर्तन साफ करने का काम करती थी। दोनों की आर्थिक स्थिति खराब थी।

न्याय चौपाल की कार्यकर्ता के पास यह विवाद पत्नी के द्वारा लाया गया। न्याय चौपाल, रोहतक इकाई की टीम चार-पांच बार बैठक करके दोनों को प्रेम से रहने के लिए सहमत किया। इस मामले में न्याय चौपाल टीम ने दोनों को समझा-बुझाकर विवाद का समाधान किया। अब पति-पत्नी आराम से दोनों साथ रह रहे हैं।

न्याय चौपाल टीम की पहल से इन दंपती पर काफी असर पड़ा और टीम के सदस्य की बात को इन लोगों ने सम्मानपूर्वक माना। टीम के सदस्य ने काफी सूझ-बूझ के साथ बात करके इनको मनाया। टीम ने साथ रहने के कई उदाहरण दिए और उसका सामाजिक फायदा समझाया तथा सहमत किया कि लड़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा। ❑

52

यह पारिवारिक विवाद चंडीगढ़ इकाई ने सुलझाया

एक परिवार चंडीगढ़ स्थित राम दरबार में रहता था। उन्होंने न्याय चौपाल, चंडीगढ़ इकाई से संपर्क कर बताया कि हमारे पिताजी ने हमें घर खाली करने को कह दिया है।

न्याय चौपाल टीम की उनके पिताजी से बातचीत हुई। उनके माध्यम से पता चला कि उन्होंने डीसी ऑफिस चंडीगढ़ में भी कंप्लेंट दे रखी है कि मेरे घर को मेरे बच्चों से खाली करवाया जाए।

न्याय चौपाल टीम ने परिवार के सदस्यों को समझाया कि यह विवाद आपस में ही सुलझा लें, कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा। कुछ महीने तो ठीक निकल गए, पर अब फिर वह स्थिति है, बच्चे अपने पिता को कोई खर्चा नहीं देते। पिता के ऊपर ऋण है जो उन्होंने बच्चों की शादी और अपनी पत्नी के इलाज पर लिया था और बच्चे एक पैसा नहीं दे रहे। बच्चों का बाप अपने बच्चों से इतना परेशान है कि उसने अपनी बॉडी भी डोनेट कर दी है कि इन बच्चों से अपना संस्कार भी नहीं करवाना। बच्चों के गम से उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और जो कर्जा हो गया था उस कर्ज को भरने के लिए बच्चे पैसे नहीं देते।

अकेले के सुख के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण परिवार हित का ध्यान रखने से विवाद का समाधान हो जाता है

अब यह केस डीसी ऑफिस में हैं और उसकी तारीख लगी हुई है और उससे पहले बच्चों को समझाया है कि फैसला तुम्हारे पिताजी के हक में आएगा। कुछ

समय पश्चात् डीसी ऑफिस में तारीख लगी, तब डीसी साहब ने यही फैसला सुनाया कि मकान खाली कर दो जिससे उसके पिताजी यह मकान किराए पर दे दें और कर्जा उतार दें।

फैसले के बाद फिर उन लोगों ने न्याय चौपाल टीम से संपर्क किया। न्याय चौपाल टीम ने उन्हें समझाया कि यह फैसला तो पिताजी के हक में है तो देख लें क्या करना है। बच्चों ने कहा कि हम मकान खाली नहीं करेंगे। जो खर्चा है वह उन्हें समय-समय पर देते रहेंगे और जो कर्जा है वह भी उतार देंगे। इस तरह से इस विवाद का समाधान हुआ। ❑

53

इस पारिवारिक विवाद का चंडीगढ़ इकाई ने समाधान किया

एक महिला जिसके 3 बच्चे थे, वह अपने बेटे को लेकर घर से चली गई। उसका लड़का 6 साल का था और उसकी दो लड़कियां इसकी उम्र 15 साल दूसरी केवल 17 साल की थी। वह बिना परिवार को बताएं जीरकपुर चली गई।

परिवार को नहीं पता था कि जीरकपुर चली गई है। डेढ़ महीने बाद पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने बोला, पहले आप ढूंढो फिर हम ढूंढते हैं। मोबाइल वगैरह नहीं लेकर गई थी वह महिला, इसलिए लोकेशन का भी पता नहीं लग रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि वह महिला जीरकपुर रहती है किराए के मकान में।

उचित परिप्रेक्ष्य में बात समझ में आने से विवाद सुलझ सकता है

न्याय चौपाल की टीम ने परिवार के साथ जाकर बातचीत की तो उस महिला ने बताया कि घर की समस्या थी। घर एक है और परिवार बहुत बड़ा था, जिस वजह से रहने की दिक्कत है। दूसरा उसने बताया कि उसका पति शराब पीकर उसे मारता था। यह दो बातें उसने पति के बारे में बताई, अपनी नहीं बताई कि वह गई क्यों थी।

जैसे ही अगली बैठक हुई तब पता चला कि उसका किसी लड़के के साथ संबंध था। वह लड़का अविवाहित था और वह शादी कर नहीं सकता था तो वह वैसे ही उसके साथ चली गई। उस लड़के ने उसे किराए के मकान में रखा था। उसने लोगों को यह कहकर मकान किराए पर ले लिया कि यह हमारे रिश्तेदार हैं। जैसे ही धीरे-धीरे जब बात खुली तो फिर उसने अपने साथ ही उसे रख लिया।

लड़का बिहार का था तो कुछ समय वह बिहार भी रहकर आई। जो लड़की 17 साल की थी, वह आज 19 साल की हो गई थी। 6 महीने पहले खबर आई कि वह महिला वापस आना चाहती है। पर आए कैसे परिवार के लोग भी नहीं चाहते थे कि वह आए और उसका पति कहीं न कहीं चाहता है कि वह आ जाए। महिला के भाई-बहन और मां भी नहीं चाहते थे हम उसे लेकर आए लेकिन लड़की अब पछता रही थी और चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं। लड़की साल भर पहले से जीरकपुर किराए का मकान छोड़कर राम दरबार ही रहने लग गई थी। जिस लड़के के साथ रहती थी उसने भी उसको छोड़ दिया था। अब वह इस पोजीशन में नहीं है, न ही ससुराल पक्ष में न मायके वालों के पक्ष में। लड़की को रास्ता नहीं मिल रहा था कि वह वापस कैसे जाए अपने ससुराल। इस दौरान पति-पत्नी आपस में मिलने लग गए थे और उनमें आपस में फिर प्रेम जागने लगा और लगा कि हम साथ में रह सकते हैं। उसके साथ एक बच्चा भी रहता है जो 7 साल के करीब है और वह बिगड़ रहा है। उधर, महिला की बड़ी लड़की की शादी भी फिक्स कर दी थी।

फिर न्याय चौपाल की टीम ने इस मामले में चार बैठकें कीं। अंततः इस मसले को सुलझाया और महिला को अपनी गलती पर पछतावा है तो क्यों न इसको वापस बुला लिया जाए। अब परिवार मिल-जुलकर रहा है और अपनी बड़ी बेटी की शादी भी उन्होंने मिलजुल कर कर दी। अब इस विवाद का समाधान हो गया है। ❑

54

यह विवाद शामली (उत्तर प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

पत्नी मेहरून्निसा और पति परवेज के बीच विवाद हो गया। मेहरून्निसा देखने में बहुत सुंदर थी। उसे परवेज पसंद नहीं था, क्योंकि उसके मुंह पर चेचक के दाग थे। इसी बात को लेकर मेहरून्निसा नाराज रहती थी और उनमें आपस में विवाद होता था। मेहरून्निसा तलाक चाहती थी और परवेज तलाक दे नहीं रहा था।

> साथियों के दबाव और बढ़ता भौतिकवाद भी कई विवादों का कारण है

न्याय चौपाल के कार्यकर्ताओं ने दोनों के परिवारवालों को बुलाया। तीन बार बैठना हुआ। टीम ने कहा कि चेचक के दाग हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके आधार पर तलाक ले ली जाए। बात-विचार महत्वपूर्ण है। आप लोग मिलकर रहिए। दोनों ने हमारी बात मान ली और अब वे दोनों सकुशल साथ-साथ रह रहे हैं। ❑

55

यह विवाद शामली (उत्तर प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

पति-पत्नी में आपस में विवाद था। आमदनी कम और खर्चा ज्यादा था। ये सामान लाओ, वो भी लाओ, आय के साधन नहीं थे। लड़का गुस्सैल था। दोनों

के परिवार बुलाए गए। पत्नी कहती थी कि कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है।

न्याय चौपाल की टीम ने कहा कि यदि सैलरी दस हजार रुपए महीना है, तो पत्नी को दस हजार रुपए में ही तो गुजारा करना पड़ेगा। उसकी इच्छा हो जाए पचास हजार की, तो वह कहां से लाएगा। समाज के, दोनों परिवार के रिश्तेदारों के साथ बैठे। उन्हें समझाया कि अभी सैलरी कम है तो कम में गुजारा कर लो, जब बढ़ेगी तो उसमें ठीक से रह लेना। लड़के के मामा ने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि लड़के की आमदनी बढ़ जाए। परिवार के लोगों ने भी कहा कि एकदम से तो आमदनी नहीं बढ़ सकती। समझाने-बुझाने के बाद अब वे दोनों ठीक से रह रहे हैं। इस मामले को लेकर न्याय चौपाल की पांच बैठकें हुईं और अंतत: सुखद फैसला हो गया। ❑

56

इस संपत्ति संबंधी विवाद को जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

सुखलाल मेहता ने अपनी पत्नी के नाम उनकी संपत्ति जो कि 2800 वर्गफुट का प्लाट था, श्री शर्मा जी के पिता स्व. श्री राम शर्मा वर्तमान निवासी भीलवाड़ा (राज.) से 1981 में क्रय किया था। भूलवश सरकारी दस्तावेजों में यह संपत्ति क्रयकर्ता के नाम दर्ज नहीं हो पाने के कारण शर्मा जी के पिता के नाम ही रिकार्ड में दर्ज था। चूंकि श्री सुखलाल जी के निधन पश्चात् संपत्ति के दस्तावेज न मिल पाने की वजह से ही वर्षों से संपत्ति दस्तावेजों में श्री राम शर्मा का नाम चला आ रहा था, जबकि बिजली का बिल, कार्पोरेशन टैक्स नियमित रूप से श्रीमती मेहता के द्वारा भुगतान किया जा रहा था। खसरा खतूनी में श्री शर्मा का नाम चला आ रहा था। लालचवश श्री शर्मा ने दावा कब्जा हेतु मुकदमा दायर किया।

न्याय चौपाल की टोली के पास जब यह प्रकरण आया तब छानबीन के पश्चात् पता चला कि स्व. राम शर्मा एवं श्रीमती मेहता के बीच अनुबंध अनुसार उक्त संपत्ति श्रीमती मेहता द्वारा क्रय की गई थी। जिसका पूर्ण भुगतान भी अनुबंध पत्र में स्पष्ट किया गया था। श्री शर्मा के साथ भेंट कर उन्हें इस बावत् तथ्य बताया और साथ ही वह उक्त संपत्ति का संपूर्ण भुगतान पृथक् रूप से प्राप्त कर चुके थे। बावत् स्पष्ट किया, लेकिन वह मुकदमा करने पर अडिग थे तो उन्हें यह कहकर कि 40 साल से एक परिवार वहां मकान बनाकर रह रहा है और जिसका भुगतान आपके स्व. पिता को कर चुके हैं। तो यह मुकदमा जो आपके द्वारा दायर किया गया अनैतिकतापूर्ण हैं, जिससे आपके पिता की आत्मा भी खुश नहीं होगी, समझाने का प्रयास किया।

संपत्ति संबंधी विवाद भी आपसी बातचीत एवं सूझ-बूझ से सुलझाए जा सकते हैं

न्याय चौपाल की टोली के समझाने के बाद वह मुकदमा वापस लेने बावत् राजी हुए। श्रीमती मेहता के परिवार में मुकदमे के खर्च आदि के रूप में शर्मा जी को 50,000 रुपए दिया। श्री शर्मा जी के भी अपने पिता के वारिसान के रूप में उक्त संपत्ति का पंजीकरण श्रीमती मेहता के पक्ष में कर दिया। इस बावत् कुछ शासकीय कर्मचारियों का सहयोग एवं न्याय चौपाल टीम द्वारा नियुक्त अधिवक्ता का सहयोग उल्लेखनीय रहा। ❑

57

इस वैवाहिक विवाद का समाधान जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने किया

श्री संजय वर्मा विरुद्ध श्रीमती वर्मा द्वारा धारा 498 के तहत केस पंजीकृत हुआ था तथा maintenance के साथ-साथ ही पति द्वारा तलाक हेतु केस भी दायर किया गया था। श्री वर्मा जो कि एक निजी संस्थान में कार्य करते थे, जिनके पिता म.प्र. विद्युत मण्डल के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। दोनों के विवाह को 7 वर्ष हुए थे। लड़की दिल्ली निवासी होकर एक निजी कंपनी में जॉब कर रही थी। विवाह के पश्चात् वह अपने ससुराल जबलपुर में आकर रहने लगी थी। दंपती को एक लड़का भी था। वर्तमान में जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष थी। घरेलू विवादों के चलते लड़की वापस अपने बच्चे को लेकर दिल्ली लौट गई थी तथा दोनों पक्षों द्वारा कानूनी लड़ाई प्रारम्भ कर दी गई थी।

विरोधी पक्षों को बातचीत पर तत्पर करना ही विवाद समाधान का प्रथम कदम है

न्याय चौपाल के संज्ञान में आने के बाद लड़का-लड़की दोनों को अलग-अलग बैठाकर उनकी समस्याएं सुनीं और समझी गईं। सतत प्रयासों के बाद, न्याय चौपाल इस मामले का समाधान कर पाई। समझौता पूर्णतः आपसी सामंजस्य से हुआ और मामला कोर्ट से वापस ले लिया गया। ❑

58

इस ऋण संबंधी विवाद का समाधान जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने किया

श्री शर्मा द्वारा ओरिएंटल बैंक से ऋण प्राप्त किया गया था। जिसके तहत ओरिएंटल बैंक ने Negotiable instrument act 138 के तहत मुकदमा दायर किया था जो विगत् 2013 से Pending चल रहा था इस मामले में बैंक प्रबंधन से बात कर इस मामले का समाधान न्याय चौपाल की टोली द्वारा किया गया। ❑

कठिन समय में उचित सलाह देकर भी विवाद समाधान हो सकता है

59

इस विवाद का समाधान जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने किया

मैग्मा फाइनेंस लिमिटेड एवं श्री कौर के बीच ऋण संबंधी विवाद का समाधान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्षों की सहमति से न्याय चौपाल की टोली के द्वारा समझौता कराकर समाधान किया गया। ❑

60

इस संपत्ति संबंधी विवाद को जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में स्व. श्री रमेश के दोनों पुत्र राम एवं श्याम के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। स्व. श्री रमेश की धर्मपत्नी कैंसर से पीड़ित थी। दोनों पुत्र राम एवं श्याम संपत्ति विवाद के चलते एक-दूसरे के घोर विरोधी बन गये। मां की बीमारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी।

पारिवारिक विवाद परस्पर बातचीत से सुलझाना बेहतर है, कचहरी जाने की बजाय

यह केस न्याय चौपाल की टोली के समक्ष आया। तब दोनों बेटों को राजी कर लिया कि सबसे पहले मां को इलाज हेतु लगने वाली जो भी राशि है उसका प्रबंध कर उनका समुचित इलाज किया जाए। दोनो भाइयों ने मां का इलाज किया। उपरांत उसकी मां एवं दोनों बेटों के बीच एक व्यवस्था पत्र के माध्यम से सम्पूर्ण संपत्ति का बंटवारानामा तैयार कर शासन के पास प्रलंबित प्रकरण को वापस लिया गया। इस प्रकार कानूनी कार्यवाही के पहले ही इस प्रकरण का समाधान कर दिया गया। ❑

61

यह चुनाव संबंधी विवाद जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

आदिवासी बहुल मण्डला जिले के ग्रामीण क्षेत्र में श्रीमती रीमा एक आदिवासी महिला वहां जनपद पंचायत का चुनाव लड़ते हुए अपने

प्रतिद्वंद्वी श्री भुवन से गाली-गलौच करती थी। मामला थाना पहुंचा, जिस वजह से एफ.आई.आर दाखिल हुई। इसके उपरांत श्री भुवन ने इस मामले में स्थानीय जबलपुर उच्च न्यायालय में भी आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने श्रीमती रीमा को नोटिस जारी किया।

यह मामला जब न्याय चौपाल के समक्ष आया तो दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए कई प्रयास किए गए। कई बैठकों के बाद, अंत में दोनों पक्षों को समझते हुए समाधान कर थाने में दर्ज शिकायत और न्यायालय में दर्ज आवेदन वापस लेकर प्रकरण का समाधान किया। ❑

चुनाव संबंधी कठिन विवाद भी आपसी संवाद से सुलझाए जा सकते हैं

62

यह वैवाहिक विवाद जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

एक कर्मचारी की बिटिया का शादी के बाद पति से निरंतर सामंजस्य नहीं बन रहा था तथा दोनों अपने घमंड की वजह से लड़ाइयां जारी रखते थे। उक्त लड़की गर्भवती थी और 4-5 माह का बच्चा गिराना (अबोर्ट) करना चाहती थी।

सही समय, सही सलाह मिल जाने से विवाद सुलझाया जा सकता है

न्याय चौपाल की टीम के माध्यम से किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना चाहती थी और कह रही थी कि मै यह बच्चा नहीं रखना चाहती। मेरा आदमी मुझे बहुत प्रताड़ित करता है। मैं उसके साथ भी नहीं रहना

चाहती। उससे मैं तलाक चाहती हूं और न ही मुझे वह आदमी चाहिए और न ही उसकी कोई निशानी। न्याय चौपाल टीम ने उक्त लड़की को बड़े ही संवेदनशील तरीके से समझाने का प्रयास किया कि यह पाप है और उक्त मासूम ने, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया आप का क्या बिगाड़ा है, क्यों इस प्रकार से एक भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर ले रही हो, हो सकता है इस बच्चे के जन्म के बाद परिस्थितियां बदल जाएं। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी और उसने अपना इरादा बदल दिया और कहा कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। उनका बेटा हुआ। दोनों पति-पत्नी सुख से रह रहे हैं। साथ ही वो लड़की स्वयं भी आज एक नौकरी कर रही है। ❑

63

इस वैवाहिक विवाद का समाधान जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने किया

राकेश सिंह की पत्नी 6 माह से अपने मायके रांची में थी। राकेश की पत्नी को उसके पिताजी वापस उसके ससुराल नहीं भेज रहे थे। राकेश काफी शराब पीता था।

संवाद से छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव दूर कर विवाद सुलझाया जा सकता है

न्याय चौपाल के संज्ञान में जब यह मामला आया तो चौपाल की कार्यकर्ता टोली राकेश सिंह के साथ उसकी पत्नी के मायके गयी और लड़की के घरवालों से बातचीत करके उनको समझाकर लड़की को वापस ससुराल लायी। न्याय चौपाल टीम निरंतर दंपती से संपर्क बनाए हुए हैं। ❑

64

यह विवाद जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

बात का बतंगड़ बनाने से या अफवाह फैलाने से विवाद सुलझाना कठिन हो जाता है

एक लड़के की पत्नी 1 साल से अपने मायके गौर में रह रही थी। लड़के की एक फोटोकॉपी की दुकान थी, जिसमें 'एबीसी फोटोकॉपी' के नाम से बोर्ड लगा हुआ था। उक्त लड़के के जीजाजी थे, जिनके ही नाम का बोर्ड उस दुकान में लगा था।

न्याय चौपाल की टीम ने लड़के से इस विषय पर बात की तो लड़के ने कहा कि मैं लड़की को नहीं रखूंगा। लड़की के जाने का कारण यह पता चला कि लड़के ने उसे कुछ अपशब्द कहे थे। लड़की के पिता रिटायर हुए थे और उन्हें पैसे मिले थे तो शायद लड़के की यह मंशा थी कि जो उसने अपनी दुकान में मशीनें ली थीं, उसका कर्जा लड़की के पिता चुका दे, तभी वह लड़की को वापस लाएगा। किंतु लड़की के पिताजी उन्हें पैसे नहीं दे सकते थे। जब लड़की से बातचीत हुई तो लड़की ने रोकर बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का अपने जीजीजी के कहने पर चलता है और उन्ही की वजह से वह अपनी पत्नी को घर नहीं ला रहा है।

न्याय चौपाल कार्यकर्ताओं ने लड़के के जीजा से बात की और लड़के के जीजा को थोड़ी धमकी दी। लड़के के जीजा डर गये और दुकान से अपने नाम का बोर्ड उतारा और लड़के के नाम का बोर्ड लगा दिया। तत्पश्चात् वह अपनी पत्नी को भी घर वापस ले आया और बिना पैसों के लेन-देन के मामला सुलझ गया। ❑

65

इस संपत्ति संबंधी विवाद को जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

पास के एक गांव में एक महिला की मृत्यु हो गई। वह काफी धन-दौलत और संपत्ति छोड़कर गई, जिसका कोई वसीयतनामा भी नहीं था। उसके तीन पुत्र उस संपत्ति को हड़पना चाहते थे और दो पुत्रियां जो शादीशुदा थीं वे भी चाहती थीं कि सपंत्ति उन्हें मिले।

न्याय चौपाल को जब आभास हुआ कि यह विवाद काफी बड़ा रूप ले सकता है तो गांव के माननीय और आदरणीय लोगों को लेकर न्याय चौपाल की टीम बनाई गई। इस टीम ने परिवार के सभी सदस्यों से विस्तारपूर्वक बातचीत की। बहनों को समझाया गया कि अब उन्हें कोई आर्थिक तंगी नहीं है तो उन्हें संपत्ति में हिस्से की मांग नहीं करनी चाहिए। वे दोनों मान गईं और इच्छापूर्वक अपनी मांग छोड़ दी। इस भाव से तीनों भाई भी पारस्परिक समझौते पर तैयार हो गए। इस तरह से यह विवाद, जो लंबी कानूनी लड़ाई में परिवर्तित हो सकता था, न्याय चौपाल टीम के सफल प्रयासों से सुलझ गया। ❑

अगर विवाद संवाद से सुलझाया जा सकता है, तो लंबी कानूनी लड़ाई सदैव अवांछनीय है

66

इस विवाद समाधान में जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई का योगदान रहा

आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल (बदला हुआ नाम), जो कि सिंहोरा स्थित इंद्राणा से मंझोली मार्ग पर है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा हेतु 2012 में शुरू किया गया था। लगभग 6 एकड़ में स्थापित इस स्कूल में लगभग 800 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। स्कूल सड़क मार्ग से 500 मीटर अंदर है। स्कूल पहुंचने के लिए 20 फ़ीट का मार्ग बना है। हाल ही में पड़ोसी द्वारा सीमांकन करने पर स्कूल पहुंच मार्ग का हिस्सा पड़ोसी भूमि स्वामी के हिस्से में आया, साथ ही भवन का निर्माण भी पड़ोसी भूमि स्वामी के हिस्से में आया। नाप के बाद पड़ोसी भूमि स्वामी ने स्कूल पहुंच मार्ग पर अवरोधक लगाकर कब्जा कर स्कूल का रास्ता बंद किया।

स्कूल संचालक श्रीमती स्वाति अमृता को जब न्याय चौपाल के बारे में पता चला तो मई, 2023 के पहले सप्ताह में उन्होंने मदद बाबत निवेदन किया। न्याय चौपाल टीम द्वारा तहसीलदार की मदद लेकर समस्या का संवेदनशील तरीके से समाधान किया गया। इस मामले को लेकर तीन बार बैठकें हुईं। छात्रों की शिक्षा का हवाला देकर पड़ोसी भूमि स्वामी से अपना हक छोड़ने का विषय रखा गया। पड़ोसी भूमि स्वामी ने स्कूल का रास्ता एवं स्कूल द्वारा कब्जे की जमीन जो लगभग 10000 वर्गफुट थी, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये थी, स्कूल के पक्ष में लिखकर एवं पंजीकृत कर एक मानवता की मिसाल पेश की।

> **व्यक्तिगत हित के स्थान पर समाज हित प्रमुख है, इस सिद्धांत से विवाद का समाधान हो गया**

इस मामले में शिक्षा, जो सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर जोर देने का आग्रह रखा। ❑

67

यह विवाद गुड़गांव हरियाणा इकाई ने हल किया

पत्नी डेंटिस्ट थी। उसका पति उस पर शारीरिक हमला करता था। पत्नी और सास में मारपीट भी होती थी। पुलिस केस हो गया। पत्नी की माताजी और पिताजी ने न्याय चौपाल से संपर्क किया। पांच बैठकें हुईं। पत्नी एक साथ रहने को तैयार नहीं थी। अंततः पति पक्ष द्वारा दोनों की आम सहमति से दोनों में तलाक हो गया। पंद्रह लाख रुपए लड़की को ऑफर किए गए व सामान वापस किया। सेटलमेंट हुआ। कोर्ट से केस वापस हो गया। ❑

आपसी मनमुटाव का निवारण कोर्ट-कचहरी नहीं, मिल बैठ बात करना है

68

यह विवाद गुड़गांव हरियाणा इकाई के प्रयासों से सुलझाया गया

पति पूर्व प्रशासनिक अधिकारी था। स्थानीय निकाय चुनाव में पत्नी को खड़ा कर दिया। वह चेयरपर्सन चुन ली गई। पत्नी चेयरपर्सन के नाते चंडीगढ़ आने लगी। रात में बाहर रहती थी। पति को बुरा लगा। उसके अहं को ठेस लगने लगी। पत्नी को समाज में महत्व मिलने से ईर्ष्या का भाव भी पति के मन में उत्पन्न होने लगा। पति-पत्नी में अनबन होने लगी। उन दोनों के बीच

ईर्ष्या एवं अहं पारस्परिक विवादों के मुख्य कारण हैं

शारीरिक हिंसा भी होने लगी। पति ने बेटी को थप्पड़ मार दिया। पत्नी ने पति के खिलाफ एफआईआर करा दिया। पति की ओर से काउंटर एफआईआर हुआ।

यह मामला न्याय चौपाल के संज्ञान में आया। न्याय चौपाल ने दोनों पक्षों को समझाया। दो-तीन बैठकें हुईं। यह मामला कोर्ट में नहीं गया। समाधान हो गया।❑

69

यह पारिवारिक विवाद अमरावती (महाराष्ट्र) **इकाई ने सुलझाया**

एक पिता के पास लगभग 30-32 एकड़ जमीन थी। उन्हें एक बेटा और तीन बेटियां थीं। उनके पिता ने पूरी जमीन बेचकर लड़कियों की शादी कर दी। पिता के पास एक घर था। उन्हें मालूम था कि यही घर बचा है, बेटा उसमें रहता है, तो यह बेटा के पास रहेगा।

पिता की मृत्यु हो गई। बेटा ने पिता के अंतिम संस्कार किए। तेरहवीं खत्म होने के बाद बेटियों ने मां को पूरी तरह मिसगाइड करके उन्हें पटा लिया। उनको बताया कि बहू आएगी, ये उसको दे देंगे, तुमको मार डालेगी, तुम तो उसके साथ नहीं कार्य कर पाओगी, ये घर जो हैं इसमें सबके हिस्से पड़ेंगे। आप लिखकर इस घर में सबका हिस्सा मांग लो। इस घर को बेच देते हैं। ये स्थितियां घटीं, तो बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। भाई का कहना था कि पिता कहते थे कि ये तुम्हारा घर है। जब मेरी बहनों की शादी हुई, 30-32 एकड़ जमीन बेची गई तो मैंने उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं की, न मैंने कोई आक्षेप किया, न विरोध किया।

न्याय चौपाल टीम के पास जब यह मामला आया तो सारी चीजों को समझा गया। चौपाल के कार्यकर्ता ने कहा कि किसी कोर्ट-कचहरी में जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें काफी साल लगेंगे। सिविल मैटर है। कानूनी तौर पर तो सबके हिस्से पड़ते हैं परंतु नैतिकता के साथ बात करें तो बहनों को एक तरह से अपना हिस्सा मिल चुका है। अगर 10-10 एकड़ जमीन सबके नाम पर गई होगी, जिनकी शादी हुई

होगी, संपन्नता आई होगी तो शायद बेटा उस वक्त अपने पिता को कह सकता था कि ये तो मेरे पूर्वजों की जमीन है, दादा की जमीन है, तो मैं आपको इसे नहीं बेचने दूंगा, तब तो लड़कियों की शादियां भी रुक जातीं।

न्याय चौपाल कार्यकर्ता ने बहनों को बताया कि कानूनी तौर पर आप भाई को अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वहां यहां रहता है। कानून कहता है कि आप उसको नहीं निकाल सकते। हां, जब बेचने की बात आएगी तब हिस्से की बात होगी। उन्हें बताया गया कि ये कोई नैतिकता नहीं है, आप प्रॉपर्टीज के चक्कर में, हिस्सों के चक्कर में, अपना पूरा रिश्ता खत्म कर दे रही हैं। एक भाई ही है, जिसने आपके लिए मेहनत की, आपकी शादियों में मेहनत की। अगर वो चाहता तो, पिता से कह सकता था कि जमीन में चार हिस्से करो, मेरे हिस्से में भी जमीन आती, आठ-दस एकड़ जमीन उसके पास भी होती और वो शायद जमीन की कीमत उतनी ही होती जितने घर की कीमत है, लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया। आप लड़ेंगे, सालों केस चलेगा, वो भी लड़ेगा, आप निकाल तो नहीं सकते उसको, लेकिन बेचने की प्रक्रिया जब भी आएगी, सिविल सूट जब होता है, तब अदालतों में कई सालों में उसका निर्णय होता है, उसकी फीस लगती है, दुनियादारी होती है, आप सारा रिश्ता खत्म कर रहे हैं।

न्याय चौपाल कार्यकर्ता ने उसकी मां को समझाया कि किसने कहा कि आपका बेटा आपको निकाल देगा, आपकी बहू आपके साथ ज्यादती करेगी। समय बदल गया है। लोग समझदार हो गए हैं। पढ़े-लिखे लोग हैं। वैसा कोई कार्य नहीं करते हैं। उसने बताया कि मेरी लड़कियां ऐसा बोल रही थीं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप हमारे साथ चल लेना, आपको हम बारी-बारी से रख लेंगे। अपन घर को बेच देते हैं। हम सबको हिस्सा मिल जाएगा। कार्यकर्ता ने कहा कि लेकिन वे नहीं कर सकें न, उनका भी अपना परिवार है, वे कितने दिन आपके साथ रहेंगी? आपको लड़के के पक्ष में आना चाहिए। आपका बेटा है, आप दोनों को मिलकर-बैठकर तय करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपकी अपनी शेयरिंग हो गई, आप अपने-अपने घर जाओ, मैं और मेरा बेटा संभाल लेंगे सारी चीजों को। यह सारी बातचीत एक बेहद अच्छे वातावरण में हुई।

भाई ने तय किया कि तीनों बहनों को दो-दो लाख रुपए देंगे। बहनों ने कहा कि हमको पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब हमारा कोई लेना-देना नहीं। तीनों बहनों से सहमति-पत्र लिखवाकर, मां और बेटा के नाम से सहमति पत्र बनवा दिए

गए और उसके बाद यह भी एक सहमति पत्र तैयार हुआ कि मां की मृत्यु के बाद यह पूरा मकान बेटा को मिल जाएगा, तो इस प्रकार से इस विवाद का समाधान हुआ। ❑

70

इस संपत्ति संबंधी विवाद को जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई ने सुलझाया

न्याय चौपाल कार्यकर्ता के पास 19 वर्ष का एक युवक अपने छोटे भाई (उम्र 5 वर्ष) के साथ आया। उसने अपनी परेशानी रखी और बताया कि उसके पिता का 4 वर्ष पहले देहांत हो गया है। उसके परिवार में उसकी माता एवं उसका एक छोटा भाई है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है और उसे व उसके भाई को घर से निकाल दिया है। घर उसके पिता का है, जो दो कमरे का एक कच्चा मकान है। उसकी मां के दूसरे पति ने उसे और उसके भाई को मार-पीटकर उसके घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों भाई वर्तमान में स्टेशन पर रहते हैं। सुबह 9 बजे बड़ा भाई काम पर चला जाता है और शाम को लगभग 8 बजे लौटता है। पूरे समय उसका भाई, जो मात्र 5 साल का है, स्टेशन पर रहता है। जिसको कई बार लोगों ने बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश की, जिसके कारण उसे अपने भाई की सुरक्षा की चिंता होती है। उसकी परेशानी सुनकर न्याय चौपाल कार्यकर्ता ने उसके भाई को चाइल्ड केअर होम में रखने एवं उसमें रहने और मिलने की जानकारी बताकर उसके भाई को मान्यता प्राप्त शेल्टर होम में रख लिया, परंतु एक बात परेशान करने वाली थी कि बच्चों को राहत तो मिल गई, पर उसको न्याय नहीं मिला।

दोनों भाइयों को न्याय दिलाने के लिए न्याय चौपाल की टोली ने काम शुरू किया। टोली ने, युवक का जहां मकान था, उस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से चर्चा की और उक्त प्रकरण को सुलझाने में सहयोग मांगा। वह व्यक्ति तुरंत तैयार हो गए। तय हुआ कि उक्त बच्चों की मां व सौतेले पिता को उन व्यक्ति के घर रविवार को बुलाया जाए एवं न्याय चौपाल की टोली उनकी काउंसिलिंग करेगी और दोनों

भाइयों को उनका घर दिलवाने में मदद करेगी। नियत दिवस को पति-पत्नी को बुलाया गया। पहली सिटिंग में बात सामने आई कि मकान के संबंध में दोनों पक्षों की मार-पीट हो चुकी है। महिला के पति ने बताया कि युवक ने उसके सिर पर पत्थर भी मारा था, जिसका उसने चोट का निशान दिखाया, उसके द्वारा युवक की बहुत सारी शिकायतें बताई गईं, वह उससे बहुत नाराज नजर आ रहे थे।

न्याय चौपाल की टोली ने महिला से उसकी दोनों भाइयों की पांच अच्छाइयों को बताने को कहा। उस महिला ने जो बच्चों की मां भी है, उसने उन दोनों की बहुत सारी अच्छाइयां बताईं, जिससे टोली को सुलह होने की अत्यधिक संभावना नजर आई। युवक से अलग कमरे में बात की गई और उसकी माता की पांच अच्छाइयों के बारे में पूछने पर उसने भी अपनी माता की कई अच्छाइयां बताईं। दोनों पक्षों से अलग-अलग बात कर उनकी बताई हुई अच्छाइयों का मलहम लगाकर न्याय चौपाल की टोली ने दोनों पक्षों से बात की और पति-पत्नी को उन दोनों भाइयों के कानूनी अधिकार के बारे में बताया। उन्हें बताया गया कि मकान पर उन दोनों भाइयों को अधिकार न्यायालय के माध्यम से भी उन्हें मिल जायेगा, परन्तु आप दोनों पक्षों में खटास हमेशा बनी रहेगी, क्यों न मकान के दो कमरों में से एक कमरा दोनों बच्चों को दे दो, पति-पत्नी ने कुछ समय अलग से बात करने के लिए समय मांगा और दोनों की आपस में चर्चा हुई। वे मकान के दो कमरे में से एक कमरा उन दोनों भाइयों को देने पर सहमत हो गये। युवक उक्त निर्णय से बहुत ही खुश हुआ और सहमत हो गया।

न्याय चौपाल की टोली ने युवक से विवाद के समय माता से किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगने को कहा। युवक ने अपनी माता से माफी मांगी, मां ने भी उसे गले लगा लिया। दोनों पक्षों में सुलह हो गई।

एक सप्ताह बाद न्याय चौपाल की टोली ने उक्त दोनों पक्षकारों का फॉलोअप लिया। सभी बातें पहले से बेहतर पाई गईं। न्याय चौपाल की टोली ने दोनों भाइयों को मध्यस्थता के माध्यम से न्याय दिलाने का सफल प्रयास किया। ❑

71

इस विवाद के समाधान में जबलपुर (मध्य प्रदेश) इकाई का योगदान रहा

सिवनी टोला के रहनेवाले श्री राजेन्द्र कुमार की तबीयत खराब थी। वे अपनी पत्नी श्रीमती रमाबाई ठाकुर के साथ ट्रैक्टर में बैठकर अस्पताल जा रहे थे। तभी इसी बीच में विपरीत दिशा के मोड़ पर से आ रहे दो मोटरसाईकिल सवार श्री राम कुमार पटेल और श्री मदन झारिया के साथ आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके कारण दोनों मोटरसाईकिल सवारों को चोट आई। मोटरसाईकिल के पीछे बैठनेवाले झारिया गाड़ी के नीचे गिर गए।

दोनों पक्षों में कहा-सुनी हुई। दोनों पक्ष पुलिस गढ़ा थाना में जानकारी देने के लिए वापस मुड़े ही थे कि सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, भीड़ देखकर पुलिस की गाड़ी रुकी। इन दोनों पक्षों को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इस कारण एक पुलिस अधिकारी ने गाड़ी से नीचे उतरकर दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि लड़ाई आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। यही पास में न्याय चौपाल का कार्यालय है, आप वहां जाकर विवाद का निराकरण कर लीजिए। अगर हमने एफ.आई.आर. लिखी तो दोनों पक्षकार एक लंबी प्रक्रिया से गुजरेंगे। बेहतर है कि आप न्याय चौपाल से संपर्क कर लें। चौपाल के कार्यकर्ता विवाद का समाधान करा देंगे। यदि विवाद का हल नहीं निकलता है तो आप पुलिस स्टेशन आ जाना।

दोनों पक्षकार न्याय चौपाल कार्यालय में आए और उन्होंने घटना की पूरी जानकारी दी। दोनों परिवार की जानकारी लेने के दौरान पता चला कि दोनों के पिता गहरे मित्र थे। चौपाल के कार्यकर्ता ने कहा कि पूर्व परिचित परिवार हैं, सो लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है।

न्याय चौपाल के सदस्यों के समझाने के पश्चात् दोनों पक्षकारों ने राजीनामा करने का विचार व्यक्त किया। न्याय चौपाल की टीम ने दोनों पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर बीच का रास्ता निकाला। दोनों पक्ष कुछ शर्तों के साथ सुलह करने को तैयार हुए, जिसमें मुख्य बात यह है कि दुर्घटना में जो

मोटरसाइकिल टूट गई थी, उसको सुधारने में जो खर्च आयेगा, उसे देने के लिए श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर और श्रीमती रमा बाई तैयार हो गए। दोनों पक्षों ने कहा कि हम लोग किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। एक-दूसरे को भरोसा दिलाया। विवाद में दोनों पक्ष जीते, कोई नहीं हारा ।

सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने व पीड़ित पक्षकारों को शीघ्र सरल एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में न्याय चौपाल की निर्णायक भूमिका रही। ❑

संगठनात्मक सक्रियता

वर्ष 2022-2023 में हुई संगठनात्मक बैठकें

क्रमांक	दिनांक	स्वरूप	संख्या	विशेष
समन्वय बैठकें				
1.	05.07.2022	ऑनलाइन	18	
2.	12.07.2022	ऑनलाइन	22	मा. कृष्णगोपालजी एवं मा. प्रमोद कोहलीजी का उद्बोधन
3.	21.12.2022	ऑनलाइन	28	मा. प्रमोद कोहलीजी का उद्बोधन
4.	27.02.2023	ऑनलाइन	24	मा. प्रमोद कोहलीजी की उपस्थिति
5.	18.03.2023	प्रत्यक्ष	14	मा. कृष्णगोपालजी का उद्बोधन
संयुक्त बैठक				
6.	24.06.2022	प्रत्यक्ष	18	फरीदाबाद एवं गुरुग्राम इकाई की संयुक्त बैठक
फरीदाबाद इकाई				
7.	12.10.2022	ऑनलाइन	11	
8.	13.11.2022	प्रत्यक्ष	16	मनोवैज्ञानिक डॉ. तोसविंदर द्विवेदीजी का भाषण
9.	08.01.2023	ऑनलाइन	12	
10.	19.05.2023	ऑनलाइन	10	मा. प्रमोद कोहलीजी की उपस्थिति

चंडीगढ़ इकाई				
11.	09.06.2022	प्रत्यक्ष	10	
12.	02.10.2022	प्रत्यक्ष	9	
13.	13.11.2022	प्रत्यक्ष	26	सामाजिक कार्यक्रम। स्थानीय लोगों की सहभागिता।
14.	26.01.2023	प्रत्यक्ष	8	
15.	21.04.2023	प्रत्यक्ष	9	
16.	26.06.2023	प्रत्यक्ष	11	
पंचकूला इकाई				
17.	18.06.2022	प्रत्यक्ष	14	
रोहतक इकाई				
18.	25.06.2022	ऑनलाइन	15	
गुरुग्राम इकाई				
19.	13.08.2022	प्रत्यक्ष	9	
20.	10.09.2022	प्रत्यक्ष	7	
21.	16.10.2022	प्रत्यक्ष	5	
22.	19.11.2022	प्रत्यक्ष	5	
23.	29.01.2023	प्रत्यक्ष	6	
मध्य क्षेत्र समन्वय बैठक				
24.	25 सितंबर, 2022	ऑनलाइन	29	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति
25.	10 जून, 2023	ऑनलाइन	31	

मध्य प्रदेश इकाई				
26.	मई, 2023	प्रत्यक्ष	10	भोपाल में आयोजित
27.	25 जून, 2023	प्रत्यक्ष	36	जबलपुर में आयोजित। चार जिलों (जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा एवं सिवनी) के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति
छत्तीसगढ़ इकाई				
28.	मई, 2023	प्रत्यक्ष	8	रायपुर में आयोजित
महाराष्ट्र इकाई				
29.	17 जून, 2023	प्रत्यक्ष	10	नागपुर में आयोजित
30.	23 जून, 2023	प्रत्यक्ष	3	अमरावती में आयोजित
शामली इकाई				
31.	03.11.2022	प्रत्यक्ष	7	
32.	07.06.2023	प्रत्यक्ष	7	

समन्वय बैठकें

1

छोटी टोली की बैठक

न्याय चौपाल, छोटी टोली की बैठक 5 जुलाई, 2022 को ऑनलाइन माध्यम (गूगलमीट) से आयोजित हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल विशेष रूप से उपस्थित थे। इस बैठक का संचालन श्री गंगाशंकर मिश्र ने किया। इसके साथ ही इस बैठक में श्री संतोष तिवारी, प्रो. जे.पी. यादव, श्री सतीन्दर सिंह महेश, डॉ. आशा शर्मा, श्री कुंदन, श्री मनोरंजन द्विवेदी, श्री एन.सी. वाधवा, श्री मुनीश्वरलाल कथूरिया, श्रीमती प्रतिभा शर्मा, श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री राम किशन, श्री संदीप मित्तल, श्री निशिकांत चौधरी, श्रीमती अनुपमा गोयल सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में अपने विचार रखते हुए श्री गंगाशंकर मिश्र ने कहा कि न्याय चौपाल के काम में रिटायर्ड—जज, आईएएस, आईपीएस, वकील, प्राध्यापक जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को जोड़ना है। ऐसे जो अनुभवी हों और जिनमें समय देने की प्रवृत्ति हो। ऐसे लोगों की हर जिले में एक टोली बने। व्यक्तिगत संपर्क, मित्र, जानकार, आरडब्ल्यूए, धर्मस्थल..., ऐसी संस्थाएं जो इस विषय को लेकर कार्यरत हैं, इन सबसे हमें केस मिल सकते हैं। केसों की प्रकृति अनुसार उनका वर्गीकरण करें। दो लोगों की टोली हो। जिला प्रमुख को टोली के बारे में जानकारी हों। वैवाहिक विवाद समाधान में महिला कार्यकर्ता अवश्य रहें। पूरी प्रक्रिया के दौरान कम बोलें। गंभीर रहें। पूरी बात सुनें। सुनते समय प्रतिक्रिया नहीं देना। उत्साह में दूसरी पार्टी को नहीं टोकना। धैर्य रखना। अपने ऊपर नियंत्रण रखना। कमिटमेंट नहीं करना। गोपनीयता का ध्यान रखें। पहले विवाद की जड़ तक पहुंचना, फिर विवाद का समाधान करना। समाधान इस प्रकार कि दोनों पार्टियों को स्वीकार हो। वरिष्ठ कार्यकर्ता से सलाह लेना। विवाद स्थल धार्मिक स्थान और सामाजिक संस्थान का कार्यालय हो सकता है। सुचारु प्रक्रिया के लिए केस रजिस्टर्ड करें, जिसमें क्रमांक, स्थान, तिथि, दोनों पार्टियों का विवरण एवं टीम सदस्यों के नाम हों।

प्रो. जे.पी. यादव ने कहा कि न्याय चौपाल के पब्लिकेशन में परफॉर्मा को सर्कुलेट करना चाहिए। श्री संतोष तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि डिजिटल मोड में दो दिन की कार्यशाला कर सकते हैं।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय चौपाल का कार्य करते हुए कई वर्ष हो गए हैं। इस दौरान इसकी कार्यपद्धति (methodology) विकसित हुई है। कई तरह के हमारे अनुभव आए हैं। कार्यशाला करने का सुझाव आया है। पहले भी 3-4 कार्यशालाएं हुई हैं। इसे शीघ्र आयोजित करेंगे। न्याय चौपाल का काम संवेदनशील (sensitive) है। बिना सोचे-समझे इससे किसी कार्यकर्ता को नहीं जोड़ना है। बहुत बड़ी टोली करें, आवश्यक नहीं। भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। प्रामाणिक लोग हों। चयन करके (selectively) जोड़ना है। गत वर्षों में अच्छे लोगों की टोली बनी है। विवाद समाधान पर केंद्रित पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई हैं। उसमें प्रारूप (proforma) दिया गया हैं। यह वेबसाइट पर है। प्रिंटआउट ले सकते हैं। विवाद के समाधान का स्थल सामाजिक संस्था, मंदिर, सामुदायिक केंद्र, विद्यालय इत्यादि हो सकते हैं।

इस बैठक में श्री संतोष तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। ❑

2

केंद्रीय बैठक

न्याय चौपाल की केंद्रीय बैठक 12 जुलाई, 2022 को ऑनलाइन माध्यम (जूम) से आयोजित हुई। इस बैठक में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कृष्णगोपालजी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इसके साथ ही इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल, जस्टिस श्री प्रमोद कोहली, श्री गंगाशंकर मिश्र, श्री आर.के. केसवानिया, डॉ. वीरेन्दर परशाद, डॉ. जे.एल. द्विवेदी, श्री निशिकांत चौधरी, श्री सतेन्दर सिंह महेश, श्री रामलाल बोरार, श्री कुन्दन बैरवा, श्री संदीप मित्तल, श्री संतोष तिवारी, प्रो. जे.पी. यादव, डॉ. एन.सी. वाधवा, प्रो. संजय शर्मा, श्रीमती रुचि सक्सेना, श्री संजीव लखनपाल, श्री प्रदीप शर्मा एवं श्रीमती अनुपमा गोयल उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री राजकुमार अग्रवाल ने किया।

इस बैठक में न्याय चौपाल के पूर्व अध्यक्ष एवं सर्वोच्च न्यायाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री आर.सी. लाहोटी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

बैठक में श्री गंगाशंकर मिश्र ने न्याय चौपाल की इकाइयों की सक्रियता एवं कार्यपद्धति के बारे में बताया।

न्याय चौपाल की विभिन्न इकाइयों के कार्यकर्ताओं—श्री आर.के. केशवानिया (फरीदाबाद), श्री प्रदीप शर्मा, डॉ. एन.सी. वाधवा (गुरुग्राम), श्री निशिकांत चौधरी (मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र), श्री कुन्दन बैरवा (चंडीगढ़), श्री संतोष तिवारी (रोहतक) एवं डॉ. जे.एल. द्विवेदी (पंचकूला) ने अपने वक्तव्यों में उदाहरणस्वरूप कुछ विवादों के जो समाधान हुए, उसके बारे में बताया।

जस्टिस श्री प्रमोद कोहली ने कहा कि आजकल मेडिएशन ज्यादातर कोर्ट स्पॉन्सर्ड है, कोर्ट से मेडिएशन में केसेज भेज दिए जाते हैं। हर कोर्ट में एक मेडिएशन इंचार्ज जज होता है और डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है, हम न्याय चौपाल की तरफ से उनको एक चिट्ठी लिख दें कि हमारी ये संस्था है, हम केस सुलझा रहे हैं और सुलझाने में इंटेरेस्टेड है, हम बिना किसी शुल्क के ये काम स्वैच्छिक रूप से करते हैं, सो केसेज हमारे पास रेफर किए जाएं।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि जैसा कि कृष्णगोपालजी ने हमें बताया कि लोगों में विवाद न करने की प्रवृत्ति विकसित हो, दोनों पक्षों में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न कर समाधान करने की पद्धति विकसित हों, हमलोग इस दिशा में पहल करें। अपने-अपने स्थान पर नए विवाद को टेकअप कर समाधान की ओर बढ़ें। हमलोग मासिक बैठक करें। अंत में उन्होंने इस बैठक में सहभागी हुए सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। ❑

(नोट: इस बैठक में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कृष्णगोपालजी ने मार्गदर्शन उद्बोधन दिया, जो इस पुस्तक में अलग से प्रस्तुत है।)

3

कार्यकर्ता बैठक

न्याय चौपाल की कार्यकर्ता बैठक 21 दिसंबर, 2022 को ऑनलाइन माध्यम (ज़ूम) से आयोजित हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने प्रास्ताविक वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, लोकल लीगल सर्विस ऑथोरिटी आदि से संपर्क कर विवाद अर्जन किया जा सकता है। प्रत्येक विवाद को रजिस्टर करना चाहिए। इसका विवरण सुनने के पश्चात् समाधान के लिए दो सक्षम कार्यकर्ताओं की टीम बनानी चाहिए। दोनों पक्ष को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। इस दौरान कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रयास हो कि एक प्लेटफार्म पर दोनों पक्ष आ सकें। विवाद समाधान का प्रलेखन किया जाना चाहिए।

श्री गोयल ने कहा कि न्याय चौपाल की सक्रियता के लिए नियमित रूप से मासिक बैठक आयोजित करें।

बैठक में जस्टिस श्री प्रमोद कोहली ने कहा कि न्याय चौपाल की स्थानीय इकाइयों की सक्रियता के लिए संपर्क केंद्र बनाना चाहिए। श्री गंगाशंकर मिश्र ने न्याय चौपाल की इकाइयों की सक्रियता एवं कार्यपद्धति के बारे में बताया।

न्याय चौपाल की विभिन्न इकाइयों के कार्यकर्ताओं—श्री आर.के. केशवानिया (फरीदाबाद), श्री प्रदीप शर्मा, डॉ. एन.सी. वाधवा व सुश्री मीना कुमारी (गुरुग्राम), श्री जे.एल. द्विवेदी (पंचकूला), श्री रणबीर कुमार (चंडीगढ़), प्रो. जे.पी. यादव, श्री संतोष तिवारी व सुश्री आशा शर्मा (रोहतक) एवं श्री निशिकांत चौधरी (मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र) ने अपने विचार व्यक्त किए एवं उदाहरणस्वरूप कुछ विवादों के जो समाधान हुए, उसके बारे में बताया।

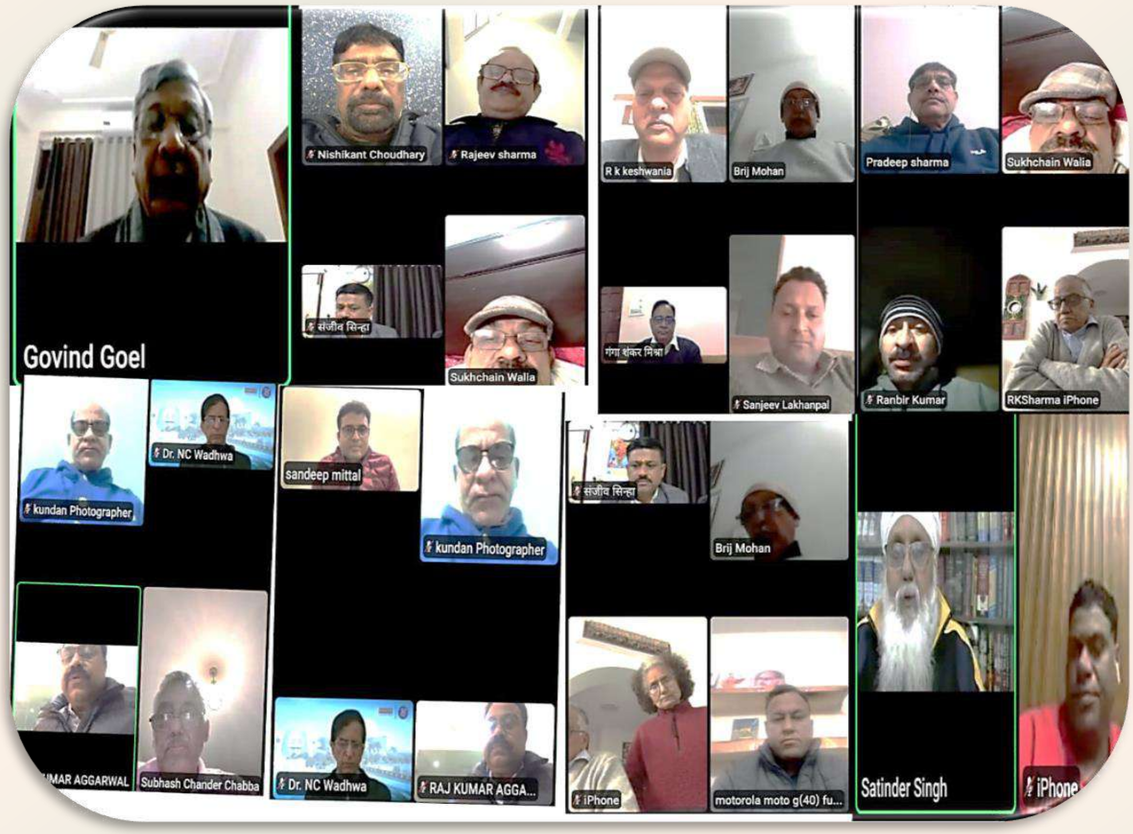

इस बैठक में श्री संजीव लखनपाल, श्री राकेश गुप्ता, सुश्री सुनीता कुमारी, श्री रामाऔतार तायल, श्री रामलाल गौर, श्री मुनीश्वर, श्री रामलाल बोरार, श्री राजकुमार शर्मा, श्री राम उग्र शुक्ल, सुश्री आशा शर्मा, श्री जयेश सिंह राठौर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री राजकुमार अग्रवाल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन श्री संदीप मित्तल ने किया। ❑

4

कार्यकर्ता बैठक

न्याय चौपाल की कार्यकर्ता बैठक 27 फरवरी, 2023 को ऑनलाइन माध्यम (जूम) से आयोजित हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल एवं जस्टिस श्री प्रमोद कोहली विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके साथ ही इस बैठक में श्री गंगाशंकर मिश्र, श्री आरके केशवानिया, श्री संदीप मित्तल, श्री रामलाल गौर, श्री जेपी यादव, श्री संतोष तिवारी, श्री निशिकांत चौधरी, श्री जयेश सिंह राठौर, श्रीमती सुनीता, श्री जेएल द्विवेदी, श्री प्रदीप शर्मा, श्री राजकुमार शर्मा, श्री राम उग्र शुक्ल, श्रीमती आशा शर्मा, श्रीमती मीना कुमारी, श्री मुनीश्वर, श्री रणबीर, श्री संजीव लखनपाल, श्री राकेश गुप्ता, श्री राम औतार तायल सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

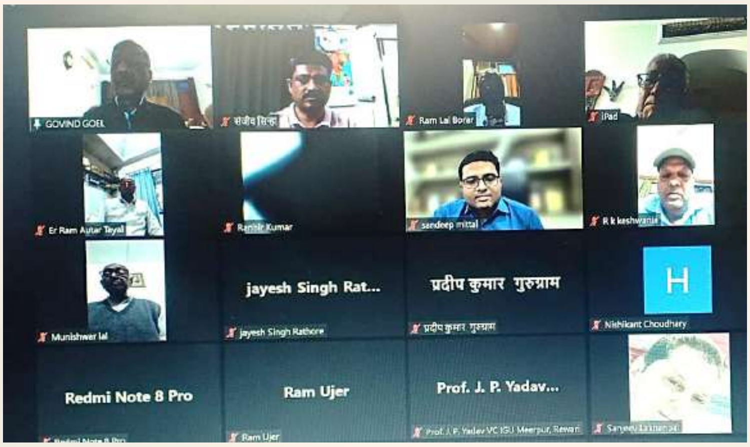

बैठक में अपने विचार रखते हुए श्री गंगाशंकर मिश्र ने कहा कि व्यक्तिगत संपर्क, मित्र, जानकार, आरडब्ल्यूए, धर्मस्थल, ऐसी संस्थाएं जो इस विषय को लेकर कार्यरत हैं, इन सबसे हमें केस मिल सकते हैं। केसों की प्रकृति अनुसार उनका वर्गीकरण करें। दो लोगों की टोली हो। दोनों पक्षों की पूरी बात सुनें। धैर्य रखें। सुचारु प्रक्रिया के लिए केस रजिस्टर्ड करें, जिसमें क्रमांक, स्थान, तिथि, दोनों पार्टियों का विवरण एवं टीम सदस्यों के नाम हों।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय चौपाल का कार्य करते हुए इसकी कार्यपद्धति विकसित हो रही है। कई तरह के हम सबके अनुभव आए हैं। विवाद के समाधान का स्थल सामाजिक संस्था, मंदिर, सामुदायिक केंद्र, विद्यालय इत्यादि हो सकते हैं। ❑

5

कार्यकर्ता बैठक

न्याय चौपाल की केंद्रीय बैठक 18 मार्च, 2023 को एफआईए हॉल, बाटा चौक, फरीदाबाद में आयोजित हुई। इस बैठक में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कृष्णगोपालजी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इसके साथ ही इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल, श्रीमती अनुपमा गोयल, श्री गंगाशंकर मिश्र, श्री आर.के. केशवानिया, डॉ. मुक्ता गुप्ता, श्री संदीप मित्तल, श्री आर.एल. बोरार, श्री राजकुमार शर्मा, श्री मनोज गुप्ता, श्री बद्री नारायण शर्मा, डॉ. एन.सी. वाधवा, डॉ. जे.पी. यादव एवं श्री संतोष तिवारी उपस्थित थे। ❑

(नोटः इस बैठक में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कृष्णगोपालजी ने मार्गदर्शन उद्बोधन दिया, जो इस पुस्तक में अलग से प्रस्तुत है।)

6

फरीदाबाद एवं गुरुग्राम इकाई की संयुक्त बैठक

न्याय चौपाल, फरीदाबाद एवं गुरुग्राम इकाई की संयुक्त बैठक 24 जून, 2022 को ऑनलाइन माध्यम (ज़ूम) से आयोजित हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री राजकुमार अग्रवाल ने किया। इसके साथ ही इस बैठक में श्री जे.एल. द्विवेदी, श्री सुनील सिन्हा, श्री जे.पी. शर्मा, श्रीमती अदिति चौधरी, श्री अजय बनारसीदास गुप्ता, डॉ. एन.सी. वाधवा, श्री आशुतोष गर्ग, श्री मोहिन्दर कुमार, आईएएस (से.नि.), श्रीमती रुचि सक्सेना, श्री गंगा शंकर मिश्र, श्री सुरेन्द्र शर्मा, डॉ. मुक्ता गुप्ता, श्रीमती विजयाजी, श्री सुभाष गोयल एवं श्री आर.के. केशवानिया सहित अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में अपने विचार रखते हुए श्री गंगाशंकर मिश्र ने कहा कि न्याय चौपाल का काम करते हुए हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। हम कोर्ट के बाहर विवाद सरलता से सुलझा सकते हैं। हमें बिगड़ते वातावरण को ठीक करना है। नैतिक समाज को पुष्ट करना है। अभी वैवाहिक विवाद के केसेज अधिक आ रहे हैं। ध्यान में आया है कि अधिकांशत: अहंकार के चलते दूरियां बढ़ जाती हैं। श्री मिश्र ने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि हम न्याय चौपाल की टीम सशक्त करें। इसे मिशन के रूप में लें। सामाजिक सरोकार के नाते कुछ समय निकालें और विवादों का समाधान करें। उन्होंने कुछ विवादों के समाधान को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया।

डॉ. एन.सी. वाधवा ने कहा कि वर्तमान में वैवाहिक केस अधिक आ रहे हैं। श्री जे.पी. शर्मा ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों से केस आएं। प्रॉपर्टी केस, क्रिमिनल केस, चेक बाउन्स के केसेज बढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान देना होगा।

डॉ जे.एल. द्ववेदी ने कहा कि विवाद के समाधान के बाद भी हम उस मामले में नजर बनाए रखें।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि न्याय चौपाल के माध्यम से हम अनेक वर्षों से प्रयासरत हैं। कुछ-कुछ सफलता मिली है। हमें विवाद को चिन्हित करना है और फिर उसका समाधान। हमें लीगल सर्विस अथॉरिटी, आरडब्ल्यूए से मिलकर केस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रयास यह हो कि कोर्ट-कचहरी के बाहर आपस में संतोषजनक समझौता-समाधान हो जाए। दोनों पार्टीज के बीच संवाद उत्पन्न करें। क्योंकि कोर्ट में चले गए तो संवाद खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि विवाद-समाधान की प्रकिया लंबी होती है। अत: धैर्य बनाए रखें।

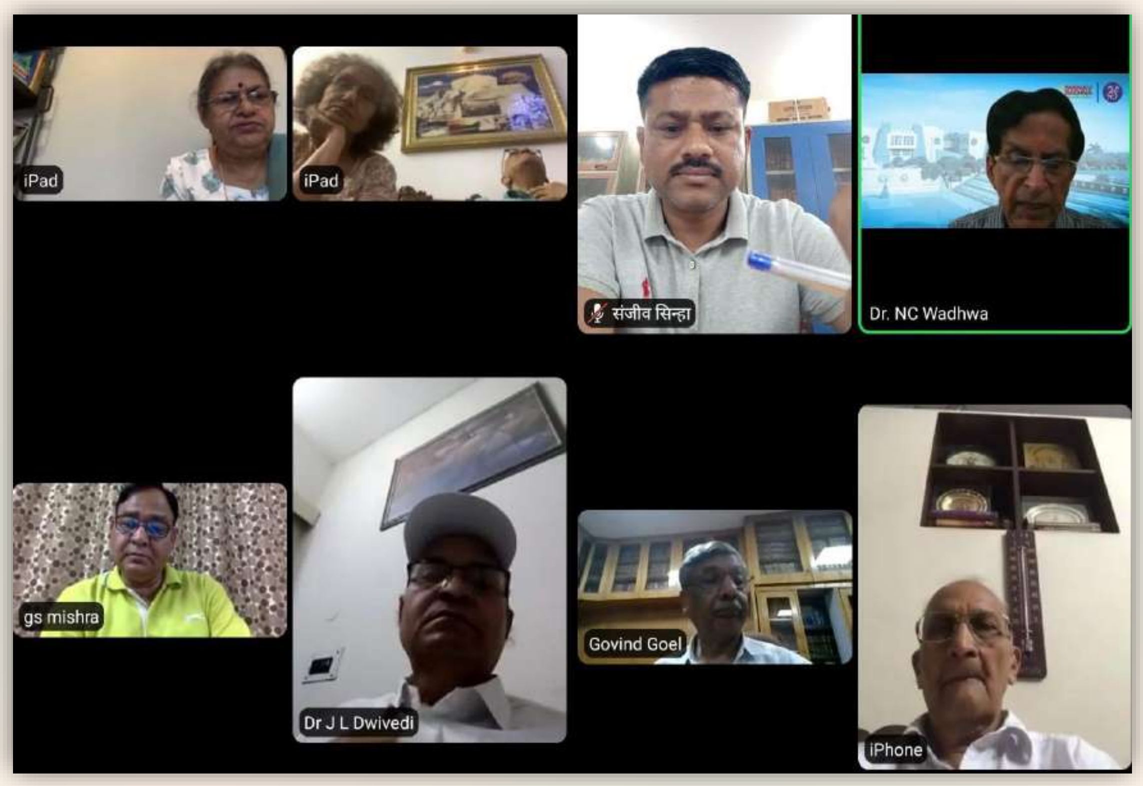

श्री गोयल ने न्याय चौपाल को सशक्त करने के लिए निरंतरता पर बल दिया और कहा कि साप्ताहिक-पाक्षिक-मासिक मिलन होते रहना चाहिए। फिजिकल बैठकें भी आयोजित हों। जिन विवादों के समाधान हुए, उनके दस्तावेज बनाएं। ❑

फरीदाबाद इकाई

7

न्याय चौपाल, फरीदाबाद इकाई की मासिक बैठक 12 अक्टूबर, 2022 को ऑनलाइन माध्यम (जूम) से आयोजित हुई। अपने विचार रखते हुए श्री गंगाशंकर मिश्र ने कहा कि हमारा समाज विवादमुक्त हो, इसके लिए हमें प्रयास करना है। समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना है। यदि कोई विवाद होता भी है तो स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों को बिठाकर संवाद के द्वारा इसका समाधान करना है।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि हमें विवाद के मूल कारणों को चिन्हित करना चाहिए। दोनों पक्षों से क्या विशेष बात की कि समाधान हुआ, इसे रेखांकित करना चाहिए। आगे विवाद-समाधान में हमें इससे सहयोग मिलेगा। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवाद दुबारा न हो। विवाद समाधान के बाद फॉलोअप लेना चाहिए।

इस बैठक में श्री आर.के. केशवानिया, डॉ. एन.सी. वाधवा, डॉ. जे.एल. द्विवेदी, श्री अमरनाथ जिंदल सहित अनेक कार्यकर्ताओं की उपस्थित रहे। ❑

8

न्याय चौपाल, फरीदाबाद इकाई की मासिक बैठक 13 नवंबर, 2022 को सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र, फरीदाबाद में आयोजित हुई। बैठक में श्री गंगाशंकर मिश्र ने कहा कि न्याय चौपाल संवाद के आधार पर विवाद का समाधान करता है, इस प्रकार यह विवाद को न्यायालय में जाने से रोकता है।

मनोवैज्ञानिक डॉ. तोसविंदर द्विवेदी ने कहा कि विवाह संस्था टूट रही है। भारत का यूएसपी है विवाह संस्था। विवाह एक संस्कार है। वहीं, लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ रहा है। तलाक का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है।

डॉ. द्विवेदी ने कहा कि दोनों पक्षों को अलग-अलग सुनें। उसको जज न करें। उसको सहज फील कराएं कि जो बोलना है, खुलकर बोलो। उसके बाद दोनों को ज्वाइंट सेशन में बिठाइए।

उन्होंने कहा कि विवाद-समाधान के दौरान सकारात्मकता पर जोर दें।

इस बैठक में श्री आर.के. केशवानियाजी, श्री संदीप मित्तल, श्री आशुतोष, श्री मनोज गुप्ता, श्री उमाशंकर मिश्रा, श्री राजकुमार शर्मा, डॉ. मुक्ताजी, सुश्री रंजना शर्मा भी उपस्थित थे। कुल 16 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। धन्यवाद ज्ञापन श्री राजकुमार अग्रवाल ने किया। ❑

9

न्याय चौपाल, फरीदाबाद इकाई की मासिक बैठक 8 जनवरी, 2023 को ऑनलाइन माध्यम (जूम) से आयोजित हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इसके साथ ही इस बैठक में श्री गंगाशंकर मिश्र, श्री आर.के. केसवानिया, श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री मनोज गुप्ता, श्री रामलाल बोराड़, डॉ. मुक्ता गुप्ता, श्रीमती रंजना शर्मा, श्रीमती प्रीति मित्तल एवं श्री सुरेन्द्र शर्मा उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री संदीप मित्तल ने किया।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि यह हर्ष का विषय है कि फरीदाबाद इकाई की मासिक बैठकें लगातार हो रही हैं और विवादों के समाधान भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक को सुंदर तरीके से आयोजित करने के लिए यह आवश्यक है कि बैठक से आधा घंटा पूर्व भी सबको अनुस्मारक भेजकर सूचित कर दें।

श्री गोयल ने कहा कि अपनी टोली का विस्तार करना चाहिए। प्रत्येक महीने अपनी इकाई में व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् एक कार्यकर्ता को जोड़ें।

श्री आर.के. केशवानिया ने कहा कि ठंड बढ़ गई है इसलिए सक्रियता में थोड़ी कमी है, हालांकि हाल ही में दो विवादों के समाधान हुए हैं।

श्रीमती प्रीति मित्तल ने एक वैवाहिक विवाद के समाधान के बारे में विस्तार से बताया।

श्री गंगाशंकर मिश्र ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम अपनी इकाई में अधिक विवादों का समाधान कर सकें, इसके लिए हमें कई माध्यमों से केस टेकअप करने होंगे। यह कैसे हो सकेगा, इस पर विचार करना चाहिए। ❑

10

न्याय चौपाल, फरीदाबाद इकाई की मासिक बैठक 19 मई, 2023 को ऑनलाइन (जूम) के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रमोद कोहली, न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल, श्री गंगाशंकर मिश्र, श्री आर.के. केशवानिया, श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री संदीप मित्तल, श्री आशुतोष गर्ग, डॉ. मुक्ता गुप्ता एवं श्री बृजमोहन उपस्थित थे।

बैठक में अपने विचार रखते हुए श्री गंगाशंकर मिश्र ने कहा कि अपने कार्य को चलते हुए काफी लंबा समय हो गया है। यह कार्य विधि-विधान से चले, इसकी सबसे अपेक्षा है। अपनी इकाई में केस लेनेवाली टीम हो, केस का समाधान करनेवाली टीम हो और पूरी प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन हो। डॉक्यूमेंटेशन उतना ही जरूरी है, जितना विवादों का समाधान।

श्री मिश्र ने कहा कि बैठक आयोजित करने की अपनी एक पद्धति है। बैठक से पूर्व तीन-चार प्रमुख लोगों से चर्चा कर लें। बैठक एक सप्ताह पूर्व तय करें। विधिवत सूचना दें। सूचना हम वॉट्सएप संदेश के माध्यम से देते हैं। इसके साथ ही, कॉल करके सूचना अवश्य दें। सूचना में कार्य-सूची भी होनी चाहिए। कौन क्या

करेगा, इसके लिए बैठक से पूर्व ही कार्य-विभाजन हो। गत बैठक के बाद हुए डेवलपमेंट पर चर्चा करें। कार्यपद्धति पर चर्चा हो।

उन्होंने कहा कि अपनी टीम बढ़ानी है, क्योंकि टीम नहीं बढ़ेगी तो हमारा कार्य-विस्तार नहीं होगा। प्रत्येक केस के लिए दो-दो लोगों की टीम हो।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि बैठक आयोजन को लेकर गंगाशंकरजी ने अपने विचार रखे हैं। बैठक समय पर प्रारंभ हो, इसका प्रयास करें। दस मिनट पहले सब जुड़ें। ऑनलाइन बैठक में विविधता लाने के लिए न्याय चौपाल का बैनर लगा सकते हैं।

श्री गोयल ने कहा कि न्याय चौपाल के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से 'सामाजिक कार्यक्रम' आयोजित करने की योजना बना सकते हैं। इसमें आरडब्ल्यूए, पंच-सरपंच-नंबरदार, सामाजिक संगठन, स्थानीय संगठन, मध्यस्थता केंद्र आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम उन्हें न्याय चौपाल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। समाज में न्याय चौपाल की पर्याप्त जानकारी होने से हमें केस भी मिल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में प्रवास को लेकर चर्चा हुई थी। प्रत्येक इकाई में प्रवासी कार्यकर्ता हों, जो दूसरी इकाई में जाकर अपने अनुभवों की जानकारी दे सकते हैं। परस्पर ऐसा होने से हर इकाई को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बैठक में विशेष तौर पर अन्य इकाइयों से अनुभवी सदस्यों को विशेषतः आमंत्रित करने से बैठक की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। वे सदस्य अपने व अपनी ईकाई की कार्य-प्रणाली सम्बन्धित जानकारी देकर प्रेरक सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार उन सदस्यों को भी बैठक की चर्चा से नए अनुभव सीखने को मिल सकते हैं और इनसे उनकी ईकाई लाभान्वित हो सकती है। इस प्रकार दोनों और से संगठन के कार्य को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि पिछले जून से अभी तक 68 विवादों के समाधान हुए हैं। इन सबको संकलित करते हुए एक पुस्तिका बन रही है, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियां और चित्र आदि भी शामिल किए जा रहे हैं।

बैठक में श्री आर.के. केशवानिया ने तीन विवादों एवं श्री बृजमोहन ने एक विवाद के समाधान को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया।

इस बैठक में श्री आशुतोष गर्ग एवं श्री राजकुमार अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। बैठक का संचालन श्री संदीप मित्तल ने किया। ❑

चंडीगढ़ इकाई

11

न्याय चौपाल, चंडीगढ़ इकाई की मासिक 9 जून, 2022 को सेवा भारती (सेवाधाम), चंडीगढ़ में आयोजित की गई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल विशेष रूप से उपस्थित थे, इसके साथ ही न्याय चौपाल, चंडीगढ़ इकाई के संयोजक श्री सतेन्द्र, श्री गौरव कंसल, श्री जंग बहादुर यादव, श्री जयप्रकाश, श्री राजेश कुमार पांडेय, श्री पुष्पेश कुमार, श्री श्याम लाल, श्री कुंदन एवं श्री संजीव लखनपाल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

इस बैठक में प्रतिनिधियों ने जिन-जिन विवादों का समाधान किया है, उसका विवरण प्रस्तुत किया। मुख्य रूप से इनमें वैवाहिक विवाद, पति-पत्नी के बीच मतभेद, घरेलू हिंसा एवं मोटर दुर्घटना के विवाद शामिल थे। न्याय चौपाल की पहल पर उपर्युक्त कुछ विवादों के समाधान हुए हैं एवं कुछ मामलों में समाधान की दिशा में आगे बढ़े हैं।

इस बैठक में यह तय हुआ कि टोली का विस्तार किया जाए एवं विवादों के समाधान में लैंगिक संवेदनशीलता की दृष्टि से महिला कार्यकर्ताओं को इससे जोड़ा जाए।

विदित हो कि न्याय चौपाल समस्याओं की तह में जाकर संवाद के आधार पर उसका समाधान ढूढ़ने की पहल करता है। चौपाल की पहल पर छोटे-छोटे अनेक विवादों के समाधान हुए हैं। ❑

12

न्याय चौपाल, चंडीगढ़ इकाई की मासिक बैठक 2 अक्टूबर, 2022 को सेवा धाम, सेक्टर 29, चंडीगढ़ में संपन्न हुई। इस बैठक में चंडीगढ़ इकाई की सभी टोलियों के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में विवाद-समाधान को लेकर किए गए कार्य के बारे में बताया।

इस बैठक की अध्यक्षता न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने की। अपने वक्तव्य में श्री गोयल ने कहा कि न्याय चौपाल संगठन को और मजबूत किया जाए। सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग सामाजिक कार्य में रुचि लेते हैं उनको साथ में जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी टोली बनाकर समाज के हर क्षेत्र में कार्य करें। जहां हो सके वहां कोर कमेटी के सदस्यों को साथ लेकर जाएं। शहर में जहां कॉलोनियां हैं वहां कार्य करें और न्याय चौपाल के माध्यम से विवादों को सुलझाएं।

इस बैठक में श्री सतिंदर सिंह ने एक विवाद के बारे में बताया, जिसका कि समाधान हो गया है। वहीं श्री कुंदन बैरवा ने एक विवाद के बारे में बताया, जिसका समाधान होना अभी बाकी है। ❑

13

न्याय चौपाल, चंडीगढ़ इकाई की मासिक बैठक 13 नवंबर, 2022 को रामदरबार, चंडीगढ़ में आयोजित हुई। यह बैठक इस मायने में विशेष रही, क्योंकि इसमें रामदरबार के स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इनमें से अनेक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो अपने समाज में पहले से ही बैठक कर विवाद का समाधान कर रहे हैं। इन्होंने अपने इन विवाद-समाधान कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस बैठक में न्याय चौपाल, चंडीगढ़ के माध्यम से किए गए विवाद-समाधान के दोनों पक्षों से कुछ लोग भी शामिल हुए।

इस अवसर पर न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने अपने वक्तव्य में न्याय चौपाल की कार्यपद्धति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि न्याय चौपाल सामाजिक स्तर पर दोनों पक्षों के बीच संवाद की पहल कर विवाद के समाधान के लिए प्रयास करता है। इसमें हमें सफलता मिल रही है। ❑

14

न्याय चौपाल, चंडीगढ़ इकाई की मासिक बैठक 26 जनवरी, 2023 को संपन्न हुई। इस बैठक में श्री सतेन्दर, श्री कुंदन लाल, श्री संजीव लखनपाल, श्री गोविन्द गोयल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि न्याय चौपाल एक स्वैच्छिक संस्था है। यह बिना किसी स्वार्थ के निष्पक्ष होकर कार्य करता है। चौपाल का उद्देश्य है—समाज विवादमुक्त बने। स्थानीय स्तर पर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति विवादों का समाधान करें। दोनों पक्ष सुखी से रहें। ❑

15

न्याय चौपाल, चंडीगढ़ इकाई की मासिक बैठक 21 अप्रैल, 2023 को आयोजित हुई। इस बैठक में श्री गोविन्द गोयल, श्री सतेन्दर, श्री कुंदन लाल, श्री संजीव लखनपाल, श्री जय प्रकाश, श्री राजीव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

इस अवसर पर न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि न्याय चौपाल की स्थापना 2017 में हुई थी। तबसे यह निरंतर सक्रिय है। विभिन्न इकाइयों में ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं, जिनके पास विवाद-समाधान को लेकर अच्छे

अनुभव हैं। उन्हें अपने अनुभव निकटतम इकाइयों में प्रवास कर साझा करना चाहिए। चंडीगढ़ इकाई के कार्यकर्ताओं को पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम, रोहतक आदि इकाइयों में जाकर अपने अनुभव बताना चाहिए। ऐसे प्रवास परस्पर इकाइयों में हों, इससे न्याय चौपाल के कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ❑

16

न्याय चौपाल चंडीगढ़ इकाई की मासिक बैठक 26 जून, 2023 को सेवा धाम, चंडीगढ़ में आयोजित हुई। इस बैठक में तय हुआ कि चार स्थानों (राम दरबार, डड्डूमाजरा, धनास एवं मलोया) पर उप-इकाइयों का गठन किया जाए।

इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल, श्री मुनीश्वर लाल, श्री सतेन्द्र सिंह, श्री कुन्दन बैरवा, श्री संजीव लखनपाल, श्री दिनेश कुमार यादव, श्री जोश सिंह, श्री जंगबहादुर यादव, सुश्री सुनीता राठौर, सुश्री योगिता चौहान एवं श्री सम्सी धीर मल्होत्रा उपस्थित थे।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि हमें इस संस्था को सशक्त करना है। अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श कर प्रत्येक महीना अपनी टोली में एक नए कार्यकर्ता को जोड़ना है। हमें संवाद के माध्यम से, धैर्यपूर्वक, गोपनीयता बरतते हुए विवादों का समाधान करना है।

श्री मुनीश्वर लाल ने अपना सुझाव दिया कि हमें कुछ ऐसे इलाके-कॉलोनियों को चिन्हित करना चाहिए, जहां पर न्याय चौपाल की विशेष जरूरत हो। उन इलाकों के प्रभारी भी नियुक्त किए जाएं और उनकी जिम्मेवारी भी तय की जाएं। ❑

पंचकूला इकाई

17

न्याय चौपाल, पंचकूला इकाई की मासिक बैठक 18 जून, 2022 को गीता मंदिर, सेक्टर-11, पंचकूला (हरियाणा) में आयोजित की गई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल विशेष रूप से उपस्थित थे, इसके साथ ही ब्रिगेडियर श्री बेअन्त परमार, श्री रमाकान्त भारद्वाज, श्री राजीव शर्मा, जस्टिस श्री ए.एन. जिंदल (से.नि.), श्री एम.सी. तिवारी, श्री अरविन्द सुदर्शन, श्रीमती रेणुका शर्मा, श्री बी.आर. बंसल, श्री एस.सी. छब्बा, श्री राजेश कुमार शास्त्री, श्री संजय शर्मा, डॉ. एम.एस. मेहता एवं डॉ. जे.एल. द्विवेदी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

इस बैठक में स्थानीय स्तर पर कई विवादों के समाधान को लेकर किए जा रहे प्रयासों एवं न्याय चौपाल टोली विस्तार पर चर्चा की गई। ❑

रोहतक इकाई

18

न्याय चौपाल, रोहतक इकाई की मासिक बैठक 25 जून, 2022 को ऑनलाइन माध्यम (गूगलमीट) से आयोजित हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री संतोष तिवारी ने किया। इसके साथ ही इस बैठक में प्रो. जे.पी. यादव, डॉ. आशा शर्मा, डॉ. प्रभाकर कुमार, श्री गंगाशंकर मिश्र, श्री चेतन शर्मा, श्री अश्वनी धींगड़ा, श्रीमती ललिता शर्मा, श्रीमती मनोरमा द्विवेदी, श्री मनोरंजन द्विवेदी, प्रो. विनोद शर्मा, श्रीमती सुलेखा, श्रीमती सुनीता कुमारी सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

डॉ. संतोष तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि न्याय चौपाल, रोहतक इकाई के पास 6-7 केसेज आई थीं, जो शिक्षा एवं वैवाहिक विवाद से संबंधित थीं। बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाया गया।

श्री मनोरंजन द्विवेदी ने कहा कि बैठक की निरंतरता बनी रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए।

न्याय चौपाल, रोहतक इकाई के संचालक प्रो. जे.पी. यादव ने कहा कि दोनों पक्षों से पहले व्यक्तिगत स्तर पर बात हो। हमें धैर्य रखना है, गोपनीयता भी बरतनी है।

बैठक में अपने विचार रखते हुए श्री गंगाशंकर मिश्र ने कहा कि रोहतक इकाई में अधिक सदस्य प्रबुद्ध वर्ग से हैं। हमें समाज के वातावरण को ठीक रखना है। नैतिकता को प्रोत्साहित करना है। हमें अदालत के बाहर विवादों का सहजता-सरलता, निरपेक्ष भाव, संवेदनशीलता, गोपनीयता और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से समाधान करना है। हम गंभीरता से दोनों पक्षों की बात सुनें। इसकी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। केस रजिस्टर बनाएं। टोली का विस्तार हो।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि फैमिली कोर्ट और लीगल सर्विस अथॉरिटी से नए केस ले सकते हैं। नियमित रूप से बैठकें आयोजित हों। कार्यालय बनाएं। अनुभव के आधार पर कार्यपद्धति विकसित करें। जिन विवादों का समाधान हो गया है, उसके बारे में विस्तार से लिखकर, साथ ही ऑडियो बनाकर न्याय चौपाल के केंद्रीय कार्यालय में भेजना चाहिए। ❑

गुरुग्राम इकाई

19

न्याय चौपाल, गुरुग्राम इकाई की मासिक बैठक 13 अगस्त, 2022 को सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 10 ए, गुरुग्राम में संपन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया: सुश्री प्रतिभा शर्मा, श्री आर.के. शर्मा, श्री जे.बी. शर्मा, श्री एम.सी. मेहरा, श्री मोहिंदर कुमार, श्री प्रदीप शर्मा एवं श्री एन.सी. वाधवा।

सुनवाई के लिए दो मामले तय किए गए थे लेकिन केवल एक ही सुनवाई हुई और दूसरे मामले से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

श्री एन.सी. वाधवा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को फैमिली कोर्ट्स, कार्यकर्ताओं और आरडब्ल्यूए से विवादों को प्राप्त करने के लिए किए गए विस्तृत प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने आरडब्ल्यूए को लिखे गए पत्र कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए।

कार्यकर्ताओं का मानना था कि धीरे-धीरे न्याय चौपाल का प्रचार-प्रसार होगा और अपेक्षित परिणाम देखने को मिलेंगे। यह निर्णय लिया गया कि नियमित मासिक बैठकें महीने के दूसरे शनिवार को होंगी, जब तक कि किसी अन्य तारीख को स्थानांतरित करने का कोई अनिवार्य कारण न हो। ❑

20

न्याय चौपाल, गुरुग्राम की मासिक बैठक 10 सितंबर, 2022 को अशोक सिंघल वैदिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, सेक्टर 56, गुरुग्राम के परिसर में आयोजित हुई। इस बैठक में श्री एम.सी. मेहरा, श्री मोहिंदर कुमार, श्रीमती प्रतिभा शर्मा, श्रीमती मीना कुमारी, श्री आर.के. शर्मा, श्री प्रदीप शर्मा एवं श्री एन.सी. वाधवा उपस्थित रहे। बैठक में वैवाहिक विवाद के दो मामलों की सुनवाई की गयी। ❑

21

न्याय चौपाल, गुरुग्राम इकाई की मासिक बैठक 16 अक्टूबर, 2022 को एचईडब्ल्यूओ-1, सेक्टर 56, गुरुग्राम के सामुदायिक केंद्र में संपन्न हुई। इस बैठक में श्री आर.के. शर्मा, श्री जे.बी. शर्मा, श्री मोहिंदर कुमार, सुश्री मीना कुमारी और श्री एन.सी. वाधवा उपस्थित थे। इस बैठक में दो विवादों की सुनवाई की गयी। ❑

22

न्याय चौपाल, गुरूग्राम की मासिक बैठक 19 नवंबर, 2022 को सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 10ए, गुरूग्राम में आयोजित हुई। इस बैठक में श्री एन.सी. वाधवा, श्री एम.सी. मेहरा, श्री आर.के. शर्मा, श्रीमती प्रतिभा शर्मा एवं श्री मोहिंदर कुमार उपस्थित रहे। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर चर्चा हुई। ❑

23

न्याय चौपाल, गुरूग्राम इकाई की मासिक बैठक 29 जनवरी, 2023 को गुरूग्राम में आयोजित हुई। इस बैठक में संगठन विस्तार एवं विवाद अर्जन पर चर्चा हुई। श्री एन.सी. वाधवा ने कहा कि समाज में उत्पन्न हो रहे विवादों

के समाधान को लेकर न्याय चौपाल सक्रिय है। नए विवाद हमें मुख्यतः अपने कार्यकर्ताओं से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम अधिक संख्या में विवादों का समाधान कर सकें, इसके लिए हमें आरडब्ल्यूए, फैमिली कोर्ट्स एवं इस तरह की अन्य संस्थाओं से संपर्क बढ़ाने होंगे। ❑

मध्य क्षेत्र समन्वय बैठक

24

न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र) की बैठक 25 सितंबर, 2022 को ऑनलाइन माध्यम (गूगलमीट) से आयोजित हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री निशिकांत चौधरी ने किया। इसके साथ ही इस बैठक में श्री एन.सी. वाधवा, श्री आर.के. केसवानिया, श्री संतोष तिवारी, श्री जयेश सिंह राठौर, श्री डी.पी. राय, श्री जय शर्मा, सुश्री रंजीता नरेलिया, सुश्री सुमन पटेल, सुश्री सरिता पिल्लई, श्री सुनील सिंहल, श्री मनोज वर्मा, श्री नानक चंद, डॉ. अनूप तिवारी, श्री राजेश मिश्रा, श्री चंद्रप्रकाश राजपूत, श्री मुकेश, श्री कुंदन, सुश्री मनीषा पाटिल, सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य, डॉ. मुकुल तिवारी, डॉ. मीना पांडेय, श्री प्रदीप माहेश्वरी, डॉ. राजेश रणदिवे, श्री प्रदीप एवं सुश्री शिल्पी सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

श्री निशिकांत ने अपने वक्तव्य में कहा कि न्याय चौपाल के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि कचहरी और पुलिस स्टेशन में विवादों को ले जाए बिना संवाद के आधार पर उनका समाधान हो। जिन मामलों में सालों से केस चल रहा है, उनका भी समाधान चौपाल कर रहा है। अभी तक हमारे पास कुल 108 विवाद आए हैं, जिनमें से 84 विवादों के समाधान हुए हैं। विवाद-समाधान को लेकर डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कॉलेज के छात्रों को अनेक मुद्दों पर जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में विवाद न हो सकें।

बैठक में कार्यकर्ताओं ने हाल ही में संपन्न विवाद-समाधान के बारे में बताया। श्री जयेश सिंह राठौड़ ने पति-पत्नी के बीच विवाद, श्री डी.पी. राय ने ऑटो चालक और बैंक के बीच ऋण संबंधी विवाद एवं सुश्री रंजीता ने नशे की गिरफ्त में फंसने के कारण युवा और उसके परिवार से हुए विवाद और समाधान के बारे में बताया।

श्री एन.सी. वाधवा ने अपने वक्तव्य में अनेक विवादों के समाधान किए जाने को लेकर न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र को बधाई दी।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि अच्छी गति से न्याय चौपाल की इकाइयां कार्य कर रही हैं। विवाद-समाधान के दौरान कार्यपद्धति का विकास हो रहा है। हमें विशेष बिंदु को रेखांकित करना है, जो आगे विवाद-समाधान में मार्गदर्शक हो सकते हैं, भविष्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं। न्याय चौपाल का उद्देश्य है कि आम आदमी को न्याय मिले। दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास उत्पन्न हो और संवाद के आधार पर विवादों का समाधान हो।

उन्होंने कहा कि न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र की काफी दिनों बाद बैठक हो रही है। हमें मासिक बैठक अवश्य करनी चाहिए।

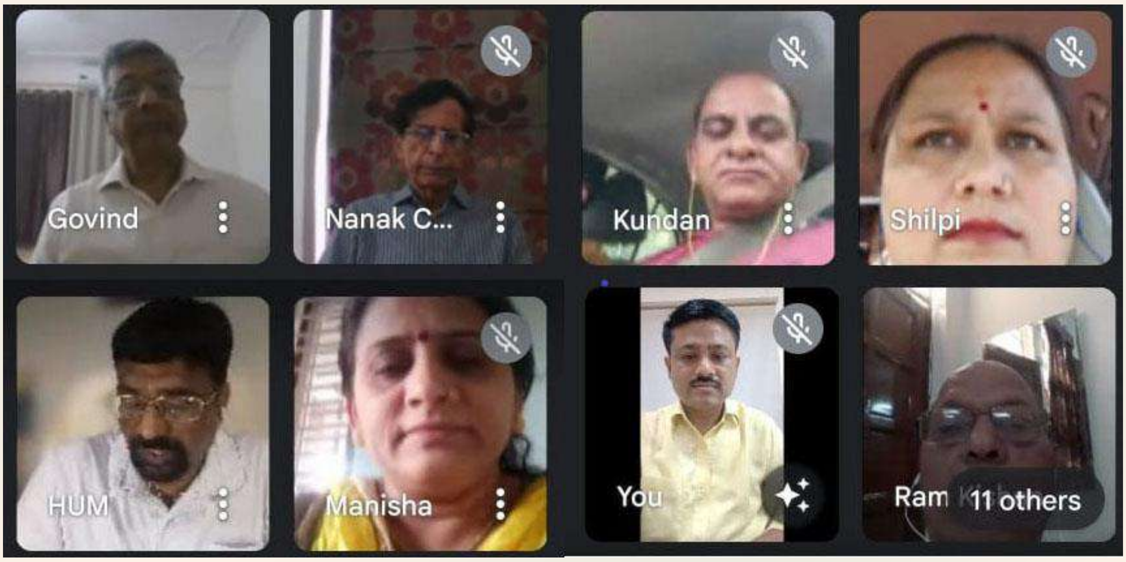

बैठक के प्रारंभ में हाल ही में दिवंगत न्याय चौपाल के अध्यक्ष रहे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरसी लाहोटी की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक का समापन कल्याण-मंत्र से हुआ। ❑

25

न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र की बैठक 10 जून, 2023 को आनलाइन (गूगल मीट) के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल उपस्थित रहे। श्री खेमराज तितरे, श्री डी.पी. राय, श्रीमती रंजीता नरेलिया ने नए विवाद-समाधान की संक्षिप्त जानकारी साझा की।

न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि न्याय चौपाल मध्य क्षेत्र इकाई की सक्रियता सराहनीय है। कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक और रचनात्मक विचारों के आधार पर अनेक परिवारों को बसाया है। उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्र की सभी इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए नियमित बैठकों के माध्यम से इसकी सक्रियता बनाए रखनी है।

बैठक में श्री के.पी. राही (भोपाल), श्री किशोर अग्रवाल (दमोह), श्री राकेश कुमार जैन (इंदौर), श्री प्रदीप अग्रवाल, श्री ओमप्रकाश गुप्ता (उज्जैन), श्रीमती मनीषा पाटिल, श्रीमती स्वप्रिल जैन (खण्डवा), श्री प्रमेश शंकर शर्मा (नरसिंहपुर) श्री सुनील सिंघल (नीमच), श्री संतोष मोरघडे, डॉ राजेश रणदिवे (बालाघाट), श्री राजेश मिश्रा (मण्डला), श्री कैलाश संभारे (छिन्दवाडा), श्रीमती रजनी शुक्ला (डिंडोरी), डॉ. अनूप तिवारी, श्री सीपी राजपूत, श्री अयोध्या प्रसाद, श्री रूप सिंह परमार (जबलपुर), प्राचार्य श्री चंद्रकिशोर मोरघडे, श्री संदीप रामटेककर (महाराष्ट्र), श्रीमती राजश्री गांधी (राजस्थान), श्री राजेन्द्र दुरुगकर, श्री राजकुमार पाटकर (छत्तीसगढ़) आदि सदस्यों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

बैठक का संचालन श्री निशिकान्त चौधरी ने किया।

बैठक में यह तय हुआ कि जबलपुर टोली की बैठक 25 जून को आयोजित की जाएगी। ❑

मध्य प्रदेश इकाई

26

न्याय चौपाल की बैठक मई, 2023 में भोपाल (मध्य प्रदेश) में संपन्न हुई। श्री पीके राही एवं टोली के साथ बैठक आयोजित हुई। न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र के संयोजक श्री निशिकांत चौधरी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस बैठक में न्याय चौपाल संगठन को सशक्त करने के लिए टोली विस्तार, विवाद अर्जन एवं प्रलेखन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ❑

27

न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र की संभागीय बैठक 25 जून, 2023 को जबलपुर (मध्य प्रदेश) में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र के संयोजक श्री निशिकांत चौधरी ने की। इस बैठक में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिलों से कुल 36 कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारंभ में न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल का श्री निलेश पाल ने पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। डॉ. शालीन ढींगरा ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया।

बैठक में श्री डी.पी. राय, डॉ. शालीन ढींगरा, श्री निलेश श्रीवास्तव, श्री जयेश सिंह राठौर, डॉ. अनूप तिवारी, श्री विजेश गोस्वामी एवं श्री राजेन्द्र राय ने नवीन विवादों के समाधान के संबंध में जानकारी दी।

कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए न्याय चौपाल के राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविन्द गोयल ने कहा कि आप लोग विवादों के समाधान को लेकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसका समुचित दस्तावेजीकरण हो। हमें एक ऐसी टोली का गठन करना चाहिए, जिसके सदस्य प्रलेखन कार्य में दक्ष हों। उन्होंने कहा कि इस बैठक में चार जिले से कार्यकर्ता आए हुए हैं। इन चार जिलों में न्याय चौपाल की इकाई शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी इकाइयों में मासिक बैठक अवश्य होनी चाहिए। अनुभवी कार्यकर्ता जिला इकाइयों में प्रवास करें। श्री गोयल ने कहा कि न्याय चौपाल सरकारी सहायता से मुक्त संस्था है। इस संस्था में किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन नहीं होता है, यह निःशुल्क व्यवस्था है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र के संयोजक श्री निशिकांत चौधरी ने कहा कि संगठन की सक्रियता को और तेज करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर श्री सी.पी. राजपूत, सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य, सुश्री अर्चना सैनी, सुश्री लीला पाल, सुश्री रंजीता नरेलिया, श्री विवेक शुक्ला, श्री अयोध्या प्रसाद सतनामी, श्री प्रमेश शंकर शर्मा, श्री कमल श्रीवास्तव, श्री विजय बावकर, श्री राकेश पटेल, श्री विपुल निरंजन सहित अनेक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ❑

छत्तीसगढ़ इकाई

28

न्याय चौपाल की बैठक मई, 2023 में रायपुर (छत्तीसगढ़) में संपन्न हुई। श्री सुबोध टोले के साथ बैठक आयोजित हुई। न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र के संयोजक श्री निशिकांत चौधरी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस बैठक में न्याय चौपाल संगठन विस्तार, कार्यपद्धति एवं समाज में बढ़ रहे विवाद को संवाद के आधार पर कैसे सुलझाया जाए, इस पर चर्चा हुई। ❑

महाराष्ट्र इकाई

29

न्याय चौपाल की बैठक 17 जून, 2023 को नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र के श्री निशिकांत चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही, बैठक में श्री खेमराज तितरे, श्री अवतार सिंह, श्री यूनुस खान, श्री यादवराव डोबले, श्री कैलाश सम्भारे एवं उमेश उरकूडे की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

इस बैठक में न्याय चौपाल, नागपुर इकाई के संगठनात्मक विस्तार को लेकर विचार-विमर्श हुआ और न्याय चौपाल के इतिहास-विकास एवं कार्यपद्धति पर चर्चा हुई। ❑

30

न्याय चौपाल की बैठक 23 जून, 2023 को अमरावती (महाराष्ट्र) में संपन्न हुई। इस बैठक में न्याय चौपाल, मध्य क्षेत्र के संयोजक श्री निशिकांत चौधरी, श्री विजय भेंडे एवं श्री अरविंद अमले की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। बैठक में न्याय चौपाल इतिहास एवं विकास, कार्यपद्धति एवं दस्तावेजीकरण को लेकर चर्चा हुई। ❑

शामली इकाई

31

न्याय चौपाल, शामली इकाई की मासिक बैठक 3 नवंबर, 2022 को संपन्न हुई। इस बैठक में श्री सुखचैन वालिया, श्रीमती गीता वालिया, श्रीमती पंकज, श्री सलेक, श्री पारस बंसल, श्री अरविंद एवं श्री सरवण उपस्थित रहे।

बैठक में अपने विचार रखते हुए श्री सुखचैन वालिया ने कहा कि न्याय चौपाल एक सामाजिक संस्था है, जो संवाद के माध्यम से विवादों के समाधान के उद्देश्य से सक्रिय है। श्री वालिया ने कहा कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में छोटे-छोटे विवादों के समाधान में भी बहुत समय और धन खर्च होते हैं। चौपाल की पहल पर सौहार्दपूर्ण और सहज माहौल में आपसी सहमति के आधार पर अनेक स्थानों पर

विवादों के समाधान हुए हैं। उन्होंने कहा कि विवादों के समाधान की प्रक्रिया के दौरान हमें धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बात सुननी है। हमें संवेदनशीलता एवं गोपनीयता के साथ विवादों के समाधान करने हैं।

श्री वालिया ने कहा कि न्याय चौपाल, शामली इकाई की पहल पर समाज के प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे होकर विवादों का समाधान करते हैं। अपने परिवार विवादमुक्त होकर खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हम पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। ❑

32

न्याय चौपाल, शामली इकाई की मासिक बैठक 7 जून, 2023 को नया बाजार, शामली में आयोजित हुई। इस बैठक में श्री सुखचैन वालिया, श्री रामऔतार तायल, श्री रवि सिंघल, श्रीमती शशि अरोड़ा, श्रीमती सुनीता पाल, श्रीमती संगीता जिंदल एवं श्री महेश धीमान उपस्थित थे।

बैठक में अपने विचार रखते हुए श्री सुखचैन वालिया ने कहा कि न्याय चौपाल एक सामाजिक संस्था है, जो संवाद के माध्यम से विवादों के समाधान के उद्देश्य से सक्रिय है। चौपाल की पहल पर सौहार्दपूर्ण और सहज माहौल में आपसी सहमति के आधार पर अनेक स्थानों पर विवादों के समाधान हुए हैं। उन्होंने कहा कि न्याय चौपाल, शामली इकाई की पहल पर समाज के प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे होकर विवादों का समाधान करते हैं।

श्री रामऔतार तायल ने कहा कि वर्तमान समय में विवादों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में समाज के सहयोग से विवादों का समाधान करना, न्याय चौपाल का यह अच्छा विचार है। हम सब इसमें सहयोगी होकर समाज को विवादमुक्त बना सकते हैं।

इस बैठक में तय हुआ कि न्याय चौपाल, शामली इकाई की बैठक हर माह आयोजित की जाएगी। ❑

मार्गदर्शन वक्तव्य

लोगों के हृदय में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो, यह एक नया आयाम न्याय चौपाल में बढ़ाना हैः डॉ. कृष्णगोपाल

न्याय चौपाल की केंद्रीय बैठक (12 जुलाई, 2022 को ऑनलाइन माध्यम {जूम} से आयोजित) में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कृष्णगोपालजी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- हरेक विवाद के बारे में विस्तार से दस्तावेज बनाएं। उसका सारांश भी दें। कोई खास बात है तो उसे डिटेल और सारांश में भी प्रस्तुत करें। हमने इसमें कौन सी नई विधा और पद्धति का उपयोग किया, जिससे कि हमलोग समाधान तक पहुंचे।
- महीने में कोई एक तिथि पक्की करें, एक घंटा के लिए छोटे ग्रुप की बैठक हो।
- किसी भी नए व्यक्ति को न्याय चौपाल के काम में एकदम नहीं जोड़ना। वह संगठन में कुछ दिन कार्य करे, अपने कार्यकर्ताओं की उनसे बात हो जाए तो उन्हें जोड़ना। काम आगे बढ़ाना है, लेकिन धैर्य के साथ। तीन-चार कार्यकर्ताओं की सहमति बनने के बाद, फिर किसी को जोड़ना चाहिए।
- कोई भी बात लीक न करें। दोनों पक्षों ने जो भी बातें विश्वासपूर्वक हमें बताईं, उनका वो विश्वास हम पर बना रहे, ये सीक्रेसी अपने को मेन्टेन करके चलना है।

- नए-नए केस देश-समाज में बढ़ रहे हैं। उसके कारण तो कुछ-कुछ होते ही हैं, लेकिन बड़ा कारण यह है कि समाज में धीरे-धीरे सहनशक्ति कम होती जा रही है, लोगों का स्वार्थ भी बढ़ रहा है, लोगों में प्रामाणिकता का भी अभाव हो रहा है; ये तीन मुद्दे प्रमुख है। लोभ, लालच, स्वार्थ, अव्यावहारिकता, समझदारी का अभाव, ये विवाद की जड़ में होते हैं।
- दोनों पक्षों के अंदर धीरे-धीरे आध्यात्मिक भाव बढ़ें, जीवन-मूल्य में वृद्धि हों, नैतिकता का स्तर बढ़ें, सहनशक्ति बढ़ें, हम दूसरे के विपरीत स्वभाव को सहन करें, जीवन में प्रामाणिकता का स्तर बढ़ें, इन बातों को धीरे-धीरे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश अपने को करना है, तब वास्तव में स्थायी समाधान की तरफ हम बढ़ेंगे।
- जब आध्यात्मिक भाव बढ़ता है, तो सहनशक्ति बढ़ती है, विनम्रता-शालीनता जैसे गुण अपने आप आते हैं। विविधताओं में भी समन्वय, इस भाव के कारण व्यक्ति दूसरे की गलतियों को क्षमा भी करता है। अच्छे प्रसंग सुनाते हुए उनके अंदर से आध्यात्मिक भाव, सदाशयता का भाव, सहनशीलता का भाव, ये सद्‌गुण कैसे बढ़ सकते हैं, हम किस पद्धति से अपने इन लोगों के मन में इस आध्यात्मिक भाव को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकल रहा है, कौन सा संस्मरण सुनाएं कि सहनशक्ति, उनका स्वभाव, उनका सद्भाव, ये बढ़ें। इस पर सभी लोग काम करें और अपने-अपने अनुभव को अगली बैठक में साझा करें।
- मन में जो आनेवाला स्वार्थ है, लोभ है, झूठ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, असहनशीलता है, ये कम होते जाए, इसके लिए हम अपने सभी समूहों में क्या कर सकते हैं। सभी समूह जो कोई प्रयोग करते हैं, उसको अगर अगली बैठक में आकर बताएंगे तो सबको एक नया डायरेक्शन मिलेगा।
- केस को सुलझाना, यह मैटेरियलिस्टिक कार्य नहीं है, इसके पीछे भावना भी होती है। जो किसी कारण से हमारी बात सुनने को, मानने को तैयार हो जाता है, वो जिस कारण से मानता है, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर के सद्‌गुण, सद्‌वृत्ति, उसके कारण से ऐसा करता है, हम इसी भाव को उनके अंदर भी कैसे ला सकते हैं, जो सदाशयता आपके अंदर है, वो किसी के

केस-मुकदमे को हल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही सद्भाव उनके अंदर कैसे आ सकते हैं, ये सहनशीलता, क्षमा का भाव, धैर्य कैसे आ सकता है, यह प्रयास करना है।

- विवाद करनेवाले बंधुओं के जीवन में, हृदय में, ये आध्यात्मिक भाव कैसे पैदा कर सकते हैं, एक नया आयाम अपने न्याय चौपाल में बढ़ाना है, जिससे कि दोनों पक्ष सदाशय भाव से, अच्छे आध्यात्मिक भाव से, विनयसंपन्नता के साथ दूसरे को क्षमा करना सीखें, दूसरे के दो सद्‌गुण देखना सीखें, जो गलती हो गई, उसकी धीरे-धीरे उपेक्षा करना सीखें और समझौते की ओर आगे बढ़ें, तो इनके जीवन में आगे भी विवाद कम होंगे। अन्यथा आज केस यहां करता है, तो कल केस वहां करता है, जीवन में झगड़ा ही झगड़ा चलता रहता है, तो जीवन भी इनका अच्छा शुचितापूर्ण हो जाए, विनम्रतापूर्ण हो जाए, शीलसंपन्न हो जाएं, ये भाव भी रखेंगे, तो एक ओर इस निर्णय की प्रक्रिया में अपने को सफलता मिलेगी और लोगों के स्वभाव में स्थायी परिवर्तन करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।
- हरियाणा में कुल मिलाकर अभी तक 45 ऐसे केस सुलझाए गए हैं, अन्य स्थानों को मिलाकर 119 केसेज आपलोगों ने सुलझाए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
- जल्दी से कार्य आगे बढ़ें, लेकिन इन्हीं स्थानों पर कार्य आगे बढ़ाना है, और नए स्थान नहीं बढ़ाने हैं, इन्हीं स्थानों पर कार्य गहरा करना है, इन्हीं स्थानों की जो टोली है और अच्छी गंभीरता के साथ काम करें, वो अपने सदस्यों को धीरे-धीरे बहुत सघन निरीक्षण के बाद बढ़ाएं। ❑

नई पीढ़ी को संस्कार देने की जरूरत हैः डॉ. कृष्णगोपाल

न्याय चौपाल की केंद्रीय बैठक (18 मार्च, 2023 को एफआईए हॉल, बाटा चौक, फरीदाबाद में आयोजित) में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. कृष्णगोपालजी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- विवादों के मूल कारण क्या हैं, इसे जानना चाहिए।
- 15-20 विवादों के कन्क्लूजन पर चर्चा करना चाहिए। उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहिए। अंत में निष्कर्ष निकालें। फिर सॉल्यूशन ढूढ़ें।
- हमारे लोगों के मन छोटे क्यों हो रहे हैं? गलती हुई कहां? रूटकॉज को ढूढ़ें।
- बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर सोचना चाहिए।
- अच्छा आदमी बनें, इसका प्रयास हो।
- माता-पिता और बच्चों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए।
- बहुत पैसे के बजाए एक सामान्य स्तर का घर अच्छा चले, यह आवश्यक है।
- कम पैसे में सुखी कैसे रह सकते हैं। आनंद में कैसे रह सकते हैं, इस जीवन-पद्धति पर बात हो।
- समस्या सुलझाते रहें। साथ-साथ बीमारी को समझना है।
- लोगों में सहनशक्ति कम हो रही है।
- एडजस्टमेंट का संस्कार बचपन से आता है। बच्चों के अंदर संस्कार डालें।
- नयी पीढ़ी को समझाएं। छोटे बच्चों (6 साल) से बातचीत शुरू करें।

- जो बचपन में संस्कार पड़ता है, उसका प्रभाव जीवन भर रहता है।
- जिन इकाइयों में आवश्यकता है, वहां जाएं। महीने में एक-दो बार। अपना अनुभव उन्हें बताएं।
- न्याय चौपाल के काम में पैसे की कोई भूमिका नहीं है।
- गोपनीयता बरतें।
- अच्छी बातें सब जगह बताएं।
- टीम सौ प्रतिशत अराजनीतिक हो।
- किसी प्रकार का इंटेरेस्ट है, उनको टीम में शामिल नहीं करना।
- अपने काम का बहुत प्रचार नहीं करना। विज्ञापन बोर्ड नहीं लगाना। समाचार-पत्र में नहीं देना।
- बच्चों के संस्कार का कार्य शुरू करें। कहानी, खेल, चुटकुले सुनाएं। 2-3 लोग विचार करें कार्यक्रम के लिए।
- बहनों को महिला कार्य में लगाएं।
- भविष्य की पीढ़ी संस्कारवान बनें।
- उदाहरण बताएं।
- ईमानदारी-प्रामाणिकता महत्व का या धन?
- सत्यनिष्ठ जीवन महत्वपूर्ण है।
- अनावश्यक संसाधनों को संगृहीत करने की होड़ मची है, यह मानसिकता अच्छी नहीं है समाज के लिए, फिर उल्टे-पुल्टे काम करते हैं।
- एक अच्छे परिवार को कैसे पाला जाता है, इस पर चर्चा करें।
- संस्कार से बच्चे सुधरते हैं, कुसंस्कार से बच्चे बिगड़ते हैं।
- तलाक कराने में हमने सहयोग किया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं, हम मेल भी कराएं।

nyayachaupal.in
nyayachaupalofficial
NyayaChaupal
nyayachaupal
nyayachaupal@gmail.com
Regd. Address: 16, Todarmal Road, Bengali Market
New Delhi - 110001

समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत
एक गैर-लाभकारी संगठन